PIB

THECORE

JUNE

THE CORE IAS

नमस्कार अभ्यर्थियो,

आपकी तैयारी को पुष्टता प्रदान करने के लिए हमने सम्पादकीय श्रृंखला प्रश्न पत्र1,2,और 3 के अलावा अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध पर आधारित सम्पादकीय, के अतिरिक्त 500+ मुख्य परीक्षा प्रश्न पत्र को प्रस्तुत किया है ,जहाँ से आप के द्वारा हमे संतोषजनक और उत्साहित करने वाली प्रतिक्रिया मिली|

प्रश्न पत्र 4 से सम्बंधित सम्पादकीय का संकलन आपको प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम के बाद प्राप्त हो जायेंगे |उपरोक्त सभी पाठ्यसामग्री आपके मुख्य परीक्षा के लिए वस्तुनिष्ठ सामग्री के रूप में है | आप सभी नियमित रूप से यूपीएससी के पूर्व के वर्षो के प्रश्नों को उत्तर लेखन के रूप में शामिल किये होंगे ,आपके इन्ही प्रश्नों की जरूरत को ध्यान में रखकर हमने साधारण से लेकर उच्च स्तर के प्रश्नों को समसामयिक पर आधारित 500+का संकलन लाये है |

मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन की कला पर आधारित है,जो नियमित अभ्यास और मागदर्शन की मांग करता है |हम सभी लिखने की अवस्था से खुद को परहेज करते है क्योंकि भ्रान्ति यह है की हमारे पास कंटेंट है तो उत्तर लेखन किया जा सकता है ,इस भ्रम में रहकर यदि प्रारभिक परीक्षा उतीर्ण कर भी ले तो हम मुख्य परीक्षा में अंक अच्छे नहीं ला पाते ,फिर हमारा दोषारोपण का दौर चलता है की यूपीएससी भेदभाव कर रही है जबकि वस्तुस्तिथि ऐसा नहीं है | हमारे उत्तर लेखन कक्षा कार्यक्रम में कुछ मुख्य परीक्षा को लिखे हुए अभ्यर्थी है जो जानते है की हमारी कमी उत्तर लखन में है और अपनी इस कमी को दूर करने के लिए इस तरह के कक्षा कार्यक्रम की जरुरत है ,इसी बात के मद्देनजर हमारा प्रथम बैच फुल हो चूका तथा जल्द ही हम शाम को नया बैच प्रारंभ कर रहे है ,एक बार अवश्य ही आप अपनी लेखन क्षमता का परिचय लेने हेतु पधारे |

ANSWER WRITING IS NOT PRODUCT IT'S PROCESS

आपकी अपनी.....

TheCoreIAS Team

INDEX	PAGE
2018 MAINS ANSWER WRITING CLASSES TOPICS	6-9
PIB MAINS SPECIFIC	10-19
PIB PRELIMS SPECIFIC	20-26
The Core Magazine (Articles & Important News From Hindi Newspapers)	21-56
TheHindu Classes Editorial Notes (Lobbying, Delhi Statehood,Plastic)	

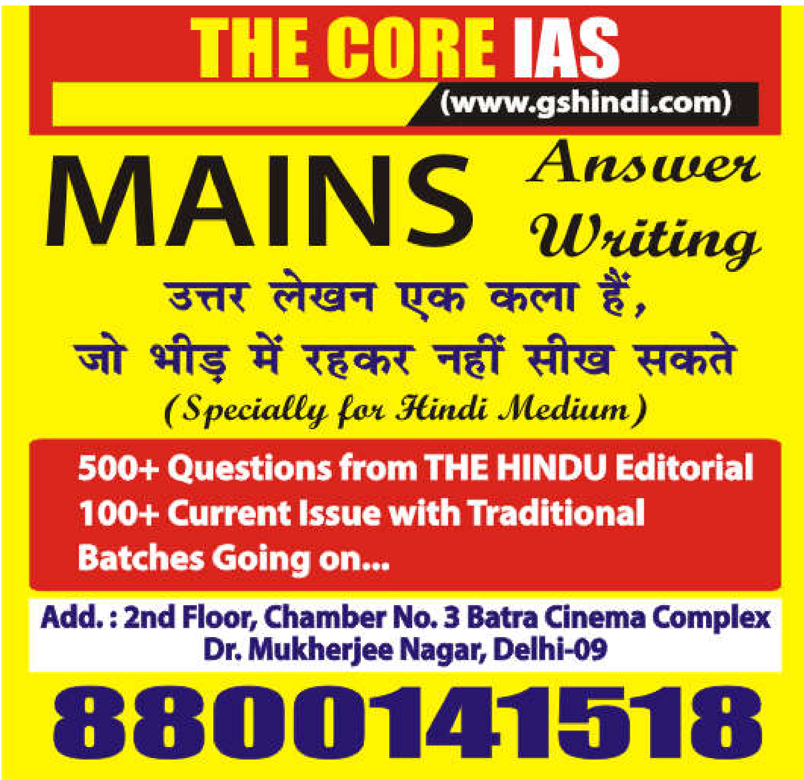

THE CORE IAS

Initiative by GS Hindi

The Core IAS Class Notes ने पुन: यह साबित किया

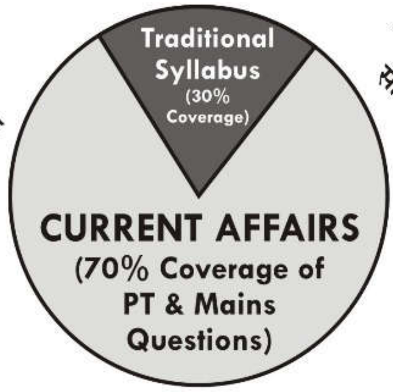

2018 के PT में 40+ प्रश्न सीधे Class Notes से

TOPPER'S VIEW

THE HINDU CLASS & EDITORIAL BASED ANSWER WRITING

Both Hindi & English Medium

- 1st Batch Full
- Admission Open for 2nd Batch

500+ Questions Coverage from **July 2017** to **Sept. 2018**

THE COREIAS

GS MAINS ANSWER WRITING for 2018

Result oriented Classes from 23rd July

Timing 10.30 AM

(Hindi/ English Medium)

SOLUTION to 500+ Marks

Salient Features:

- Short & Crisp Notes
- Answer writing in Class
- Study Material
- Topic Discussion in Detail
- Updation & Quick Revision of Basics of GS
- Topics to be covered Mentioned Below

BILLS/ Scheme

1. Social Audit Law
2. Data (Privacy & Protection) Bill, 2017
3. Consumer Protection Bill 2018
4.Jam Trinity
5. Ayushman
6. Saubhagya
7. . T K Vishwanathan report on Hate Speech
8. Law Commission report on tribunals in India
9. Major Port Trust Bill
10. Prohibition of Unlawful Assembly (Interference with the Freedom of Matrimonial Alliances) Bill
11. Specific Relief Bill 2018
12. Consumer Protection Bill 2018
13. ODF and Cleanliness
14. Trafficking of Persons Bill, 2018
15. NATIONAL MEDICAL COMMISSION OF INDIA BILL
16. NRC MAINS QUESTION
17. Ashok Dalwai committee, on doubling farmers' incomes
18. Draft National Auto Policy 2018
19. Commercial Coal Mining Opened For Private Sector
20. New Law Approved to Ban Unregulated Deposit Schemes
21. Transformation of Aspirational Districts
22. Arbitration and Conciliation (Amendment) Bill, 2018
23. Draft National Forest Policy, 2018
24. Trafficking of Persons (Prevention, Protection and Rehabilitation) Bill of 2018
25. Commercial Courts, Commercial Division and Commercial Appellate Division of High Courts (Amendment) Bill of 2018

Polity

1. President Rule Analysis
2. Role of Opposition in democracy
3. Governor Post
   - Bommai case
   - Rajeshvar Prasad Case
4. Anti-Defection Law
5. Parliamentary privileges
6. Special Provision to states
7. Gorkhaland issue
8.Office of Profit
9. Judiciary: Removal of Judges, AJS, Collegiums System, Master of Roster, Judicial decline
10.PIL
11.Judicial Activism and Judiciary as law making
12. Advocates (Amendment) Bill, 2017 Controversy
13. Simultaneous election
14. Electoral bonds
15.NRI proxy vote
16.Intra party Democracy
17. Law Commission Report on Electoral Reforms
18. 14th Finance Commission: Analysis
19.Tribunal
20. Federalism
21.Speaker

Governance

1. City Governance: Mayor
2. Inter-State River Water Dispute: Cauvery dispute
3. RTI act Analysis
4. Indian Bureaucracy & Reform
5. Debate on the issue of Lobbying in India
6. Social Media
   - Governance
   - Democracy
7. Commercial court
8.Indian Constitution
9. B and necessary Reform
10. Media regulation
11. Padmavat
12. Brain Gain: Indian Scientists Returning to India

13.Social Audit

SC Decisions

1. SC on Khap
2.SC on SC/ST act
3. Cauvery Judgement
4. Live Court
5.Section 497 of IPC
6.Section 377
7. Delhi Judgement and Art 239 AA(4)
8.Euthnasia
9. Simultaneous Election
10.Police Reform
11. Declining Standard of Parliament
12.PIL

SOCIAL JUSTICE:

1.COMPLETE HEALTH
- Niti 3 Year Action Agenda
- New Health Cadre
- Decentralised Health
- Health & PHC
- Health Insurance
- National Health Policy, 2017
- Public Health Bill

2.Ayushman Bharat
3.Education
- Higher education
- RtE
- One Nation One School Board
- HECI

.4.Poverty

International Relation

1. Indian Ocean
2. West Policy
3. Indo Pacific
4.Iran and India
5.SCO
6. Relevance of NAM in Present Situation
7.India Russia
8.US: South Asia Policy
9. Neighbourhood first
9. India Nepal
10. Ashagabat
11. INDIA CANADA
12. INDIA ISERAEL
13.Triad Vs Quad
14.RCEP
15.China & Indian Foreign Policy
16.Maldive Issue
17.India & Neighbourhood Policy
18. EU BTIA

Social Issues:

1. Recent trend in Dalit Movements
2. Mob Lynching
3. Working women in India: Issues faced
4. SC judgment : IPC 498
5.Child
- POCSO & Death Penalty
- Crime against Children

6. Child Marriages In India
7. living will, right to die with dignity

Geography:

1. Ground Water
2. Cold wall and Chennai Flood
3. Inland Waterways Development
4.Recurving of cyclone: **Cyclone Ockhi**
5. ELECTRONICS INDUSTRY
6.Surface water & Niti Ayog Report
7. Textile Hub and Globalisation
8. Climate change & Indian Monsoon
9.Summer & Winter Pollution of Delhi
10.Urbanisation
11. Population Issue
- Male Sterilisation
- Population policies

Paper III

Agriculture

1.Contract law, Corporate farming
2. Agri price policy
- MSP
- Telangana Model
- Price Deficiency Payment system

GENERAL STUDIES HINDI

3.Conservation agriculture
4. Gig Economy & Agriculture
5. Operation Greens
6. Draft Model APMC Act, 2016 released
7. Draft agricultural export policy
8. E-nam Boost
9. Agri Landing
10. E-Commerce & Agriculture

Economy

1. Report of Working Group on development of Corporate Bond Market in India
2. Concept of municipal bonds
3. Financial Resolution and Deposit Insurance Bill 2017
4.Public credit Registry
5. Amendments in Insolvency and Bankruptcy Code
6.GST Assessment
7. Bank Consolidation: Pros and Cons
8. Institutional Arbitration in India: A Way to Improve 'Enforcement of Contracts'
9. Corporate Governance: Kotak Committee
10. Contract Worker: Issues and Steps Needed
11. Exit Issues and Insolvency Resolution Process
12. Sagarmala project
13. Bharatmala
14.CEZ
15. Broad Based Trade and Investment Agreement (India-EU FTA Talks)
16. India & WTO: Issue of Food Security
17. Dispute settlement Mechanism
18. . Vijay Kelkar Committee on PPP
19. Job Creation: 4th IR and JOB, De-urbanisation of manufacturing
20. Arbitration
21. Draft Defence Production Policy
22. Creating jobs
23. GIG ECONOMY]
24.Land Holding
25. WPR and attitude
26.RBI toothless Watchdog & NPA
27.Data Economy
28. Draft defence production policy
29. Model APML law 2017

Science:

1.India in Space
2. India and exoplanet Research
3. Machine learning and deep Learning
4. Europe data protection lesson for India, GPDR LAW EU
5. Research in science
6. Artificial Intelligence Task Force Report
7.Science & Industry Linkage: Niti Ayog Report
8.5G technology

Environment/ Disaster Management

1. E-Vehicle
   - Lithium
   - FAME
2. Man-Animal Conflicts in India
3. Wildlife action plan
4.Plastic Pollution
5. Delhi Pollution
6. Environment Impact Assessment
7.Lightning
8. Drought in India: NDMA guidelines
9. Urban flooding
10. Heat Waves
11. Assam floods
12. Organic Farming and Climate Change
13. Forest Fire
14. Heat Stress

GENERAL STUDIES HINDI

15. Renewable challenge: Sustainable Rooftop Implementation for Solar Transfiguration of India (SRISTI)
16. Draft Campa Rules
16. WtE
17.Disaster Resilient Infrastructure

Internal security

1. Changing contour of terrorism
2. Social Media:
    - WhatsAPP
    - Mob Lynching
    - Terrorism
3. Honour Killing

4.Tackling Terrorism in J&K

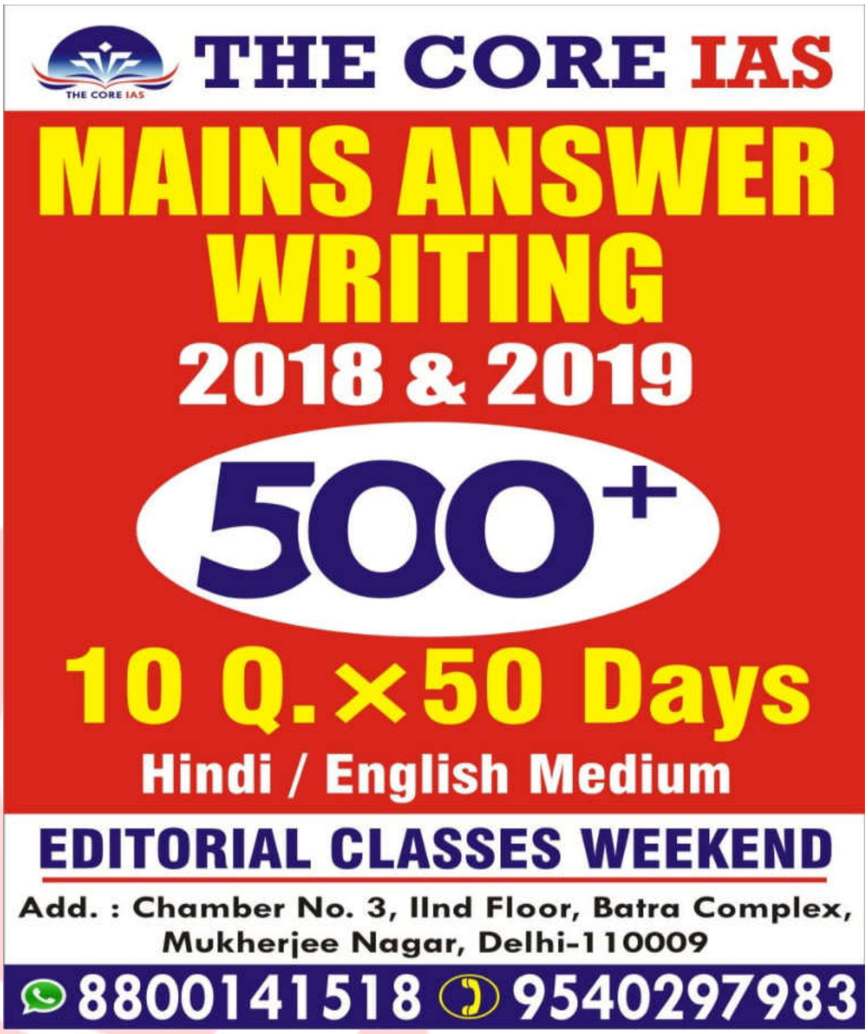

GENERAL STUDIES HINDI

PIB MAINS SPECIFIC

GS PAPERI

1.समग्र जल प्रबंधन सूचकांक पर रिपोर्ट

सहयोगी और प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद हासिल करने के उद्देश्य से नीति आयोग विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों में विकास संकेतकों पर जोर देता रहा है। नीति आयोग ने फरवरी, 2018 में 'स्वस्थ राज्य, प्रगतिशील भारत' पर एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें विभिन्न स्वास्थ्य मानकों के आधार पर राज्यों/केंद्र प्रशासित प्रदेशों को अलगअलग श्रेणी दी गई थी। जीवन में जल के महत्व को ध्यान में रखते हुए इस दिशा में - पर एक (सीडब्ल्यूएमआई) एक और कदम बढ़ाते हुए नीति आयोग ने समग्र जल प्रबंधन सूचकांक रिपोर्ट तैयार की है।

- समग्र जल प्रबंधन सूचकांक जल संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन के आकलन और उनमें सुधार लाने का एक प्रमुख साधन है। ऐसा जल संसाधन और पेयजल एवं सफाई मंत्रालयों और सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की साझेदारी के साथ जल आंकड़ा संग्रहन अभ्यास के जरिए किया जा चुका है। यह सूचकांक राज्यों और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों को उपयोगी सूचना उपलब्ध कराएगा जिससे वे अच्छी रणनीति बना सकेंगे और जल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन में उसे लागू कर सकेंगे।
- रिपोर्ट में गुजरात को वर्ष 2016-17 के लिए प्रथम श्रेणी में रखा गया, इसके बाद मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र का नंबर आता है। पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों में वर्ष 2016-17 के लिए त्रिपुरा को प्रथम श्रेणी दी गई, इसके बाद हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, और असम का स्थान रहा। सूचकांक में वृद्धि संबंधी बदलाव के संदर्भ में)2015-16 स्तरसभी राज्यों में राजस (्थान को प्रथम श्रेणी में रखा गया जबकि पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों में त्रिपुरा प्रथम स्थान पर रहा। नीति आयोग ने भविष्य में इसे सालाना स्तर पर प्रकाशित करने का प्रस्ताव किया है।

समग्र जल प्रबंधन सूचकांक के बारे में (सीडब्ल्यूएमआई)

समग्र जल प्रबंधन सूचकांक को नीति आयोग ने विकसित किया है। इसमें भूजल, जल निकायों की पुनर्स्थापना, सिंचाई, खेती के तरीके, पेयजल, नीति और प्रबंधन -बॉक्स)1) के विभिन्न पहलुओं के 28 विभिन्न संकेतकों के साथ 9 विस्तृत क्षेत्र शामिल हैं। समीक्षा के उद्देश्य से राज्यों को दो विशेष समूहों- 'पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्य' और 'अन्य राज्य' में बांटा गया।

GS PAPER III

1. केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों से जुड़े वाणिज्यिक विवादों को सुलझाने की प्रणाली को सशक्त बनाने को मंत्रिमंडल की मंजूरी

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों, के बीच तथा अन्य सरकारी विभागों और संगठनों के साथ उनके वाणिज्यिक विवादों को निपटाने की प्रणाली को सशक्त बनाने को आज मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल ने सचिवों की समिति के सुझावों के आधार पर यह फैसला लिया है। इसके तहत ऐसे विवादों

को अदालतों के जरिए निपटाने के बजाय इसके लिए एक सशक्त संस्थागत प्रणाली विकसित की जाएगी।

ब्यौरा :

- नई व्यवस्था के तहत एक ऐसी द्वीस्तरीय प्रणाली विकसित की जाएगी जो केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के बीच तथा अन्य सरकारी संगठनों के साथ होने वाले उनके औद्योगिक विवादों को निपटाने की मौजूदा स्थायी मध्यस्थता प्रणाली (पीएमए) का स्थान लेगी। रेलवे, आयकर विभाग, सीमा शुल्क और आबकारी विभाग को इसके दायरे से बाहर रखा गया है।
- इस द्वीस्तरीय प्रणाली के तहत ऐसे वाणिज्यिक विवादों को पहले उस समिति के पास भेजा जाएगा जिसमें ऐसे उपक्रमों से संबंधित मंत्रालयों और विभागों के सचिव तथा कानूनी मामलों के विभाग के सचिव होंगे। समिति के समक्ष सार्वजनिक उपक्रमों से जुड़े विवादों का प्रतिनिधित्व उनके मंत्रालयों तथा विभागों से जुड़े वित्तीय सलाहकारों द्वारा किया जाएगा। यदि विवाद से जुड़े दोनों पक्ष एक ही मंत्रालय या विभाग से होंगे तो ऐसी स्थिति में इस विवाद को सुलझाने का काम उस समिति को दिया जाएगा जिसमें संबंधित मंत्रालय या विभाग के सचिव, सार्वजनिक उपक्रम विभाग के सचिव और कानूनी मामलों के विभाग के सचिव होंगे। समिति के समक्ष ऐसे विवादों का प्रतिनिधित्व संबंधित मंत्रालय या विभाग के वित्तीय सलाहकार और संयुक्त सचिव द्वारा किया जाएगा। यदि, केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों और राज्य सरकारों के विभागों और संगठनों के बीच ऐसे कोई विवाद उठते हैं तो उन्हें सार्वजनिक उपक्रमों से संबंधित मंत्रालयों/विभागों के सचिव, कानूनी मामलों के सचिव और संबंधित राज्य सरकार के प्रधान सचिव द्वारा नियुक्त एक वरिष्ठ अधिकारी वाली समिति को भेजा जाएगा। समिति में इन विवादों का प्रतिनिधित्व राज्य सरकारों के विभागों और संगठनों से संबंधित प्रधान सचिव द्वारा किया जा सकता है।
- यदि उपरोक्त समिति द्वारा विवादों का समाधान नहीं हो पाता है तो ऐसी स्थिति में दूसरे स्तर पर इन्हें विवादों को कैबिनेट सचिव को भेजे जाने की व्यवस्था है। इस मामले में कैबिनेट सचिव का फैसला अंतिम होगा और सभी के लिए बाध्यकारी भी होगा।
- विवादों के त्वरित निपटारे के लिए पहले स्तर पर तीन महीने की अवधि निर्धारित की गयी है।
- फैसलों के अनुपालन के लिए सार्वजनिक उपक्रम विभाग तत्काल सभी उपक्रमों को उनके संबंधित मंत्रालयों/विभागों/राज्य सरकारों और संघ शासित प्रदेशों के जरिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी करेगा।
- नई प्रणाली आपसी और सामूहिक प्रयासों से वाणिज्कि विवादों को निपटाने को प्रोत्साहित करेगी और जिससे अदालतों में ऐसे विवादों की सुनवाई के मामले घटेंगे और जनता का पैसा बर्बाद होने से बचेगा।

2. देश के 91 प्रमुख जलाशयों के जलस्तर में एक प्रतिशत की वृद्धि

देश के 91 प्रमुख जलाशयों में 28.409 बीसीएम जल संग्रह हुआ। यह इन जलाशयों (अरब घन मीटर) की कुल संग्रहण क्षमता का18 प्रतिशत है।

उत्तरी क्षेत्र

- उत्तरी क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश, पंजाब तथा राजस्थान आते हैं। इस क्षेत्र में 18.01 बीसीएम की कुल संग्रहण क्षमता वाले छह जलाशय हैं, जो केन्द्रीय जल आयोग की निगरानी में (सीडब्यूसी) हैं।
- इन जलाशयों में कुल उपलब्ध संग्रहण 2.90 बीसीएम है, जो इन जलाशयों की कुल संग्रहण क्षमता का 16 प्रतिशत है।
- पिछले वर्ष की इसी अवधि में इन जलाशयों की संग्रहण स्थिति 27 प्रतिशत थी।
- पिछले दस वर्षों का औसत संग्रहण इसी अवधि में इन जलाशयों की कुल संग्रहण क्षमता का 28 प्रतिशत था।
- इस तरह पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में चालू वर्ष में संग्रहण कम है और यह पिछले दस वर्षों की इसी अवधि के दौरान रहे औसत संग्रहण से भी कम है।

पूर्वी क्षेत्र

- पूर्वी क्षेत्र में झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल एवं त्रिपुरा आते हैं।
- इन जलाशयों की कुल संग्रहण क्षमता का 21 प्रतिशत है। पिछले वर्ष की इसी अवधि में इन जलाशयों की संग्रहण स्थिति 20 प्रतिशत थी। पिछले दस वर्षों का औसत संग्रहण इसी अवधि में इन जलाशयों की कुल संग्रहण क्षमता का 16 प्रतिशत था। इस तरह पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में चालू वर्ष में संग्रहण बेहतर है और यह पिछले दस वर्षों की इसी अवधि के दौरान रहे औसत संग्रहण से भी बेहतर है।

पश्चिमी क्षेत्र

- पश्चिमी क्षेत्र में गुजरात तथा महाराष्ट्र आते हैं।
- इन जलाशयों में कुल उपलब्ध संग्रहण 4.07 बीसीएम है, जो इन जलाशयों की कुल संग्रहण क्षमता का 13 प्रतिशत है।
- पिछले वर्ष की इसी अवधि में इन जलाशयों की संग्रहण स्थिति 19 प्रतिशत था। पिछले दस वर्षों का औसत संग्रहण इसी अवधि में इन जलाशयों की कुल संग्रहण क्षमता का 17 प्रतिशत था।
- इस तरह पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में चालू वर्ष में संग्रहण कम है और यह पिछले दस वर्षों की इसी अवधि के दौरान रहे औसत संग्रहण से भी कम है।

मध्य क्षेत्र

- मध्य क्षेत्र में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ आते हैं।
- इन जलाशयों में कुल उपलब्ध संग्रहण 9.15 बीसीएम है, जो इन जलाशयों की कुल संग्रहण क्षमता का 22 प्रतिशत है। पिछले वर्ष की इसी अवधि में इन जलाशयों की संग्रहण स्थिति 30 प्रतिशत था।
- पिछले दस वर्षों का औसत संग्रहण इसी अवधि में इन जलाशयों की कुल संग्रहण क्षमता का 18 प्रतिशत था। इस तरह पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में चालू वर्ष में संग्रहण कम है लेकिन यह पिछले दस वर्षों की इसी अवधि के दौरान रहे औसत संग्रहण से बेहतर है।

दक्षिणी क्षेत्र

- दक्षिणी क्षेत्र में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एपी एवं टीजी दोनों राज्यों में दो संयुक्त) (परियोजनाएं, कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु आते हैं।
- पिछले वर्ष की इसी अवधि में इन जलाशयों की संग्रहण स्थिति 8 प्रतिशत थी। पिछले दस वर्षों का औसत संग्रहण इसी अवधि में इन जलाशयों की कुल संग्रहण क्षमता का 16 प्रतिशत था। इस तरह चालू वर्ष में संग्रहण पिछले वर्ष की इसी अवधि में हुए संग्रहण से बेहतर है और यह पिछले दस वर्षों की इसी अवधि के दौरान रहे औसत संग्रहण के बराबर है।

पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में जिन राज्यों में जल संग्रहण बेहतर है उनमें राजस्थान, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, एपी एवं टीजी (दोनों राज्यों में दो संयुक्त परियोजनाएं), आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु शामिल हैं। इसी अवधि के लिए पिछले वर्ष की तुलना में कम संग्रहण करने वाले राज्यों में हिमाचल प्रदेश, पंजाब, झारखंड, ओडिशा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना शामिल हैं।

3. सरकार बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए गूगल के साथ मिलकर काम करेगी

- गूगल के साथ गठबंधन से भारत में बाढ़ का कारगर या प्रभावकारी प्रबंधन करने में मदद मिलेगी।
- जल संसाधन के क्षेत्र में भारत के शीर्ष प्रौद्योगिकी संगठन केंद्रीय जल आयोग ने (सीडब्ल्यूसी) गूगल के साथ एक सहयोग समझौता किया है।
- सीडब्ल्यूसी जल संसाधनों के कारगर प्रबंधन विशेषकर बाढ़ का पूर्वानुमान लगाने एवं बाढ़ संबंधी सूचनाएं आम जनता को सुलभ कराने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस), मशीन लर्निंग एवं भूस्थानिक मानचित्रण के क्षेत्र में गूगल द्वारा की गई अत्याधुनिक प्रगति का उपयोग - संबंधी समस्याओं (हाइड्रोलॉजिकल) करेगा। इस पहल से संकट प्रबंधन एजेंसियों को जल विज्ञान से बेहतर ढंग से निपटने मेंमदद मिलने की आशा है।
- इस समझौते के तहत सीडब्ल्यूसी और गूगल इन कार्यों में आपसी सहयोग के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस), मशीन लर्निंग, भूस्थानिक मानचित्रण और जल विज्ञान से - जुड़े अवलोकन डेटा के विश्लेषण में तकनीकी विशेषज्ञता को साझा करेंगी:

) i) बाढ़ पूर्वानुमान प्रणालियों को बेहतर करना, जिससे स्थानत आवश्यक कार्रवाई योग्य बाढ़ लक्षि- चेतावनी जारी करने में मदद मिलेगी

)ii) बाढ़ प्रबंधन की परिकल्पना करने एवं इसमें बेहतरी के लिए गूगल अर्थ इंजन का उपयोग करने से जुड़ी उच्च प्राथमिकता वाली अनुसंधान परियोजना और

)iii) भारत की नदियों पर ऑनलाइन प्रदर्शनियां तैयार करने से जुड़ी एक सांस्कृतिक परियोजना।

बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लोग लंबे समय से बाढ़ आने से पहले समय रहते सटीक चेतावनी दिए जाने की मांग करे रहे थे। इस पहल से उनकी यह मांग पूरी होगी। केन्द्रीय जल आयोग 2016 तक अधिकतम एक दिन पहले बाढ़ के स्तर के बारे में जानकारी दे रहा था। 2017 में बाढ़ के दौरान सीडब्ल्यूसी ने बारिश आधारित मॉडल के सहारे परीक्षण के आधार पर तीन दिन पहले बाढ़ के चेतावनी जारी की। गूगल उच्च स्तरीय डिजिटल, तकनीक जिसमें वो अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विशेषज्ञता के सहारे सीडब्ल्यूसी द्वारा प्रदत्त जानकारी के सहयोग से बाढ़ की सटीक जानकारी देगा। अब संभवतः बाढ़ आने के तीन दिन पहले ही लोगों को जानकारी मिल सकेगी। इस समझौते के बाद सरकार को करोड़ों रुपये की बचत होगी। इससे सरकार और आपदा प्रबंधन संगठनों को बाढ़ प्रभावित स्थानों और

जनसंख्या की बेहतर जानकारी प्राप्त होगी। यह पहल बेहतर बाढ़ प्रबंधन और बाढ़ से होने वाले नुकसान को रोकने में मील का पत्थर साबित होगी।

4. बांध सुरक्षा विधेयक, 2018 : बांध सुरक्षा व्यवहारों तथा संस्थानों के मानकीकरण और मजबूती की दिशा में एक कदम

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अपनी बैठक में बांध सुरक्षा विधेयक, 2018 को संसद में प्रस्तुत करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी। इस विधेयक का उद्देश्य बांधों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक समान देशव्यापी प्रक्रियाएं विकसित करने में सहायता देना है।

- भारत ने पिछले 50 वर्षों में बांधों तथा संबंधित अवसंरचनाओं में भारी निवेश किया है और बड़े बांधों की संख्या की दृष्टि से भारत का स्थान अमेरिका और चीन के बाद तीसरा है।
- देश में 5254 बड़े बांध हैं और 447 बांध बनाए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त मझौले और छोटे हजारों बांध हैं।
- यद्यपि बांधों ने कृषि के सतत विकास और भारत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन बांधों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लंबे समय से एकरूप कानून और प्रशासनिक ढांचे की आवश्यकता महसूस की जाती रही है।
- केंद्रीय जल आयोग बांध सुरक्षा पर राष्ट्रीय समिति (एनसीडीएस), केंद्रीय बांध सुरक्षा संगठन (सीडीएसओ) तथा राज्य बांध सुरक्षा संगठनों (एसडीएसओ) के माध्यम से इस दिशा में प्रयास कर रहा है, लेकिन इन संगठनों के पास वैधानिक शक्तियां नहीं हैं और ये संगठन केवल परामर्शदायी भूमिका में हैं।

Obsolete Dam a cause of Concern

यह चिंता का विषय है, क्योंकि भारत के लगभग 75 प्रतिशत बड़े बांध 25 वर्ष से अधिक पुराने हैं और लगभग 164 बांध 100 वर्षों से भी अधिक पुराने हैं। खराब रख-रखाव के कारण असुरक्षित बांध मानव जीवन, वनस्पति, सार्वजनिक तथा निजी संपत्तियों और पर्यावरण के लिए खतरनाक हो सकते हैं। भारत में बांध विफलताओं की 36 घटनाएं हुई हैं। इनमें राजस्थान में 11, मध्य प्रदेश में 10, गुजरात में 5, महाराष्ट्र में 4 और आंध्र प्रदेश में 2 तथा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड एवं ओडिशा में एक-एक घटनाएं हुई हैं।

GENERAL STUDIES HINDI

बांध सुरक्षा विधेयक, 2018 के प्रावधानों से केंद्र और राज्यों में बांध सुरक्षा की संस्थागत व्यवस्थाओं को शक्तियां प्राप्त होंगी और इससे पूरे देश में मानकीकरण और बांध सुरक्षा में सुधार करने में मदद मिलेगी। बांध सुरक्षा विधेयक, 2018 में बांध सुरक्षा संबंधी सभी विषयों को शामिल किया गया है। इसमें बांध का नियमित निरीक्षण, आपात कार्य योजना, विस्तृत सुरक्षा के लिए पर्याप्त मरम्मत और रख-रखाव कोष , इंस्ट्रूमेंटेशन तथा सुरक्षा मैनुअल शामिल हैं। इसमें बांध सुरक्षा का दायित्व बांध के स्वामी पर है और विफलता के लिए दंड का प्रावधान है।

संस्थागत ढांचा

बांध सुरक्षा विधेयक, 2018 के अंतर्गत बांध सुरक्षा के लिए संस्थागत ढांचे का प्रावधान है। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

1.बांध सुरक्षा पर राष्ट्रीय समिति (एनसीडीएस)

विधेयक में बांध सुरक्षा पर राष्ट्रीय समिति गठित करने का प्रावधान है। यह समिति बांध सुरक्षा नीतियों को विकसित करेगी और आवश्यक नियमनों की सिफारिश करेगी।

2. राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण (एनडीएसए)

विधेयक नियामक संस्था के रूप में राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान करता है। यह प्राधिकरण देश में बांध सुरक्षा के लिए नीति, दिशानिर्देशों तथा मानकों को लागू करने का दायित्व निभाएगा।

- यह प्राधिकरण बांध सुरक्षा संबंधी डाटा और व्यवहारों के मानकीकरण के लिए राज्य बांध सुरक्षा संगठनों और बांधों के मालिकों के साथ संपर्क बनाए रखेगा।
- प्राधिकरण राज्यों तथा राज्य बांध सुरक्षा संगठनों को तकनीकी और प्रबंधकीय सहायता उपलब्ध कराएगा।
- प्राधिकरण देश के सभी बांधों का राष्ट्रीय स्तर पर डाटा बेस तथा प्रमुख बांध विफलताओं का रिकॉर्ड रखेगा।
- प्राधिकरण किसी प्रमुख बांध की विफलताओं के कारणों की जांच करेगा।
- प्राधिकरण नियमित निरीक्षण के लिए तथा बांधों की विस्तृत जांच के लिए मानक दिशा-निर्देशों और नियंत्रण सूचियों को प्रकाशित और अद्यतन करेगा।
- प्राधिकरण उन संगठनों की मान्यता या प्रत्यायन का रिकॉर्ड रखेगा, जिन्हें जांच, नए बांधों की डिजाइन और निर्माण का कार्य सौंपा जा सकता है।
- प्राधिकरण दो राज्यों के राज्य बांध सुरक्षा संगठनों के बीच या किसी राज्य बांध सुरक्षा संगठन और उस राज्य के बांध के स्वामी के बीच विवाद का उचित समाधान करेगा।
- कुछ मामलों में जैसे, एक राज्य का बांध दूसरे राज्य के भू-भाग में आता है तो राष्ट्रीय प्राधिकरण राज्य बांध सुरक्षा संगठन की भूमिका भी निभाएगा और इस तरह अंतर-राज्य विवादों के संभावित कारणों को दूर करेगा।

3. बांध सुरक्षा पर राज्य समिति (एससीडीएस)

- विधेयक में राज्य सरकार द्वारा बांध सुरक्षा पर राज्य समिति गठित करने का प्रावधान है। यह समिति राज्य में निर्दिष्ट सभी बांधों की उचित निगरानी, निरीक्षण, संचालन और रख-रखाव सुनिश्चित करेगी।
- समिति यह सुनिश्चित करेगी की बांध सुरक्षा के साथ काम कर रहे हैं। इसमें प्रत्येक राज्य में राज्य बांध सुरक्षा संगठन स्थापित करने का प्रावधान है। यह संगठन फील्ड बांध सुरक्षा के अधिकारियों द्वारा चलाया जाएगा। अधिकारियों में प्राथमिक रूप से बांध डिजाइन, हाईड्रो-मेकेनिकल इंजनीयरिंग, हाईड्रोलॉजी, भू तकनीकी जांच और बांध पुनर्वास क्षेत्र के अधिकारी होंगे।

4. राज्य बांध सुरक्षा संगठन (एसडीएसओ)

- विधेयक में निर्दिष्ट संख्या में बांध वाले प्रत्येक राज्य में राज्य बांध सुरक्षा संगठन स्थापित करने का प्रावधान है। यह संगठन फील्ड बांध सुरक्षा के अधिकारियों द्वारा चलाया जाएगा।

कर्तव्य और कार्य

विधेयक में प्रावधान है कि सभी निर्दिष्ट बांध उस राज्य के एसडीएसओ के क्षेत्राधिकार में आयेंगे जिस राज्य में बांध है। सीपीएसयू के स्वामित्व वाले निर्दिष्ट बांधों के लिए या जहां बांध दो और दो से अधिक राज्यों में विस्तारित हैं या राज्य स्वामित्व वाला कोई बांध दूसरे राज्य में है तो एनडीएसए को एसडीएसओ माना जाएगा।

अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत सभी बांधों के लिए राज्य बांध सुरक्षा संगठनों को निम्नलिखित कार्य करने होंगे:

- निरन्तर निगरानी
- नियमित निरीक्षण
- संचालन और रख-रखाव की निगरानी
- आवश्यकता अनुसार जांच करना तथा डाटा एकत्रित करना
- एनसीडीएस द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार प्रत्येक बांध को कमजोर और खतरनाक बांध की श्रेणी में रखना
- निगरानी/निरीक्षण और अन्य गतिविधियों का लॉग बुक/डाटाबेस रखना
- प्रमुख बांध घटनाओं को रिकार्ड रखना
- सुरक्षा या समाधान उपायों के बारे में संबंधित बांध स्वामी को सलाह देना

बांध के स्वामियों को निम्नलिखित कार्य करने होंगे:

- रख-रखाव तथा मरम्मत के लिए पर्याप्त कोष निर्धारित करना तथा एसडीएसओ की सिफारिशों को लागू करना।
- बांध सुरक्षा से संबंधित सभी तकनीकी प्रलेखनों को संकलित करना और साथ-साथ बांध विफलता से प्रभावित संसाधनों/सुविधाओं पर सूचना संकलित करना।
- अत्याधुनिक प्रबंधन साधनों को रखना।
- बांध सुरक्षा के लिए उत्तरदायी व्यक्ति नियमों द्वारा निर्दिष्ट योग्यता और अनुभव रखेंगे और पर्याप्त प्रशिक्षण लेंगे।

बांधों के निर्माण या बदलावों के मामले में:

- मान्यता प्राप्त संगठनों द्वारा जांच, डिजाईन और निर्माण का कार्य किया जाएगा
- बीआईएस के प्रासंगिक मानक संहिताओं तथा दिशानिर्देशों को उपयोग
- जांच, डिजाईन और निर्माण के लिए एनसीडीएस द्वारा निर्दिष्ट योग्यता प्राप्त अनुभवी और सक्षम इंजीनियर होंगे
- स्वीकृति के लिए एनडीएसए/एसडीएसओ को डिजाईन सुरक्षा, संचालन मानकों तथा नीतियों को दिखाना
- एनसीडीएस द्वारा निर्दिष्ट गुणवत्ता नियंत्रण उपाय करना
- केवल सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति से ही नए बांध का निर्माण या बदलाव/वर्तमान बांध को विस्तारित करने का काम किया जा सकता है।
- किसी जलाशय को शुरु में भरने से पहले भरने के मानक और प्रारम्भिक भराव योजना तैयार करनी होगी।

- प्रारम्भिक भराव से पहले एसडीएसओ द्वारा सुरक्षा निरीक्षण
- पर्याप्त कर्मियों के साथ ओएंडएम व्यवस्था स्थापित करना
- अच्छे ढंग से प्रलेखित ओएंडएम मैनुअल सुनिश्चित करना

सुरक्षा निरीक्षण तथा डाटा संग्रह

- प्रत्येक बांध के लिए अपने ओएंडएम व्यवस्था के भीतर एक बांध सुरक्षा ईकाई की स्थापना।
- बांध के स्वामी बांध सुरक्षा ईकाई के माध्यम से बांधों का मॉनसून पूर्व तथा मॉनसून पश्चात निरीक्षण कराएंगे।
- बाढ़ के दौरान और बाढ़ के बाद, भूकंप के बाद असामान्य व्यवहार पर विशेष निरीक्षण
- इंजीनियर एसडीएसओ की सहमति से पूरी मॉनसून अवधि के दौरान तथा भूकंप/आपदा के बाद आपात अवधि के दौरान बांध पर तैनात रहेंगे।
- बांध के स्वामी को प्रत्येक बांध के लिए न्यूनतम संख्या में बांध इंस्ट्रूमेंटेशन लगाने होंगे, रीडिंग का रिकॉर्ड रखना होगा और विश्लेषणों को एसडीएसओ को अग्रसारित करना होगा।
- प्रत्येक बांध स्थल पर हाइड्रो-मौसम विज्ञान स्टेशन
- तीस मीटर से ऊंचे के बांधों या जोन-III और उससे ऊपर के जोन में आनेवाले बांधों के लिए भूकम्प विज्ञान केन्द्र

आपात कार्य योजना तथा आपदा प्रबंधन

प्रत्येक बांध स्वामी को प्रत्येक बांध के संबंध में निम्नलिखित कार्य करने होंगे:

- हाइड्रो-मौसम विज्ञान नेटवर्क तथा अंतर्वाह पूर्वानुमान प्रणाली की स्थापना
- आपात बाढ़ चेतावनी प्रणाली की स्थापना
- उपरोक्त प्रणालियों के लिए समय-समय पर जांच
- अंदरूनी प्रभावों, बाह्य प्रभावों, बाढ़ चेतावनियों तथा विपरीत प्रभावों से संबंधित सूचना को अधिकारियों तथा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराना।
- प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली चलाने में एनडीएसए को सहयोग देना
- निर्दिष्ट अंतराल पर जोखिम मूल्यांकन अध्ययन करना, ऐसा पहला अध्ययन पांच वर्षों के अंदर
- पांच वर्षों के अंदर आपात कार्य योजना तैयार करना और नए बांधों के लिए प्रारम्भिक प्रभाव से पहले
- आपात कार्य योजना में निम्नलिखित आपात कार्य हो सकते हैं- बांध विफलता की स्थिति में आनेवाली बाढ़ और बाढ़ से प्रभावित होने वाले क्षेत्र, आबादी, ढांचे और प्रतिष्ठान, चेतावनी प्रक्रियाएं, जान-माल के नुकसान को टालने के लिए विपरीत परिस्थितियों से निपटने की अग्रिम तैयारी, परामर्श/डीएम एजेंसियों के साथ सहयोग।

विस्तृत बांध सुरक्षा मूल्यांकन

- विधेयक में स्वतंत्र विशेषज्ञों के पैनल द्वारा विस्तृत सुरक्षा मूल्यांकन का प्रावधान है। पहले पांच वर्षों के अंदर सीएसई और उसके बाद एनसीडीएस द्वारा नियमित अंतरालों पर निर्दिष्ट ढांचे या डिजाईन मानक में बड़े बदलाव, बांध पर या जलाशय रीम पर असामान्य स्थिति की खोज, अत्यधिक जलीय या भूकम्प की अत्यधिक प्रभावशाली घटना के मामले में सीएसई अनिवार्य होगा।

दोष और दंड: बांध सुरक्षा प्रावधानों का पालन नहीं करने पर दोष/दंड का प्रावधान है।

- यदि कोई व्यक्ति किसी अधिकारी/कर्मचारी के कार्य में बाधा डालता है या केन्द्र/राज्य सरकार या एनसीडीएस/एनडीएसए/एससीडीएस/एसडीएसओ के किसी निर्देश का पालन करने से मना करता है तो वैसे व्यक्ति को एक वर्ष जेल की सजा या दंड (जीवन नुकसान के लिए दो वर्ष)।
- यदि किसी विभाग द्वारा दोषपूर्ण कार्य किया जाता है तो विभाग प्रमुख को दोषी माना जाएगा यदि उनकी जानकारी में अपराध होता है।
- यदि दोषपूर्ण कार्य किसी कंपनी/कारपोरेट द्वारा किया जाता है तो कंपनी के व्यवसाय संचालन के लिए प्रभारी/उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति को दोषी माना जाएगा।
- केन्द्र/राज्य सरकार या एनसीडीएस/एनडीएसए/एससीडीएस/एसडीएसओ द्वारा की गई शिकायत को छोड़ कर दोषपूर्ण कार्य का कोई संज्ञान नहीं लिया जाएगा।

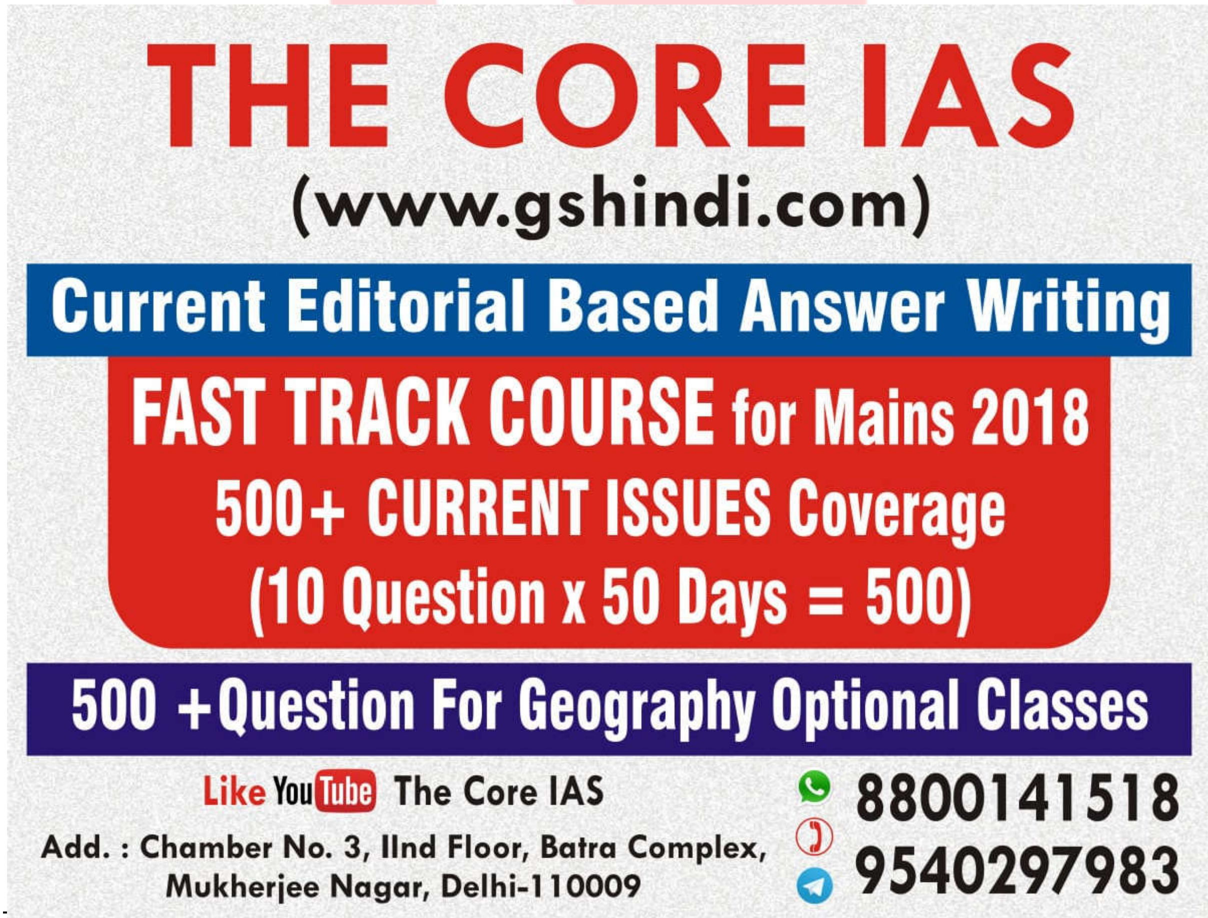

THE CORE IAS
Initiative by GS Hindi
WEEKEND CURRENT AFFAIRS
Batch - Saturday & Sunday
From 16-17 June (8:00 am - 11:30 am)
FAST TRACK MAINS
ANSWER WRITING PROGRAMME
Daily 10 Editorial Based Question-Answer
From 18 June (Morning & Evening Batch)
FOUNDATION MAINS
ANSWER WRITING PROGRAMME
for Mains 2019
From 18 June - 2 Days / Week (Morning & Evening Batch)
Test Series of G.S &
Optional(Geog, History, Hindi,Pol.Sc)
Other Module :
• Environment & Ecology • Society & Social Justice • History • Geog. • Essay
YouTube The Core IAS
Add. : Chamber No. 3, IInd Floor, Batra Complex, Mukherjee Nagar, Delhi-110009
8800141518
9540297983

PRELIMS

1. सेवा भोज योजना'

Ministry: भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2018-19 और 2019-20 के लिए कुल 325 करोड़ रुपये की लागत से '**सेवा भोज योजना**' नामक नई योजना शुरू की है।

- इस योजना के तहत भोजन/प्रसाद/लंगर(सामुदायिक रसोई)/भंडारे के लिए घी/तेल/आटा/मैदा/रवा, चावल, दाल, चीनी, बुरा/गुड जैसी कच्ची सामग्री की खरीदारी पर केन्द्रीय वस्तु और सेवाकर (सीजीएसटी) और एकीकृत वस्तु और सेवाकर (आईजीएसटी) का केन्द्र सरकार का हिस्सा लौटा दिया जाएगा, ताकि लोगों/श्रद्धालुओं को बगैर किसी भेदभाव के निशुल्क भोजन/प्रसाद/लंगर(सामुदायिक रसोई)/भंडारा प्रदान करने वाले परोपकारी धार्मिक संस्थानों का वित्तीय बोझ कम किया जा सके।
- वित्तीय सहायता/अनुदान के लिए आवेदन करने से पहले कम से कम पांच वर्षों तक कार्यरत मंदिर, गुरूद्वारा, मस्जिद, गिरिजाघर, धार्मिक आश्रम, दरगाह, मठ जैसे परोपकारी धार्मिक संस्थानों और एक महीने में कम से कम 5,000 लोगों को निशुल्क भोजन प्रदान करने तथा आयकर की धारा 10 (23बीबीए) के तहत आने वाले संस्थान या सोसायटी पंजीकरण अधिनियम (1860 की XXI) के अंतर्गत सोसायटी के रूप में पंजीकृत संस्थान अथवा किसी भी अधिनियम के अंतर्गत वैधानिक धार्मिक संस्था के बनने के समय लागू कानून के तहत जन न्यास के तौर पर या आयकर अधिनियम की धारा 12 एए के तहत पंजीकृत संस्थान इस योजना के तहत अनुदान पाने के पात्र होंगे।
- संस्कृति मंत्रालय वित्त आयोग की अवधि के साथ समाप्त होने वाली समयावधि के लिए पात्र परोपकारी धर्मार्थ संस्थान का पंजीकरण करेगा। इसके बाद संस्थान के कार्यों का आकलन करने के पश्चात मंत्रालय पंजीकरण का नवीनीकरण कर सकता है। जन साधारण, जीएसटी प्राधिकारियों और संस्था/संस्थान के लिए पंजीकृत संस्थान का विवरण ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध होगा। संस्था/संस्थान को जीएसटी और आईजीएसटी का केन्द्र सरकार के हिस्से को वापस पाने के लिए राज्य स्तर पर जीएसटी विभाग के निर्धारित अधिकारी को पंजीकरण की मान्यता के दौरान निर्दिष्ट प्रारूप में भेजना होगा। सहयोग ज्ञापन, कर्मचारियों या निशुल्क भोजन सेवा के स्थान को बढ़ाने/कम करने के किसी भी प्रकार के बदलाव के बारे में मंत्रालय को जानकारी देने की जिम्मेदारी संस्थान/संस्था की होगी।
- सभी पात्र संस्थानों का दर्पण पोर्टल में पंजीकरण आवश्यक है। मंत्रालय को प्राप्त हुए सभी आवेदनों की जांच चार सप्ताह के भीतर इस उद्देश्य से गठित समिति द्वारा की जाएगी। समिति की सिफारिशों के आधार पर मंत्रालय में सक्षम प्राधिकारी ऊपर बताई गई विशेष सामग्रियों पर सीजीएसटी और आईजीएसटी का केन्द्र सरकार का हिस्सा वापस लौटाने के लिए परोपकारी धार्मिक संस्थानों का पंजीकरण करेगा।

2. भूमंडलीय एन्सेम्बल पूर्वानुमान प्रणाली)EPS)

In news:

- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने 10 दिनों का प्रचालनात्मक संभावित मौसम पूर्वानुमान जारी करने के लिए दो अत्याधुनिक उच्च विभेदन (12 कि.मी.ग्रिड स्केल) भूमंडलीय एन्सेम्बल पूर्वानुमान

प्रणाली (EPS) का शुभारम्भ किया है । EPS मामूली बदलाव वाली आरंभिक स्थितियों का उपयोग करते हुए अनेक प्रकार के पूर्वानुमान देता है

Some Features of EPS (Ensemble Prediction System)

- वर्तमान में नया EPS फ्रेमवर्क विश्व की सर्वोत्तम मौसम पूर्वानुमान प्रणालियों में से एक है। विश्व के कुछ ही पूर्वानुमान केन्द्रों में लघु-मध्यम अवधि का संभावित मौसम पूर्वानुमान देने के लिए इस उच्च विभेदन प्रणाली का उपयोग होता है
- EPS वर्तमान मॉडलों से प्राप्त किए जा रहे मौसम पूर्वानुमान में अनिश्चितता की मात्रा परिमानिक स्तर पर सूचित करने के साथ-साथ मौसम सूचनाओं में बढ़ोतरी करेगा और संभावित (probabilistic) पूर्वानुमान उपलब्ध कराएगा।
- समूचे भारत में 12 कि.मी. ग्रिड स्केल पर प्रचंड मौसमी परिघटनाओं के संभावित पूर्वानुमान से आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों और अन्य उपयोगकर्ताओं को मौसम पूर्वानुमान की अनिश्चितता का सही सही आकलन करके आपातकालीन स्थिति में बेहतर निर्णय लेने मे मदद मिलेगी।
- कृषि, जल संसाधन, पर्यटन और नवीनीकरण ऊर्जा के साथ ही अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के लिए भी संभावित पूर्वानुमान बहुत उपयोगी रहेगा।

3. 'बेनामी लेनदेन मुखबिर पुरस्कार योजना 2018

- अनेक मामलों में यह पाया गया है कि दूसरों के नामों से संपत्तियों में काले धन का निवेश किया जा रहा है यद्यपि इसका लाभ निवेशक द्वारा अपने आयकर रिटर्न में लाभकारी स्वामित्व को छुपा कर लिया जा रहा है। सरकार ने इससे पहले बेनामी संपत्ति लेनदेन अधिनियम, 1988 में बेनामी लेनदेन (निषेध) संशोधन अधिनियम, 2016 के माध्यम से संशोधन किया था ताकि कानून को और मजबूत बनाया जा सके। काले धन का पता लगाने और कर चोरी में कमी लाने के आयकर विभाग के प्रयासों में लोगों की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से आयकर विभाग द्वारा '**बेनामी लेनदेन मुखबिर पुरस्कार योजना 2018**' शीर्षक से नई पुरस्कार योजना जारी की है। इस योजना का उद्देश्य छिपे हुए निवेशकों और लाभकारी स्वामियों द्वारा किए गए बेनामी लेनदेन तथा संपत्तियों तथा ऐसी संपत्तियों पर अर्जित आय के बारे में सूचना देने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना है।
- 'बेनामी लेनदेन मुखबिर पुरस्कार योजना, 2018' के अंतर्गत बेनामी लेनदेन तथा संपत्तियां तथा ऐसी संपत्तियों से हुई प्राप्तियों जो बेनामीलेनदेन (निषेध) संशोधन अधिनियम, 2016 द्वारा संशोधित बेनामी संपत्ति लेनदेन अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई योग्य हैं, के बारे में निर्धारित प्रक्रिया के तहत आयकर विभाग के जांच निदेशालय में संयुक्त या अपर आयुक्त (बेनामी निषेध इकाई) को सूचना देने वाला व्यक्ति एक करोड़ रुपये तक का पुरस्कार प्राप्त कर सकता है।
- इस पुरस्कार के लिए विदेशी भी पात्र होंगे। सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान प्रकट नहीं की जाएगी और पूरी गोपनीयता बरती जाएगी।

4. पशु कल्याण बोर्ड का उद्देश्य

- सन 1962 में पशु क्रूरता निवारण कानून, 1960 के खण्ड चार के तहत भारतीय पशु कल्याण बोर्ड का गठन किया गया था। बोर्ड पशु कल्याण से संबंधित कानूनों का देश में सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करता है और इस कार्य से जुड़ी संस्थाओं की मदद करता है और केंद्र और राज्य सरकारों को इस संबंध में परामर्श देता है। कानून के मुताबिक बोर्ड में 28 सदस्य हैं

जिसमें 6 सांसद हैं (4 लोकसभा से और 2 राज्य सभा से)। बोर्ड का उद्देश्य है कि मनुष्यों को छोड़कर सभी प्रकार के जीवों की तकलीफ, पीड़ा और दर्द से बचाव करना -

5. भारत के 115 आकांक्षी जिलों में स्वजल लॉन्च

- इस योजना के तहत सौर ऊर्जा की मदद से गांवों में पाइप के जरिए पेयजल की आपूर्ति की जाएगी। स्वजल इकाइयों के संचालन और रख-रखाव के लिए सैकड़ों ग्रामीण तकनीशियनों को प्रशिक्षित किया जाएगा।
- वर्ष भर में हर घर में स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के अलावा, यह परियोजना रोज़गार भी पैदा करेगी.
- निरंतर पेयजल आपूर्ति के लिए स्वजल एक समुदाय-स्वामित्व वाला पेयजल कार्यक्रम है. इस योजना के तहत, परियोजना लागत का 90% सरकार द्वारा ध्यान रखा जाएगा और परियोजना लागत का शेष 10% समुदाय द्वारा योगदान किया जाएगा.

6. राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी

- सूचना व संचार तकनीक (एनएमईआरसीटी) के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के तत्वावधान में भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी (एनडीएलआई), मानव संसाधन विकास मंत्रालय की एक परियोजना है।
- National Digital Library का लक्ष्य देश के सभी नागरिकों को डिजिटल शिक्षण संसाधन उपलब्ध कराना है तथा ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्हें सशक्त, प्रेरित और प्रोत्साहित करना है।
- एनडीएल भारत तथा विदेशों के शिक्षा संस्थानों से अध्ययन सामग्री एकत्र करने का एक प्लेटफॉर्म है।
- यह एक डिजिटल पुस्तकालय है, जिसमें पाठ्य पुस्तक, निबंध, वीडियो-आडियो पुस्तकें, व्याख्यान, उपन्यास तथा अन्य प्रकार की शिक्षण सामग्री शामिल है।
- इस डिजिटल लाइब्रेरी को देश के लिए समर्पित करने के साथ ही डिजिटल भारत के एक नये युग की शुरूआत हो गई है। कोई भी व्यक्ति, किसी भी समय और कहीं से भी राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी का उपयोग कर सकता है। यह सेवा नि:शुल्क है और 'पढ़े भारत, बढ़े भारत' के संदर्भ में सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
- NDLI में 200 भाषाओं में 160 स्रोतों की 1.7 करोड़ अध्ययन सामग्री उपलब्ध है। लाइब्रेरी के अंतर्गत 30 लाख उपयोगकर्ताओं का पंजीयन हुआ है और हमारा लक्ष्य है कि प्रति वर्ष इस संख्या में 10 गुनी वृद्धि हो।

GENERAL STUDIES HINDI

7. 'निजी क्षेत्र : भूतल में मौजूद खनिजों की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका

- केन्द्र सरकार ने स्वत: रूट के जरिये खनन क्षेत्र के साथ-साथ धातु एवं गैर-धातु अयस्कों की खोज में 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को मंजूरी दे दी है, जिससे इस क्षेत्र के विकास में काफी तेजी आएगी।
- खनन व्यवसाय में बड़ी संख्या में छोटी कंपनियां संलग्न है। अब इस क्षेत्र में खनन कंपनियों के कंसोर्टियम के जरिये समेकन करने का वक्त आ गया है।
- हमारे देश में निम्न श्रेणी वाले खनिज बड़ी मात्रा में उपलब्ध है। इस दिशा में ओडिशा स्थित बॉक्साइट के भंडार का उदाहरण दिया जा सकता है।

8. सूर्य जैसे तारे के निकट उप-शनि जैसे ग्रह की खोज

- अहमदाबाद के भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला (पीआरएल) के प्रोफेसर अभिजीत चक्रवर्ती के नेतृत्व में वैज्ञानिकों व इंजीनियरों की एक टीम ने सूर्य जैसे तारे के निकट एक उप-शनि जैसे

ग्रह या सुपर नेप्च्यून आकार के ग्रह (पृथ्वी के द्रव्यमान का 27 गुना तथा पृथ्वी की त्रिज्या की 6 गुनी) की खोज की है।

- इस ग्रह को ईपीआईसी 211945201बी या के2-236बी का नाम दिया गया है।
- यह शोध आलेख अमेरिकी एसट्रोनोमिकल सोसाइटी की पत्रिका में ऑनलाइन प्रकाशित हुआ है और इसे आईओपी पब्लिशिंग ने प्रकाशित किया है।
- इस ग्रह की खोज, ग्रह के द्रव्यमान को मापने के आधार पर की गई।
- मापन कार्य स्वदेशी तकनीक से निर्मित पीआरएल एडवांस रेडिएल-वेलोसिटी अबू-स्काई सर्च (पीएआरएएस) स्पेक्ट्रोग्राफ के द्वारा किया गया।
- यह स्पेक्ट्रोग्राफ भारत के माउंट आबू स्थित गुरूशिखर वेधशाला के 1.2एम टेलीस्कोप से एकीकृत है। अब तक केवल 23 ऐसी ग्रह प्रणालियों की खोज हुई है, जिनका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 10 से 70 गुना अधिक है और जिनकी त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से 4 से 8 गुनी अधिक है। यह खोज उप-शनि जैसे ग्रहों या सुपर नेप्च्यून जैसे ग्रहों की निर्माण प्रक्रिया को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
- इस खोज के साथ भारत उन गिने-चुने देशों में शामिल हो गया है, जो हमारे सौर प्रणाली से बाहर के ग्रहों की खोज करने में सफल हुए हैं। इसके अलावा पारस (पीएआरएएस) पूरे एशिया में अपने किस्म का इकलौता स्पेक्ट्रोग्राफ है, जो सूर्य के चारों ओर घूम रहे ग्रह के द्रव्यमान को माप सकता है। पूरे विश्व में ऐसे कुछ ही स्पेक्ट्रोग्राफ हैं जो द्रव्यमान मापने का कार्य इतनी सटीकता के साथ कर सकते हैं।

9. स्कोच अवार्ड

- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा वादे पूरे किये जाने और पिछले चार साल के दौरान महत्वपूर्ण उपलब्धियों और पहलों के लिए इसकी प्रशंसा करते हुए स्कोच (एसकेओसीएच) ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को 'बेस्ट परफॉर्मिंग सोशल सेक्टर मिनिस्ट्री' अवार्ड से नवाजा है

10. एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (एआईआईबी)

- एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (एआईआईबी) एक बहुपक्षीय विकास बैंक है, जिसका मिशन एशिया एवं उससे परे सामाजिक एवं आर्थिक विकास को बेहतर करना है।
- इसका मुख्यालय बीजिंग में है।
- इसके परिचालन का शुभारंभ जनवरी, 2016 में हुआ और पूरे विश्व में इसके अनुमोदित सदस्यों की संख्या बढ़कर 86 हो गई है।
- टिकाऊ बुनियादी ढांचे और अन्य उत्पादक क्षेत्रों में निवेश करके लोगों, सेवाओं और बाजारों को बेहतर ढंग से कनेक्ट किया जाएगा, जिससे आगे चलकर अरबों लोगों का जीवन स्तर बेहतर होगा तथा इसके साथ ही बेहतर भविष्य का निर्माण होगा।

11. वन धन मिशन

- वन धन मिशन गैर-लकड़ी के वन उत्पादन का उपयोग करके जनजातियों के लिए आजीविका के साधन उत्पन्न करने की पहल है।
- जंगलों से प्राप्त होने वाली संपदा, जो कि वन धन है, का कुल मूल्य दो लाख करोड़ प्रतिवर्ष है।
- इस पहल से जनजातीय समुदाय के सामूहिक सशक्तिकरण को प्रोत्साहन मिलेगा।
- वन धन योजना का उद्देश्य परंपरागत ज्ञान और कौशल को सूचना प्रौद्योगिकी की मदद से और निखारना भी है।

- वन संपदा समृद्ध जनजातीय जिलों में वन धन विकास केंद्र जनजातीय समुदाय के जरिये संचालित होंगे।

- एक केंद्र 10 जनजातीय स्वयं सहायता समूह का गठन करेगा। प्रत्येक समूह में 30 जनजातीय संग्रहकर्ता होंगे।
- एक केंद्र के जरिये 300 लाभार्थी इस योजना में शामिल होंगे।
- एक परिवर्तनकारी पहल के तहत प्रधानमंत्री ने जनजातीय मंत्रालय और ट्राई फैड की वन धन योजना का अंबेडकर जयंती समारोह में बीजापुर, छत्तीसगढ़ में 14 अप्रैल, 2018 को उद्घाटन किया था

12. कर्नाटक के पदुर और ओडिशा के चांदीखोल में 6.5 एमएमटी क्षमता के अतिरिक्त आपातकालीन पेट्रोलियम भंडार स्थापित करने को मंजूरी

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दो जगहों यानी कर्नाटक के पदुर और ओडिशा के चांदीखोल में 6.5 मीट्रिक टन (एमएमटी) क्षमता के अतिरिक्त आपातकालीन पेट्रोलियम भंडार (एसपीआर) स्थापित करने और इन दोनों एसपीआर के लिए समर्पित एसपीएम (सिंगल पॉइंट मूरिंग) के निर्माण को मंजूरी दी है। चांदीखोल और पदुर के लिए एसपीआर प्रतिष्ठान भूमिगत

(अंडरग्राउंड रॉक कैवर्न) होंगे और उनकी क्षमता क्रमशः 4 एमएमटी और 2.5 एमएमटी होगी। सरकार ने वर्ष 2017-18 की बजट घोषणा में दो अतिरिक्त एसपीआर स्थापित करने की घोषणा की थी।

- भारत सरकार से बजटीय सहायता कम करने के लिए पीपीपी मॉडल के तहत इस परियोजना को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है। इस प्रकार की सहभागिता के लिए नियमों और शर्तों का निरधारण वित्त मंत्रालय के साथ विचार-विमर्श के बाद पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। इससे पहले संभावित निदेशक सहित बाजार की जरूरतों को समझने के लिए रोड शो का आयोजन भी किया जाएगा।
- आईएसपीआरएल तीन जगहों – विशाखापत्तनम (1.33 एमएमटी), मंगलूर (1.5 एमएमटी) और पदुर (2.5 एमएमटी) – 5.33 एमएमटी कच्चे तेल के भंडारण के लिए अंडरग्राउंड रॉक कैवर्न का निर्माण पहले ही कर चुके हैं। वित्त वर्ष 2016-17 के लिए खपत आंकड़ों के अनुसार, एसपीआर कार्यक्रम के पहले चरण के तहत कुल 5.33 एमएमटी क्षमता से करीब 10 दिनों के लिए भारत की कुल कच्चे तेल की जरूरतों के लिए आपूर्ति की जा सकती है। 6.5 एमएमटी के अतिरिक्त आपातकालीन पेट्रोलियम भंडार स्थाअपित करने को मंत्रिमंडल की मंजूरी से करीब 12 दिनों के लिए अतिरिक्त आपूर्ति सुनिश्चित होगी और इससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा को बल मिलने की उम्मीद है।

13. सार्वजनिक तेल कंपनियों को सप्लाई के लिए इथनॉल मूल्य की समीक्षा को मंजूरी

In news

केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (सीसीईए) ने इथनॉल युक्त पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम चलाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों द्वारा इथनॉल खरीद व्यवस्था बनाने – सार्वजनिक तेल कंपनियों को सप्लाई के लिए इथनॉल मूल्य की समीक्षा को मंजूरी दे दी है।
सीसीईए ने अब इथनॉल आपूर्ति अवधि 01 दिसंबर, 2018 से 30 नवंबर, 2019 के दौरान आगामी गन्ना सत्र 2018-19 के लिए निम्नलिखित स्वीकृति दी है:

- सी - भारी शीरे से बने इथनॉल का कर रहित मील मूल्य 43.70 रूपये प्रति लीटर निर्धारित करना (वर्तमान मूल्य 40.85 रुपये से) । इसके अतिरिक्त जीएसटी तथा परिवहन शुल्क देय होंगे।
- बी – भारी शीरे से निकाले गए इथनॉल तथा गन्ना रस का कर रहित मील मूल्य 47.49 रुपये प्रति लीटर निर्धारित करना। इसके अतिरिक्त जीएसटी तथा परिवहन शुल्क देय होंगे।
- गन्ना सत्र 2018-19 के लिए इथनॉल का मूल्य अनुमानित एफआरपी पर आधारित है। इसलिए इसका संशोधन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा सरकार की ओर से घोषित वास्तविक उचित तथा लाभकारी मूल्य के अनुसार किया जाएगा।
- इथनॉल आपूर्ति वर्ष 2019-20 के लिए पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मूल्य शीरे तथा गन्ने के एफआरपी से बनी चीनी की मानक लागत के अनुसार संशोधित किया जाएगा।
- सभी डिस्टिलरी योजना का लाभ ले सकेंगी। आशा है कि बड़ी संख्या में डिस्टिलरी ईबीपी कार्यक्रम के लिए इथनॉल सप्लाई करेंगी। इथनॉल आपूर्ति करने वालों को लाभकारी मूल्य देने से गन्ना किसानों की बकाया राशि कम करने में मदद मिलेगी और इस तरह गन्ना किसानों की कठिनाइयां दूर होंगी।
- ईबीपी (Ethanol Blending Programme) कार्यक्रम के लिए इथनॉल की उपलब्धता काफी बढ़ने की आशा है। यह वृद्धि सी – भारी शीरा आधारित इथनॉल की ऊंची कीमत तथा बी – भारी शीरे से निकाले गए तथा गन्ने के रस से निकाले गए इथनॉल की खरीद में मदद मिलेगी। पेट्रोल में अधिक मात्रा में इथनॉल मिलाने के अनेक लाभ हैं। इससे आयात निर्भरता कम

होगी, कृषि क्षेत्र को समर्थन मिलेगा, पर्यावरण अनुकूल ईंधन मिलेगा, प्रदूषण कम होगातथा किसानों को अतिरिक्त आय होगी।

- सरकार 2014 से इथनॉल का प्रशासित मूल्य अधिसूचित कर रही है। इस निर्णय से पिछले चार वर्षों में इथनॉल की सप्लाई में काफी सुधार हुआ है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों द्वारा इथनॉल की खरीद में वृद्धि हुई है। इन कंपनियों ने आपूर्तिवर्ष 2013-14 में 38 करोड़ लीटर इथनॉल की खरीद की जो 2017-18 में बढंकर 140 करोड़ लीटर हो गई।

इस गन्ना सत्र में गन्ना तथा गन्ना उत्पाद में वृद्धि हुई है, जिससे गन्ना का भाव कम हुआ है। इसके परिणामस्वरूप गन्ना उद्योग द्वारा किसानों को किए जाने वाले भुगतान की कम क्षमता के कारण गन्ना किसानों की बकाया राशि बढ़ी है। सरकार ने किसानों की बकाया राशि को कम करने के लिए अनेक निर्णय लिए हैं।चीनी मीलों/डिस्टिलरी के राजस्व प्राप्ति का एक हिस्सा इथनॉल है। इसलिए सरकार ने सी – भारी शीरे से तैयार इथनॉल के मूल्य की समीक्षा करने का निर्णय लिया है।

सरकार पहली बार बी – भारी शीरा तथा गन्ना रस मूल्य निर्धारित कर रही है। इससे किसानों को भुगतान करने की गन्ना उद्योग की क्षमता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा तथा ईबीपी कार्यक्रम के लिए इथनॉल की उपलब्धता बढ़गी। यह मई, 2018 के दौरान सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय जैवईंधन नीति – 2018 के अनुरूप है, जिसमें इथनॉल उत्पादन के लिए कच्ची सामग्री के दायरे को बढ़ाया गया है।

पृष्ठभूमि:

सरकार ने 2003 में पायलट आधार पर इथनॉल युक्त पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम प्रारंभ किया था। बाद में वैकल्पिक तथा पर्यावरण अनुकूल ईंधनों के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए इसका विस्तार अधिसूचित 21 राज्यों तथा 4 केंद्र शासित प्रदेशों में किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए आयात निर्भरता को कम करना तथा कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना है।

14. भारत को उसका 37वां विश्व यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल

- भारत के 'मुंबई के विक्टोरियन गोथिक एवं आर्ट डेको इंसेबल्स' को यूनेस्को की विश्व धरोहर संपदा की सूची में अंकित किया गया।
- इससे मुंबई सिटी अहमदाबाद के बाद भारत में ऐसा दूसरा शहर बन गया है जो यूनेस्को की विश्व धरोहर संपदा की सूची में अंकित है।

15. 'रीयूनाईट' APP

- यह एप भारत में खोए हुए बच्चों का पता लगाने में सहायता प्रदान करेगा।
- इस एप के माध्यम से मातापिता बच्चों की तश्वीरें, बच्चों के विवरण जैसे नाम, पता, जन्म चिन्ह आदि अपलोड कर सकते हैं, पुलिस स्टेशन को रिपोर्ट कर सकते हैं तथा खोए बच्चों की पहचान कर सकते हैं। खोए हुए बच्चों की पहचान करने के लिए एमेजनरिकोगनिशन, वेब आधारित फेशियल रिगोगनिशन जैसी सेवाओं का उपयोग किया जा रहा है। यह एप एंड्राएड और आईओएस दोनों ही प्लेटफार्म पर उपलब्ध है।

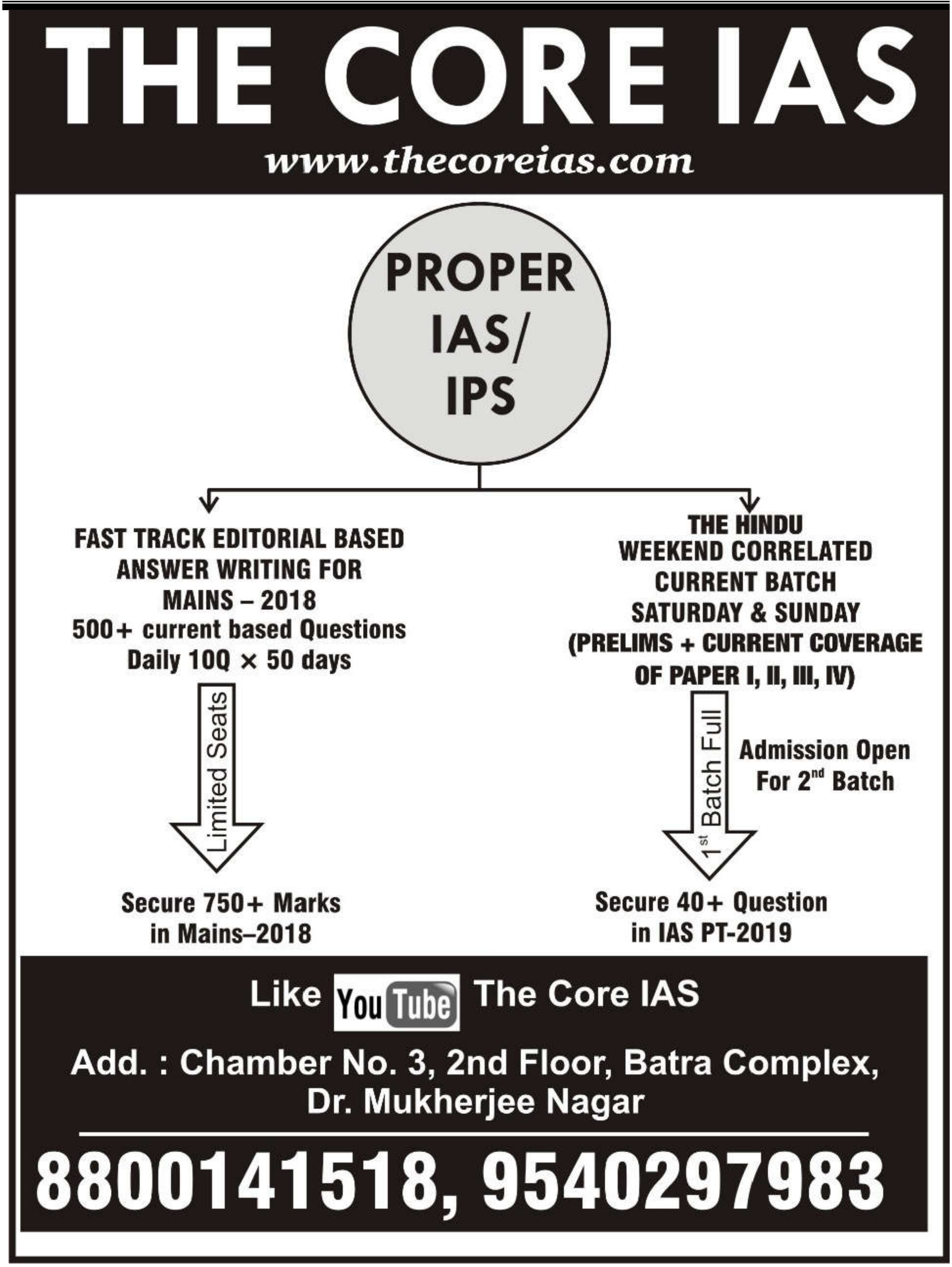
THE CORE IAS
www.thecoreias.com
PROPER IAS/ IPS
FAST TRACK EDITORIAL BASED ANSWER WRITING FOR MAINS – 2018
500+ current based Questions
Daily 10Q × 50 days
Limited Seats
Secure 750+ Marks in Mains–2018
THE HINDU WEEKEND CORRELATED CURRENT BATCH SATURDAY & SUNDAY (PRELIMS + CURRENT COVERAGE OF PAPER I, II, III, IV)
1st Batch Full
Admission Open For 2nd Batch
Secure 40+ Question in IAS PT-2019
Like YouTube The Core IAS
Add. : Chamber No. 3, 2nd Floor, Batra Complex, Dr. Mukherjee Nagar
8800141518, 9540297983

Polity

1. सुप्रीम कोर्ट ने एससी-एसटी कर्मचारियों के लिए प्रमोशन में आरक्षण को मंजूरी दी

सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण देने की इजाजत दे दी है. शीर्ष अदालत ने कहा कि मौजूदा कानून के हिसाब से यह व्यवस्था इस मामले में संवैधानिक बेंच का अंतिम फैसला आने तक लागू रह सकती है. सुप्रीम कोर्ट एससी-एसटी कर्मचारियों को पांच साल बाद भी प्रमोशन में आरक्षण देने संबंधी केंद्र सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह मंजूरी दी है.

Indra Sawhney vs Union of India case

1992 में बहुचर्चित इंदिरा साहनी मामले में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार 1997 तक प्रमोशन में पांच साल तक आरक्षण देने की व्यवस्था लागू थी. लेकिन अगस्त 1997 में केंद्र ने नई अधिसूचना लाकर प्रमोशन में आरक्षण को पूरे सेवाकाल तक बढ़ा दिया था. लेकिन इस फैसले को एनजीओ ऑल इंडिया इक्वालिटी फोरम और अन्य लोगों ने दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दे दी थी. इस पर सुनवाई करने के बाद 23 अगस्त 2017 को हाई कोर्ट ने अगस्त 1997 में जारी अधिसूचना को रद्द कर दिया था. दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने नवंबर 2017 में इस मामले को अपनी संवैधानिक बेंच को सौंप दिया था. रिपोर्ट के मुताबिक इस संवैधानिक बेंच को इस पर विचार करना है कि पिछड़ेपन का आकलन एससी-एसटी कर्मचारियों के लिए प्रमोशन में आरक्षण का आधार होना चाहिए या नहीं.

वास्तव में, यह पूरा मामला एम नागराज मामले में सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच के फैसले पर पुनर्विचार से जुड़ा है. इसमें शीर्ष अदालत ने कहा था कि एससी-एसटी के लिए प्रमोशन में आरक्षण की व्यवस्था को लागू करने से पहले राज्यों को उनके पिछड़ेपन, सरकारी सेवाओं में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व और संपूर्ण प्रशासनिक दक्षता से जुड़े कारणों की जानकारी देनी होगी. राज्य सरकारें संविधान के अनुच्छेद 16 (4ए) और अनुच्छेद 16(4बी) के तहत एससी-एसटी कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण दे सकती हैं. लेकिन 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने इन प्रावधानों के इस्तेमाल की शर्तों को सख्त बना दिया था. प्रमोशन में आरक्षण देने के पीछे का मूल विचार वंचित तबके के कर्मचारियों का प्रशासनिक व्यवस्था के शीर्ष पदों पर पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है

Geography

1. **नीति आयोग की यह चेतावनी भारत के लिए एक बड़े संकट का इशारा है**

भारत इतिहास में अब तक के सबसे भीषण पानी के संकट का सामना कर रहा है. नीति आयोग ने कम्पोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स (सीडब्ल्यूएमआई) की रिपोर्ट जारी करते हुए यह बात कही.

- आयोग का कहना है कि इस संकट के चलते लाखों लोगों की आजीविका और जिंदगी खतरे में है.
- आयोग ने चेतावनी भी दी है कि हालात और बदतर होने वाले हैं. उसके मुताबिक साल 2030 तक देश में पानी की मांग मौजूदा आपूर्ति से दोगुनी हो सकती है.
- आयोग की बातों से संकेत मिलते हैं कि भारत में करोड़ों लोगों के लिए पानी की उपलब्धता गंभीर रूप से कम हो सकती है.
- कहा जा रहा है कि इससे देश का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) छह प्रतिशत तक कम हो सकता है. आयोग के मुताबिक
- भारत में इस समय 60 करोड़ लोग पानी के संकट से प्रभावित हैं. साफ और सुरक्षित पानी नहीं मिलने की वजह से हर साल करीब दो लाख लोगों की मौत होती है.
- नीति आयोग का कहना है कि पानी के मुद्दे पर केंद्र और राज्यों को आपसी सहयोग में सुधार लाने की जरूरत है. आयोग ने कहा, '(सहयोग में कमी की वजह से) देश की नदियों को लेकर

सात बड़े विवाद चल रहे हैं जिनमें 11 राज्य शामिल हैं. कृषि प्रोत्साहन जैसी नीतियों को लेकर भी तालमेल सीमित है.'

2. यूजीसी की जगह एचईसी

#नवभारत टाइम्स

Context:

सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग) यूजीसी (को भंग करके इसकी जगह उच्चतर शिक्षा आयोग के गठन की प्रक्रिया शुरू की है

Analysis

- यूजीसी की एक कमी यह रही कि वह विश्वविद्यालयों को विदेशों से फैकल्टी आमंत्रित करने की राह में आने वाली अड़चनों को दूर नहीं कर पाया।
- नए कोर्स शुरू करने जैसे सवालों पर स्वायत्तता की कमी विश्वविद्यालयों को बदलते वक्त की जरूरतों के अनुरूप ढालने के मार्ग में बाधा बनी रही। कहा जा रहा है कि नया कानून उच्च शिक्षा का स्तर ऊंचा करने में सहायक सिद्ध होगा। इस उम्मीद का एक आधार यह है कि प्रस्तावित एचईसी का फोकस ऐकडेमिक मसलों पर ही रहेगा। फंड देने की जिम्मेदारी से उसको मुक्त रखा जाएगा। यह जिम्मेदारी फिलहाल मानव संसाधन मंत्रालय के पास ही रहेगी।
- फंड देने का काम सीधे मंत्रालय के अधीन रखने के अपने खतरे हैं, लेकिन अभी तो सबसे बड़ी चिंता यह है कि देश में उच्च शिक्षा को विनियमित करने का काम ढंग से शुरू भी नहीं हो पाया है।
- सरकार की ताजा पहल को लेकर बहुत सारे सवाल हो सकते हैं, पर इसमें कोई शक नहीं कि यह उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव के अजेंडे को सामने लाती है। इसे व्यवहार में परखने की जरूरत है, ताकि आगे बढ़ते हुए समाज, इंडस्ट्री और रोजगार की जरूरतों के अनुरूप आधुनिक शिक्षा की व्यवस्था बनाई जा सके

3. चौथे स्तंभ के स्याह सच की बानगी

#Dainik_Tribune

Recent context

अन्य बातों के अलावा कोबरा पोस्ट द्वारा किए गए स्टिंग ऑपरेशन ने इस पहलू पर रोशनी डाली है कि आज पेड न्यूज का प्रसार किस कदर पैठ बना चुका है। वैसे भारत में इस तरह का आरोप कोई नया या अनोखा नहीं है। तकरीबन पिछले दशक या उससे कुछ साल पहले फैली वैश्विक मंदी की मार की वजह से बहुत से भारतीय मीडिया संस्थानों में विज्ञापन से होने वाली कमाई में धन का प्रवाह खासा कम हुआ है। वहीं इस अवधि में इंटरनेट के इस्तेमाल में गुणात्मक वृद्धि भी दर्ज हुई है और यह ऐसा माध्यम है, जिसमें पाठक, दर्शक या श्रोता को इन सुविधाओं के लिए कोई पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती और यह प्रवृत्ति उसकी आदत बन गई है। अन्य देशों की तरह भारत में भी आर्थिक मंदी और वैश्विक वेब-दुनिया के प्रसार वाली दोहरी मार ने अधिकांश बड़े मीडिया घरानों की कमाई वाले तंत्र को खासी चोट पहुंचाई है, बहुतों ने छंटनी की है। विज्ञापनों में होती गिरावट की एवज में इन मीडिया संस्थानों की अपनी कमाई हेतु निर्भरता उत्तरोतर सरकारी संस्थानों और सत्ताधारी प्रशासन पर बढ़ती गई है।

कोबरा पोस्ट के स्टिंग ऑपरेशनों की वजह से भारत के मीडिया में इस किस्म की 'राजनीतिक आर्थिकी' के पहलुओं ने काफी ध्यान आकर्षित किया है। इन रहस्योद्घाटनों ने प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की सब-कमेटी द्वारा पेश की गई उस रिपोर्ट पर फिर से एक बार ध्यान दिलवाया है जिसका शीर्षक है : **'पेड न्यूज : भारतीय मीडिया में पेड न्यूज ने किस कदर लोकतांत्रिक मूल्यों को नुकसान पहुंचाया है।'**

- पेड मीडिया की शिनाख्त इतनी सरल नहीं होती क्योंकि इसमें ज्यादातर लेन-देन ब्लैकमनी में किया जाता है। हालांकि कोबरा पोस्ट की स्टिंग वीडियो से 'डंसे गए' कुछ लोगों ने दावा किया है कि वे इन समाचार संस्थानों को जारी किए गए समाचार रूपी विज्ञापनों को जारी करने के काम में शामिल नहीं हैं।
- पेड न्यूज की भरोसेमंद सत्यापना तभी साबित हो सकती है जब इसमें शामिल और करवाने वाले लोग खुद ही यह कुबूल कर लें कि उन्होंने ऐसा करके अनेक कानूनों को भंग किया है जिसमें धोखाधड़ी, कपट, जनप्रतिनिधियों का चुनाव और कर बचाने जैसे अपराध शामिल हैं। यही कारण है कि कोबरा पोस्ट द्वारा प्रस्तुत सुबूत भी चोरी-छिपे और चालाकी से बनाई वीडियो के जरिए ही सामने आ सका है।

2009 Case of Paid News:

- पत्रकार पी. साईनाथ ने तो अक्तूबर 2009 में ही महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के कुछ दिन ही पहले पेड न्यूज पर अपनी खबर में भंडाफोड़ कर दिया था। उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण पर सिलसिलेवार बनाई अपनी रपटों में इस गड़बड़झाले का पर्दाफाश किया था। उन्होंने बताया कि कैसे तीन बड़े समाचार पत्रों के कुल मिलाकर 15 संस्करणों में हूबहू शब्दों में एक जैसी रिपोर्टें छपी थीं, तिस पर तुर्रा यह कि हरेक समाचार पत्र ने अपने-अपने पत्रकारों को बाकायदा इसके लिए बाईलाइन दी थी (वह खबर जिसमें संवाददाता का नाम उद्धृत किया जाता है)। इनके नाम है लोकमत, पुधरी और महाराष्ट्र टाइम्स। जुलाई, 2009 में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने पेड न्यूज के इस आरोप की जांच हेतु दो सदस्यीय समिति बनाई थी
- छह महीनों में लगभग 100 से अधिक संबंधित व्यक्तियों के लिखित और जुबानी बयानों पर विचार करने के बाद इस दल ने अपनी रिपोर्ट प्रेस काउंसिल को सौंप दी थी। इसमें पेड न्यूज के बहुत से मामलों की तफ्सील के अतिरिक्त वे उपाय प्रस्तावित किए गए थे, जिनको अपनाकर इस कुप्रथा को रोका जा सकता है। इनमें कुछ नाम उन अखबारों के हैं, जिनकी प्रसार संख्या बहुत ज्यादा है। जो हिंदी अखबारों में प्रसार के हिसाब से क्रमशः नंबर एक और दो पर आते हैं। ठीक यही कुछ मराठी की सबसे बड़ी अखबार ने किया था। इस वर्ग में हिंदी और पंजाबी में बहुत बड़ी संख्या में छपने वाली और तेलुगू की बड़ी अखबारों का नाम भी शामिल है। उपसमिति की उक्त रिपोर्ट का न सिर्फ प्रेस काउंसिल ने संज्ञान लिया था बल्कि सभी अखबारों को अपना-अपना पक्ष प्रस्तुत करने का मौका भी दिया गया । इनमें से कुछ मीडिया संस्थानों ने प्रेस काउंसिल को अपना पक्ष न रखने वाला रास्ता चुना था। उपसमिति द्वारा सौंपी गई रपट के बाद अप्रैल 2010 में जो घटनाक्रम बना, उसका जिक्र करना यहां मौजू है।

प्रेस काउंसिल के तत्कालीन अध्यक्ष न्यायमूर्ति जी.एन. रे ने एक प्रारूप समिति का गठन किया था, जिसकी रिपोर्ट में भी कमोबेश वही कुछ वर्णित था जो उपरोक्त बताई उपसमिति ने अपने निष्कर्षों और आकलन में सुझाया था। इसके बाद उसी साल 31 जुलाई को प्रेस काउंसिल ने प्रस्तुत प्रस्ताव पर उपस्थित सदस्यों द्वारा हाथ उठाकर अपना समर्थन व्यक्त करने वाली मतदान प्रक्रिया के जरिए यह निर्णय लिया कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को सौंपी जाने वाली बृहद रिपोर्ट में उपसमिति की पूरी रिपोर्ट को नत्थी नहीं किया जाएगा। इस बैठक का औपचारिक रिकॉर्ड नहीं बनाया गया और कितने सदस्यों ने पक्ष में या कितनों ने विरोध किया, उसका भी कुछ लेखा-जोखा नहीं रखा गया। 31 जुलाई को हुई इस बैठक में प्रेस काउंसिल के अध्यक्ष और सचिव समेत कुल 30 सदस्यों में से 24 सदस्य उपस्थित थे। इनमें 12 सदस्यों ने उस प्रस्ताव का विरोध किया था, जिसमें कहा गया था कि उपसमिति को पूरी रिपोर्ट को मंत्रालय को सौंपे जाने वाले दस्तावेजों में नत्थी किया जाए, 3 ने मतदान से अपने को

अलहदा रखा और केवल 9 सदस्यों ने पक्ष में मतदान किया जो कि कुल उपस्थिति का एक-तिहाई से कम बनते थे। इसका हश्र यह हुआ कि दोषियों को चिन्हित करके 'अपराधी' की श्रेणी में रखने वाली 36000 शब्दों की विस्तृत रिपोर्ट अंततः सिमटकर महज सरसरी जिक्र करने वाला एक फुटनोट बनकर गई।
निहित स्वार्थ वाले प्रेस काउंसिल के उक्त सदस्यों की हरचंद कोशिशों के बावजूद उपसमिति की रिपोर्ट पब्लिक डोमेन पर किसी तरह उजागर हो गई क्योंकि सभी सदस्यों को भेजी गई ई-मेल में इस रिपोर्ट की कम से कम 30 प्रतिलिपियां साइबरस्पेस में मौजूद थीं। तथ्य तो यह है कि लीक हुई इस रिपोर्ट ने कहीं ज्यादा लोगों का ध्यान खींचा जो शायद तब इतना न हो पाता यदि प्रेस काउंसिल खुद ही इसे पहले जारी कर देती। चूंकि प्रसार में आई यह रिपोर्ट तकनीकी रूप से अगले 14 महीनों के लिए तब तक 'आधिकारिक' नहीं थी जब तक कि केंद्रीय सूचना आयोग ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत लगाई गई मनु मौदगिल की शिकायत पर प्रेस काउंसिल को यह निर्देश नहीं दिया था कि उक्त रिपोर्ट को 10 अक्तूबर, 2011 तक अपनी वेबसाइट पर बाकायदा प्रकाशित करे और इसकी पालना हुई। भारत का मीडिया जगत आज कॉर्पोरेट प्रभाव के अधीन है क्योंकि अधिकांश के मालिक कॉर्पोरेट घरानों के पंचाट से ताल्लुक रखते हैं। इनकी स्थापना और संचालन का एकमेव मंतव्य है: अधिक से अधिक मुनाफा बनाना। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का 'चौथा स्तंभ' एक हिस्सा सच की तलाश और सत्ता में ताकतवर पदों पर बैठे लोगों की गलतियों पर उन्हें सीधा जिम्मेवार ठहराने की बजाय अपने व्यावसायिक हितों को बचाने को तरजीह दे रहा है। प्रेस की आजादी और सत्ता में बैठे लोगों के सामने डटते हुए समाज में पारदर्शिता बनाने की जो इसकी समर्था है, वह मीडिया के अंदर मौजूद काली भेड़ों की वजह से समझौतापरक बन गई है और इन्हीं तथ्यों की ओर कोबरा पोस्ट के हालिया स्टिंग में उजागर हुई करतूतें ध्यान दिलवाती हैं।

Environment

1. जलवायु परिवर्तन : Impact which we can see in future

जलवायु परिवर्तन को लेकर 2015 में हुए पेरिस समझौते से अमेरिका हाथ पीछे खींच चुका है. इस अहम समझौते में औसत वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी को दो डिग्री से कम रखने पर सहमति बनी है. बल्कि कोशिशें होनी हैं कि इस बढ़ोतरी को 1.5 डिग्री तक ही सीमित कर दिया जाए. लेकिन सम्मेलन से पहले इन 185 देशों ने पर्यावरण से जुड़े जो कदम उठाने का वादा किया था उन्हें देखते हुए पहले ही कहा जाने लगा था कि तापमान में बढ़ोतरी को दो डिग्री से कम रखने का यह लक्ष्य संभव नहीं लगता. अब तो दुनिया के दूसरे सबसे बड़े प्रदूषणकारक देश अमेरिका ने इस समझौते से पीछे हटने का ऐलान ही कर दिया है. जानकार मान रहे हैं कि अब तापमान में बढ़ोतरी का यह आंकड़ा 2.7 डिग्री पर जाकर ठहरेगा. पिछले चार साल यानी 2014, 2015, 2016 और 2017 धरती पर अब तक के सबसे गर्म साल रहे हैं. कोई हैरत नहीं कि 2018 और आगे निकल जाए. जानकारों के मुताबिक पूरी संभावना है कि वैश्विक औसत तापमान में एक डिग्री की बढ़ोतरी हो चुकी है.

- दो डिग्री बढ़ोतरी के खतरनाक रास्ते का आधा सफर पूरा हो चुका है. दुनिया में हर जगह औसत तापमान में बढ़ोतरी महसूस की जा रही है. यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और एशिया में लू की घटनाओं का ग्राफ लगातार ऊपर जा रहा है.
- मौसम बदल रहा है, यह भारी बरसात की घटनाओं से भी समझा जा सकता है जिनमें बीते कुछ समय के दौरान लगातार बढ़ोतरी हुई है. वैश्विक स्तर पर देखें तो 1980 से 2010 के दौरान रिकॉर्डतोड़ बरसात की घटनाएं सामान्य से 12 फीसदी ज्यादा रहीं.

- बढ़ोतरी का यह आंकड़ा दक्षिण पूर्व एशिया में 56 फीसदी तक रहा जबकि यूरोप में यह 31 और मध्य अमेरिका में 24 फीसदी रहा. ग्लोबल वार्मिंग के चलते बारिश में बढ़ोतरी की जो आशंकाएं जताई जाती हैं उनसे भी ये आंकड़े मेल खाते हैं.
- गर्मी ज्यादा होगी तो समुद्र से ज्यादा भाप भी उठेगी और इसके चलते एक छोटी अवधि में ही किसी जगह पर भारी बरसात और अचानक बाढ़ की संभावना बढ़ेगी. इस संदर्भ में जून, 2013 की केदारनाथ त्रासदी को याद किया जा सकता है जब तीन दिन तक हुई लगातार बारिश ने हजारों लोगों की बलि ले ली थी.
- पानी से उपजने वाला संकट सिर्फ यही नहीं है. आंकड़े बताते हैं कि आर्कटिक महासागर में सितंबर के महीने के दौरान रहने वाली बर्फ में 1979 से लेकर 2015 तक हर दशक 13.4 फीसदी के हिसाब से कमी हुई है.पानी का तापमान बढ़ने पर वह फैलने और नतीजतन ज्यादा जगह घेरने लगता है. वैज्ञानिक भाषा में इसे **थर्मल एक्सपैंशन या तापीय प्रसार** कहते हैं. तापमान में बढ़ोतरी और ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका में मौजूद बर्फ के ग्लेशियरों के पिघलने की वजह से बीते 100 साल में समुद्र का स्तर करीब 20 सेंटीमीटर ऊपर उठ चुका है. बढ़ोतरी की यह दर तीन मिमी प्रति वर्ष तक आ चुकी है. आगे क्या? सच यह है कि अगर ग्रीनहाउस गैसों या पर्यावरण को बिगाड़ने वाले दूसरे कारकों को साल 2000 के स्तर पर ही रोक दिया जाता तो भी इस सदी के आखिर तक वैश्विक औसत तापमान में करीब 1.5 डिग्री की बढ़ोतरी अवश्यंभावी थी. अगर हम अब भी अपना व्यवहार न बदलें तो संभावना है कि सदी के आखिर तक यह आंकड़ा तीन से पांच फीसदी तक जा सकता है.
- अध्ययन बताते हैं कि वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी से दुनिया में सभी जगह पारे में बढ़ोतरी के रिकॉर्ड तोड़ने वाले दिन बढ़ेंगे. दो डिग्री की बढ़ोतरी होने पर आज की तुलना में ऐसे दिनों की तुलना में पांच गुना ज्यादा बढ़ोतरी हो जाएगी.
- इसके साथ ही बाढ़ का जोखिम भी बढ़ जाएगा. आज मौसम से जुड़ी घटनाओं में बाढ़ एक ऐसी त्रासदी है जो हर साल बड़ी संख्या में लोगों को अपना घर छोड़ने पर मजबूर करती है. आंकड़े बताते हैं कि 2008 से 2014 के दौरान हर साल औसतन ढाई करोड़ लोगों को बाढ़ के चलते पलायन करना पड़ा. अगर वैश्विक तापमान में दो के बजाय चार डिग्री की बढ़ोतरी हो जाए तो इस तरह के लोगों का आंकड़ा दो गुने से भी ज्यादा हो सकता है. यह तब है जब हम जनसंख्या में बढोतरी का आंकड़ा छोड़ रहे हैं.
- अगर यह बढ़ोतरी दो डिग्री तक ही रही तो भी भूमध्यसागर से सटे इलाकों में पानी की उपलब्धता में 50 फीसदी तक की कमी हो सकती है. वैश्विक स्तर पर तापमान में अतिरिक्त बढ़ोतरी से ऐसे लोगों की संख्या में 20 फीसदी तक की बढ़ोतरी हो सकती है जो पानी के अभाव से जूझ रहे हैं.
- इसके साथ ही यह भी आशंका है कि समुद्र का स्तर सदियों तक बढ़ता रहेगा. इस सदी के आखिर तक वैश्विक तापमान को दो डिग्री तक सीमित कर देने पर भी समुद्र का स्तर 0.26 से 0.55 मीटर तक बढ़ सकता है. तापमान में चार डिग्री तक की बढ़ोतरी से यह आंकड़ा 0.45 से 0.82 मीटर तक जा सकता है.
- खतरे की घड़ी धरती का पर्यावरण नाम की व्यवस्था के कई कल-पुर्जे ऐसे हैं कि अगर तापमान एक सीमा के पार चला गया तो उनमें आने वाली गड़बड़ी को तापमान को स्थिर रखकर भी रोका नहीं किया जा सकेगा. कुछ पुर्जों के साथ ऐसा हो भी चुका है. हालिया अध्ययन बताते हैं कि अंटार्कटिका के पश्चिमी हिस्से में मौजूद बर्फ की चादर का कुछ हिस्सा शायद एक ऐसे दौर में दाखिल हो चुका है जहां अब उसे पिघलना ही है. अकेली यही घटना आने वाली सदियों के दौरान समुद्र का स्तर औसतन तीन मीटर ऊपर उठा सकती है.

कुल मिलाकर पर्यावरण में आने वाले इन बदलावों का असर व्यापक होगा. इनसे करोड़ों लोगों की आजीविका खतरे में पड़ सकती है. यानी अब संभलने का समय है और बदलने का भी.

2. पानी के लिए लड़ाई

#Dainik_Tribune

- अभी एक शोध के अनुसार भाखड़ा डैम के जल सेतु में 21954 क्यूसेक पानी ही पाया गया जो कि पिछले साल से 70 फीट कम था।
- यह एक बहुत ही खतरनाक संकेत है क्योंकि इससे जल और बिजली आपूर्ति दोनों ही बुरी तरह प्रभावित होंगे। जलाशयों की संख्या दिन पर दिन कम होती जा रही है।
- नदियों में जलस्तर कम होने से मैदानी और उपजाऊ क्षेत्रों की उत्पादकता कम होती जा रही है। नतीजा, खेती के लिए भूजल का दोहन हो रहा है और भूगर्भीय जल भी नदियों, समुद्रों में समा रहा है।
- मिट्टी में अवांछित रूप से बढ़ता हुआ कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, नाइट्रेट और क्लोरीन हमारे पेयजल और सिंचाई के जल को प्रदूषित कर रहे हैं। 16 प्रदेशों में मिट्टी में यूरेनियम खतरनाक रूप से बढ़ा हुआ पाया गया। जिस तरह की पानी की समस्या से अभी बेंगलुरु, शिमला और दिल्ली जूझ रहे हैं, निकट भविष्य में सभी रिहायशी इलाकों की यह हालत हो सकती है।
- हांसी का जल विवाद कल देश में एक आम बात हो सकती है। इन समस्याओं से निपटने के लिए सरकार, समाजसेवी संस्थाओं और आम नागरिकों को मिलकर काम करना होगा।

3. मौसम में बदलाव के चलते 2050 तक भारत के 60 करोड़ लोगों का जीवन स्तर गिर जाएगा : विश्व बैंक

- मौसम में अनियंत्रित रूप से हो रहे बदलाव के चलते 2050 तक भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) को 2.8 फीसदी की चपत लग सकती है.
- इतना ही नहीं, इससे भारत के 60 करोड़ लोगों के रहन-सहन का स्तर भी गिर सकता है. इसके अलावा इस बदलाव से आने वाले सालों में देश की आर्थिक खपत 10 प्रतिशत तक कम हो सकती है.
- विश्व बैंक के एक नए अध्ययन में ये बातें सामने आई हैं. अध्ययन में बताया गया है कि वैश्विक तापमान में हो रही बढ़ोतरी यानी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से तापमान और बारिश में आ रहे बदलावों का दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा.

More in the study

- इस अध्ययन के मुताबिक अगर पेरिस समझौते के तहत ग्लोबल वार्मिंग को दो डिग्री तक नियंत्रित करने का लक्ष्य हासिल हो भी जाए, तो भी प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय के लिहाज से भारत की जीडीपी में दो प्रतिशत की गिरावट होगी. वहीं, सामान्य अर्थव्यवस्था के रूप में देखें तो 2050 तक भारत की जीडीपी 2.8 प्रतिशत गिर जाएगी. इससे देश को 75,000 अरब रुपये से ज्यादा का नुकसान होगा.
- रिपोर्ट के मुताबिक देश के अंदरूनी क्षेत्रों को आर्थिक नुकसान होने की संभावना ज्यादा है. राज्यों की बात करें तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के लोगों के रहन-सहन के स्तर में गिरावट आएगी. महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र की हालत सबसे ज्यादा संकटपूर्ण होगी. 2050 तक यहां के लोगों

का जीवन स्तर 11 प्रतिशत तक गिर जाएगा. रिपोर्ट के मुताबिक बदलते मौसम का कृषि उत्पादकता, स्वास्थ्य, पलायन और अन्य चीजों पर खासा प्रभाव पड़ सकता है.

वहीं, पूरे दक्षिण एशिया की बात करें तो जलवायु परिवर्तन के चलते यहां के करीब 80 करोड़ लोगों की जिंदगी तबाह हो सकती है. दुनिया के सबसे गरीब और भुखमरी के शिकार लोग दक्षिण एशिया में बसते हैं. विश्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट में दक्षिण एशिया के सभी छह देशों (अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भारत और बांग्लादेश) का जिक्र किया है. इन देशों में न सिर्फ तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है बल्कि बारिश के पैटर्न में भी हर साल अंतर देखने को मिल रहा है

4. प्लास्टिक का खतरा हर तरफ

#Patrika

वर्ष 1972 से हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस बार पर्यावरण दिवस पर भारत वैश्विक मेजबान है और संकल्प है दुनिया को प्लास्टिक प्रदूषण से मुक्त करने का। पिछले वर्ष दिसंबर में राष्ट्रसंघ की तीसरी पर्यावरण एसेम्बली में 193 देशों ने विश्व को प्लास्टिक प्रदूषण से मुक्त करने का संकल्प लिया गया था।

- प्लास्टिक आज हमारे जीवन में अत्यंत उपयोगी वस्तु है और हम हर दिन प्लास्टिक का उपयोग कई तरह से करते हैं। सुबह उठते ही टूथब्रश और टूथपेस्ट से लेकर भोजन की पैकिंग, यातायात साधन, फोन, कंप्यूटर सभी चीजों में प्लास्टिक है।
- इसके बिना आज जीवन की परिकल्पना असंभव सी लगती है, लेकिन यह पर्यावरण के लिए घातक है। विशेषज्ञों के अनुसार, प्लास्टिक से बनी अधिकांश वस्तुएं या तो पूर्णतया नष्ट नहीं होती हैं या इसमें 500 से 1000 वर्ष तक लग सकते हैं।
- 1950 से लेकर अब तक उत्पादित प्लास्टिक में सिर्फ 20 फीसदी ही या तो रीसाइकल किया गया है या बिजली बनाने में इस्तेमाल किया गया है। शेष हमारी धरती और समुद्रों को प्रदूषित कर रहा है।
- 60 प्रतिशत प्लास्टिक पदार्थ ऐसे हैं, जो सिर्फ एक बार इस्तेमाल के लिए बनाए जाते हैं, जैसे चाय/कॉफी के कप, पानी या अन्य पेय पदार्थ की बोतल और पॉलिथीन के थैले।
- यह प्लास्टिक या तो बड़े लैण्डफिल का हिस्सा है या समुद्रों का। समुद्र में व्हेल, सील प्लास्टिक में फंसकर या उसे खा कर रोज मर रहे हैं। प्लास्टिक टूटकर माइक्रो प्लास्टिक यानी अत्यंत सूक्ष्म प्लास्टिक कणों में परिवर्तित होता है जो मछलियां खा लेती हैं और उनके माध्यम से यह प्लास्टिक हमारे भोजन चक्र में शामिल हो जाता है। प्लास्टिक के कप में गर्म पेय पीने से या प्लास्टिक की पानी की गर्म हुई बोतल में कई तरह के टॉक्सिन पैदा हो जाते हैं, जो कैंसर सहित कई घातक बीमारियां का कारण बनते हैं।
- समुद्रों और नदियों में प्लास्टिक प्रदूषण यदि इसी गति से बढ़ता रहा तो 2050 तक वहां जलचरों के बजाय प्लास्टिक अधिक मात्रा में पाया जाएगा। पॉलिथीन बैग और पानी व अन्य पेय पदार्थों की बोतलें सबसे बड़ी समस्या है। दुनियाभर में प्रति मिनट दस लाख पेय पदार्थ की बोतलें बेची जाती हैं और प्रतिवर्ष तकरीबन 480 बिलियन। चीन, इंडोनेशिया, अमरीका, थाईलैण्ड इत्यादि देश प्लास्टिक के इस्तेमाल और अपशिष्ट पैदा करने में सबसे आगे हैं। यूरोप के कई देश जैसे आयरलैंड, लक्समबर्ग, एस्तोनिया और जर्मनी में प्रति व्यक्ति प्लास्टिक का इस्तेमाल काफी अधिक है। इन अपशिष्टों में बड़ा हिस्सा पर्यटकों की देन भी है
- यूरोप के कई देश जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, डेनमार्क आदि ने प्लास्टिक पर सख्त नियम बनाए हैं। स्वीडन अब प्लास्टिक रीसाइकल करने पर जोर दे रहा है। अमेरिका के कई राज्य प्लास्टिक प्रदूषण में कमी ला रहे हैं। अफ्रीका के कुछ देश जैसे केन्या, रवांडा इत्यादि प्लास्टिक कचरा

कम करने के लिए सख्त कानून लेकर आए हैं। चीन ने भी जनवरी 2018 में प्लास्टिक का आयात बंद करने का निर्णय लिया।

- भारत समुद्रों में सर्वाधिक प्लास्टिक प्रदूषण फैलाने वाले 20 देशों में 12वें स्थान पर है। चीन, दक्षिण-पूर्व एशियाई देश, श्रीलंका, मिस्र, नाइजीरिया, बांग्लादेश व दक्षिण अफ्रीका भारत से भी ऊपर हैं। समुद्रों में सर्वाधिक प्लास्टिक कचरा डालने वाली 20 नदियों में तीन सिंधु, ब्रह्मपुत्र और गंगा भारत की नदियां हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (2015) के अनुसार भारतीय शहरों में प्रतिदिन 15000 टन प्लास्टिक अपशिष्ट निकलता है, जिसमें से सिर्फ 9000 टन एकत्रित करके रिसाइकल किया जाता है। भारत सरकार ने 2016 में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स जारी कर प्लास्टिक के निर्माण, बिक्री, वितरण को विनियमित किया और 50 माइक्रोन से कम के प्लास्टिक बैग पर रोक लगाई, लेकिन इनका प्रभाव आंशिक रूप से ही दिखाई देता है।

प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान मुश्किल है, परंतु असंभव नहीं है। कई संस्थाएं और कंपनियां कपड़े के थैलों की वकालत करती हैं, पर ध्यान रखना होगा कि पूरी दुनिया में तीन प्रतिशत खेती योग्य भूमि में ही कपास उगाई जाती है, जिसमें पूरी दुनिया में इस्तेमाल होने वाले कीटनाशक का एक चौथाई भाग लगता है। एक किलोग्राम कपास पैदा करने में तकरीबन 5000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। दूसरी ओर, कागज बायोडिग्रेडेबल है, लेकिन और उसके परिवहन में कई गुना ज्यादा ईंधन लगता है। रिसाइकल किए हुए कागज से बैग बनाने में कार्बन फुटप्रिंट कम किया जा सकता है।

विश्व को प्लास्टिक प्रदूषण से मुक्त करना सिर्फ सरकारों की जिम्मेदारी नहीं है। यह तभी संभव होगा जबकि इसका हर नागरिक भी अपनी जीवनशैली को प्लास्टिक मुक्त बनाने का संकल्प लेगा। उसे हर व्यावहारिक समाधान न केवल अपने जीवन में उतारना होगा, बल्कि अधिक से अधिक लोगों को उनके प्रति जागरूक करने का बीड़ा भी उठाना होगा।

5. कचरे को ईंधन के रूप में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है

#Jansatta

कचरे को ईंधन के रूप में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, इंदौर नगर निगम इसकी मिसाल बन गया है। नगर निगम ने फल-सब्जियों के कचरे से बायो-सीएनजी गैस तैयार की और इससे सिटी बसें व ऑटो जैसे वाहन चलाने में कामयाबी हासिल कर ली। प्रयोग के तौर पर दो सिटी बसें और बीस ऑटो इस ईंधन से चल रहे हैं। कूड़ा प्रबंधन की दिशा में यह सफल प्रयोग ही नहीं, बड़ा कदम भी है। इंदौर नगर निगम अगले साल तक बड़े पैमाने पर बायो-सीएनजी का उत्पादन कर इससे सत्तर बसें चलाएगा। इसके कई फायदे हैं। सामान्य सीएनजी के मुकाबले कचरे से बनने वाली बायो-सीएनजी सस्ती पड़ेगी, इससे सिटी बसों पर होने वाले खर्च में कमी आएगी, गैस का उत्पादन शहर में लगे संयंत्रों में होगा और कचरा निपटान की समस्या से मुक्ति मिलेगी। शहर की आबोहवा सुधरेगी, वो अलग। गैस उत्पादन के लिए निगम ने फल-सब्जी मंडी में पहला जो संयंत्र लगाया है, उसमें बीस टन कचरे से एक हजार किलो बायो-सीएनजी रोजाना बनाई जा सकेगी। इस गैस का दाम सामान्य सीएनजी से पांच रुपए कम होगा। गैस बउत्पादन के बाद जो अपशिष्ट बचेगा उससे कंपोस्ट खाद बनाई जाएगी। इंदौर नगर निगम का यह प्रयोग 'आम के आम गुठलियों के दाम' वाली कहावत को चरितार्थ करता है।

भारत के ज्यादातर शहर कचरा निपटान की गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं। दिल्ली में कचरा-निस्तारण के लिए बने डंपिंग ग्राउंड बड़े-बड़े पहाड़ों में तब्दील हो गए हैं और वर्षों से हवा में जहर घोल रहे हैं। दूसरे शहरों की स्थिति भी इससे अलग नहीं है। ऐसे में इन शहरों को इंदौर से सीखना चाहिए कि कचरे को ऊर्जा के रूप में कैसे बदला जाए। ऐसा नहीं है कि इंदौर नगर निगम के पास ही इसकी समझ या तकनीक रही होगी, बाकी शहरों के नगर निगम इस बारे में अनजान हैं। मसला सिर्फ पहल करने और सकारात्मक रूप से आगे बढ़ने से जुड़ा है। हालांकि कुछ शहरों में इस दिशा में काम चल रहा है। कुछ साल पहले नवी मुंबई में प्रयोग शुरू हुआ। नवी मुंबई महानगर पालिका ने भी कचरे से बायो-सीएनजी

गैस बनाने की पहल की। छत्तीसगढ़ के कांकेर शहर से निकलने वाले कचरे से उपयोगी सामान और बायो-सीएनजी गैस बनाने की योजना पर काम शुरू हुआ है। कचरा प्रबंधन के लिए नगर निगमों के सामने इससे अच्छा और आसान रास्ता शायद ही कोई हो।

पिछले कुछ सालों में वैश्विक निकायों और संगठनों की ओर से सबसे प्रदूषित शहरों की जो सूचियां आती रही हैं, उनमें भारत के शहरों का जिक्र सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। इसकी बड़ी वजह शहरों में कचरे से बढ़ता प्रदूषण भी है। शहरों में घरों से निकलने वाले कचरे की मात्रा ही सबसे ज्यादा होती है, जिसके निस्तारण में ज्यादातर स्थानीय निकाय नाकाम रहते हैं। ऐसे में इंदौर से सबक लेने की जरूरत है। छोटे-छोटे शहरों में इस तरह के बायो-गैस संयंत्र लगाए जा सकते हैं और इनसे बिजली और गैस बनाई जा सकती है। यह कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन आश्चर्य है कि आजादी के सात दशक बाद भी भारत में एक शहर ऐसा नहीं है जो पूरी तरह कचरे का इस्तेमाल गैस और बिजली बनाने में कर रहा हो। इसके लिए पहल सरकारों को ही करनी होगी।

6. जमीन और पानी के कुप्रबंधन से आते जा रहे हैं तूफान

#Business_Standard

इस वर्ष अप्रैल और मई यानी केवल दो महीनों में देश के 16 राज्यों में 50 से अधिक तूफान आए, जिनमें 500 से अधिक लोगों की जान गई और कई एकड़ की फसल बरबाद हुई। यह सामान्य तो कतई नहीं लगता है। या फिर तूफान इतने आम हो गए हैं?

ये तूफान हमें चेतावनी दे रहे हैं कि हमारी दुनिया में कुछ गलत हो रहा है। पहली बात, तूफान जमीन और पानी के कुप्रबंधन का नतीजा हैं। इसके चलते जमीन रेतीली हो रही है और हवा के साथ धूल भरी आंधियों का सिलसिला चल रहा है। इसका संबंध मौसम का पूर्वानुमान लगाने की हमारी कमजोरी से भी है और उस नव सामान्य हालात से भी जहां जलवायु परिवर्तन के चलते नैसर्गिक मौसम का बदलाव मौसम के वैश्विक बदलाव से मिल रहा है।

एक बात तो स्पष्ट है कि तूफानों को रोका नहीं जा सकता है लेकिन लोगों की जान बचाई जा सकती है। डॉपलर रडार की मदद से 2 मई को आए भीषण विनाशकारी तूफान की अग्रिम जानकारी जारी की जा सकती थी। डॉपलर रडार सतह पर धूल के स्तर और हवा की तीव्रता आसानी से माप सकता है। परंतु जयपुर में स्थित यह रडार काम ही नहीं कर रहा।

जाहिर है हम ऐसी चूक बरदाश्त करने की स्थिति में नहीं हैं। सच तो यह है कि वर्ष 2018 के तूफान हमारे भविष्य का चित्रण कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं धूल की। धूल क्यों उत्पन्न हो रही है यह अलग कैसे है? उन टु अर्थ में मेरे सहयोगियों ने बदलते मौसम विज्ञान के बारे में जानकारी एकत्रित की। पहली बात तो यह कि पश्चिमी विक्षोभ का चरित्र बदल रहा है। ये वे हवाएं हैं जो भूमध्यसागर से आती हैं और पूरे पश्चिम एशिया का सफर कर भारत में प्रवेश करती हैं। यहां हिमालय उनकी राह रोकता है। यह बारिश और बर्फबारी की वजह बनती है। हमेशा से ऐसा होता आया है लेकिन अब दो या तीन पश्चिमी विक्षोभों के बजाय हमारा सामना 10 या उससे अधिक विक्षोभों से हो रहा है। इससे भी अलग बात यह है कि पश्चिमी विक्षोभ अब अपेक्षाकृत देरी से आ रहे हैं।

सामान्य स्थिति में पश्चिम विक्षोभ जाड़े के दिनों में आता है और उसके चलते बर्फबारी होती है। इन दिनों वह अप्रैल और मई में आ रहा है। बल्कि इन दिनों भी भारतीय उपमहाद्वीप के आसपास पश्चिमी विक्षोभ की स्थिति है। यह नई और असामान्य बात है। ऐसा क्यों हो रहा है? इस विषय में विज्ञान अभी विकासोन्मुखी है लेकिन यह स्पष्टï है कि पश्चिमी विक्षोभ में बदलाव आ रहा है क्योंकि आर्कटिक सागर गर्म हो रहा है। आप पूछेंगे ऐसा क्यों हो रहा है? सच तो यह है कि आर्कटिक के गर्म होने के साथ ही दुनिया के ठंडे और भूमध्यरेखीय प्रदेशों के बीच तापमान का अंतर कम हो रहा है। इसकी वजह से आर्कटिक से भूमध्यरेखा की ओर चलने वाली हवाएं कमजोर पड़ रही हैं। यह बात पश्चिमी विक्षोभ की गति और उसके घटित होने के मौसम को प्रभावित कर रही है।

परंतु बात केवल इतनी ही नहीं है। सच तो यह है कि बंगाल की खाड़ी में तापमान बढ़ रहा है। सामान्य औसत से 1-2 डिग्री सेल्सियस तापवृद्धि दर्ज की जा चुकी है। यानी तूफानों और चक्रवातों को गतिशील बनाने के लिए आद्र्रता बढ़ रही है। यह चक्रवाती तंत्र अब शुष्क और ठंडे लेकिन देर से आ रहे पश्चिमी विक्षोभ से टकरा रहा है जिससे तूफान बढ़ रहे हैं। गर्मी और चौतरफा धूल माहौल को और खराब कर रहे हैं। इस वर्ष समूचे उपमहाद्वीप के समूचे उत्तरी भाग में तापमान बढ़ रहा है। राजस्थान में अप्रैल में ही तापमान 46 डिग्री सेल्सियस का स्तर पार कर गया था। पाकिस्तान में यह 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर था। गंगा के मैदानी इलाकों में तो तापमान में सामान्य से आठ डिग्री तक का इजाफा दर्ज किया गया।

यह असामान्य है लेकिन नव सामान्य होता जा रहा है। उच्च तापमान का अर्थ है जमीन पर आर्दता की कमी, धूल और रेतीले इलाकों में इजाफा। इससे 130 किलोमीटर प्रति घंटे तक की दर से धूल भरी आंधियां चल रही हैं और बहुत अधिक नुकसान हो रहा है। सन 1980 से 2003 के बीच देश में 9 बड़े तूफानों में 640 लोग मारे गए। अगले 14 वर्ष यानी 2003 से 2017 के बीच 22 तूफान दर्ज किए गए जिन्होंने 700 लोगों की जान ली। परंतु वर्ष 2018 में 50 से अधिक ऐसे तूफानों ने 500 से अधिक लोगों की जान ले ली है।

यानी यह नव सामान्य मनुष्यजनित कारकों से मिलकर तैयार हुआ है। इसके लिए जमीन का कुप्रबंधन, रेगिस्तान तैयार होना, कार्बन उत्सर्जन आदि तमाम वजहें जिम्मेदार हैं जिनके कारण सतह गर्म हो रही है और ये घटनाएं घट रही हैं।

वक्त आ गया है कि हम इस बदलाव को समझें। यह आसानी से खत्म होने वाला घटनाक्रम नहीं है। यह बदलाव आने वाले दिनों में रहेगा और ज्यादा घातक होता जाएगा। यह भी स्पष्टï है कि आज दुनिया के गरीब लोग ही इस मानव जनित त्रासदी से सबसे अधिक पीड़ित हैं। आखिर रेत के तूफान में अमीर नहीं मरते। न ही चक्रवाती तूफान से उनकी आजीविका प्रभावित होती है

तथ्य यह है कि यह खराब मौसम हमें भविष्य के दिनों की आहट दे रहा है। आगे क्या होगा इसका अनुमान लगाना आसान नहीं। जो भी घटेगा वह हमें चकित और स्तब्ध करेगा और हम उसके लिए तैयार नहीं होंगे। अंत में जलवायु परिवर्तन सब को समान रूप से प्रभावित करेगा। यह भी जाहिर है। सवाल केवल यह है कि हम हालात से निपटने के लिए क्या करेंगे? इसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है

Science & Tech

1. 'के2-236': भारतीय वैज्ञानिकों ने नए ग्रह की खोज की

- भारतीय वैज्ञानिकों ने शनि जितने बड़े एक ग्रह की खोज की है.
- फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी (पीआरएल) के वैज्ञानिकों ने यह खोज स्वदेशी तकनीक से बने 'पीआरएल एडवांस रेडियल-वेलोसिटी अबू-स्काई सर्च' (पारस) की मदद से की है.
- इससे पहले नासा के अंतरिक्षयान केपलर 2 ने इस ग्रह से संबंधित कुछ जानकारियां भेजी थीं लेकिन, उनसे इस नए ग्रह की पुष्टि नहीं हो पाई थी.
- इसके बाद पारस स्पेक्टोग्राफ के जरिये भारतीय वैज्ञानिकों ने ग्रह के आकार का आकलन किया था. इस दौरान उन्हें ग्रह के 60-70 प्रतिशत हिस्से पर बर्फ, सिलिकेट और लोहे जैसे तत्वों का पता चला. इस खोज के बाद भारत सितारों के आसपास के ग्रह खोजने वाले देशों की सूची में शामिल हो गया है.
- यह ग्रह अपने सितारे के काफी नजदीक है इसलिए इसकी सतह का तापमान करीब 600 डिग्री सेल्सियस पाया गया है. इसकी वजह है इसका अपने सूरज से काफी नजदीक होना.
- इसरो के मुताबिक यह पृथ्वी से सूरज की दूरी के मुकाबले अपने सूरज से सात गुना नजदीक है. इस वजह से यहां जीवन की उत्पत्ति नहीं हो सकती. वैज्ञानिकों का कहना है कि इस ग्रह की

खोज के बाद ऐसे और ग्रहों के बारे में जानने में मदद मिलेगी जो अपने सूरज के काफी नजदीक हैं.

International Relation

1. अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की सदस्यता छोड़ी

- अमेरिका संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद से अलग हो गया है.
- उसने इस संस्था पर इजरायल के खिलाफ लंबे समय से भेदभाव रखने का आरोप लगाते हुए मंगलवार को यह कदम उठाया.
- इजरायल के मुद्दे पर ट्रंप प्रशासन काफी समय से चेतावनी दे रहा था कि अगर मानवाधिकार परिषद में सुधार नहीं किए गए तो अमेरिका उसकी सदस्यता छोड़ सकता है. इन सुधारों में एक यह भी था कि मानवाधिकारों के मामले में खराब प्रदर्शन करने वाले देशों का परिषद से निष्कासन आसान बनाया जाए.

संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की राजदूत निकी हेली ने परिषद में बदलाव के उनके देश के प्रयासों को विफल करने वाले सदस्य देशों - रूस, चीन, क्यूबा और मिस्र - की कड़ी आलोचना की. उन्होंने उन देशों की भी आलोचना की जो परिषद में अमेरिका के बने रहने के पक्षधर थे लेकिन, यथास्थिति को गंभीरता से चुनौती देने की इच्छा नहीं दिखा रहे थे. वेनेजुएला, चीन, क्यूबा और लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो का उदाहरण हुए निकी हेली ने कहा, 'परिषद की सदस्यता को देखिए. आपको इसमें मूल मानवाधिकारों के प्रति भयावह असम्मान दिखाई देगा.' हेली ने कहा कि इजरायल के प्रति परिषद का अनुचित रवैया और कभी न खत्म होने वाला विद्वेष इस बात का साफ सबूत है कि परिषद राजनीतिक पक्षपात से प्रेरित है.

उधर, कई अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार समूहों ने अमेरिका के इस फैसले पर चिंता जताई है. उनके मुताबिक अमेरिका के अलग होने से परिषद कमजोर होगी और दुनियाभर में मानवाधिकार संबंधी प्राथमिकताओं पर अमल और पीड़ितों की मदद मुश्किल हो जाएगी. हालांकि यहूदी मानवाधिकारों के लिए काम करने वाले एक समूह साइमन वीजेंथल सेंटर ने अमेरिका के इस कदम की प्रशंसा की है. उसने अन्य देशों से भी ऐसा ही करने की अपील की है.

2. चीन की घेराबंदी रोकने की जुगत

#Nai_Duniya

यह अच्छी बात है कि सेशेल्स के राष्ट्रपति डैनी फॉर की हालिया भारत यात्रा के दौरान एजंप्शन द्वीप पर दोनों देशों द्वारा साथ मिलकर नौसैनिक अड्डा बनाने पर सहमति बन ही गई, जिसे लेकर बीते लगभग एक महीने से आशंकाएं जताई जा रही थीं। भारत के लिए यह सामरिक लिहाज से बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि चीन लगातार अपनी पैठ हिंद महासागर के द्वीपों में बना रहा है और यह भी माना जा रहा है कि पिछले दिनों सेशेल्स में विपक्षी दलों ने भारत को लेकर जो विरोध किया था, उसमें चीन का अहम किरदार था। बड़ी उपलिब्ध इसलिए भी कि यदि भारत सेशेल्स को राजी नहीं कर पाता तो एजंप्शन द्वीप में चीन या फिर कोई यूरोपीय देश, मसलन फ्रांस नौसैनिक अड्डा बनाने की कोशिशें करता और हिंद महासागर में चीन के इस तरह सैन्य विस्तार का मतलब है, भारत के लिए चुनौतियों व खतरों का बढ़ना। पर भारत बाजी पलटने में कामयाब रहा। फिर भी कुछ प्रश्न हैं। पहला सवाल, सेशेल्स इतना अहम क्यों है और सेशेल्स के जरिए हम अन्य पड़ोसियों एवं हिंद महासागर के द्वीपीय देशों को क्या संदेश दे सकते हैं? दूसरा, क्या भारत अब ओसीन अथवा ब्लू वॉटर डिप्लोमेसी की रणनीतिको बदलने की कोशिश में है, ताकि वह सामुद्रिक ताकत बन सके?

- सेशेल्स के साथ दोस्ती अथवा सामरिक साझेदारी का नया युग सही अर्थों में वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री की सेशेल्स यात्रा से शुरू हुआ।
- उसी यात्रा के दौरान सेशेल्स के एजंप्शन द्वीप पर नौसैनिक अड्डा बनाए जाने के प्रस्ताव पर सहमति बनी थी। मोदी की वह सेशेल्स यात्रा किसी भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा लगभग 34 वर्षों के बाद की गई यात्रा थी। इसका तात्पर्य है कि बीते साढ़े तीन दशक में भारत ने हिंद महासागर के द्वीपीय देशों की ओर ठीक से देखा ही नहीं। स्वाभाविक है कि भारतीय सामरिक नीति हिंद महासागर के द्वीपीय या छोटे देशों की महत्ता का आकलन भी नहीं कर पाई होगी। जबकि ये द्वीपीय देश न केवल दक्षिण एशियाई कूटनीति में भारत का पलड़ा भारी कर सकते थे, बल्कि वैश्विक कूटनीति के लिहाज से भी भारत के पक्ष में कुछ नए संतुलनों व रणनीतियों को जन्म दे सकते थे। भारत की इस कूटनीतिक निष्क्रियता व अदूरदर्शिता का लाभ चीन ने उठाया और वह इस हिंद महासागरीय देश से मजबूत रिश्ता बनाने में सफल हो गया।

ध्यान रहे कि लगभग 84 हजार की आबादी वाला सेशेल्स भले ही एक बहुत छोटा देश हो, किंतु भारत के लिए सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है।

- सेशेल्स के साथ भारत का प्रमुख मुद्दा रक्षा और सामुद्रिक सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग संबंधी है, जिसे सुदृढ़ करना भारत की प्राथमिकता है। इस क्षेत्र में समुद्री दस्युओं के आधिक्य को देखते हुए भारत सेशेल्स पीपुल्स डिफेंस फोर्सेस (एसपीडीएफ) की क्षमता मजबूत करने की कोशिश लगातार कर रहा है।
- सेशेल्स का जल सीमा क्षेत्र 1.3 मिलियन वर्ग किमी से भी ज्यादा विस्तृत अनन्य आर्थिक क्षेत्र (एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन- ईईजेड) भी रखता है, इसलिए भारत ने उसकी निगरानी क्षमता बढ़ाने के लिए उसे नौसैनिक जहाज 'आईएनएस तरासा दिया, जो सेशेल्स कोस्ट गार्ड के बेड़े में 'पीएस कान्स्टैंट के नाम से शामिल हो चुका है। इससे पहले सेशेल्स को 'पीएस टोपाज नाम जहाज दिया गया था।
- 2013 में भारत ने सेशेल्स के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की आतंकवाद और समुद्री दस्युओं से रक्षा के लिए अत्याधुनिक उपकरणों से लैस एक डोर्नियर-228 (समुद्री गस्ती विमान) भी भेंट किया था।
- यही सेशेल्स की वायुसेना की सामुद्रिक क्षमता का मुख्य आधार है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी सेशेल्स यात्रा के दौरान उसे डोर्नियर लड़ाकू विमान देने और द्विपक्षीय सहयोग के प्रतीक के रूप में तटीय निगरानी राडार परियोजना शुरू करने की घोषणा की थी। तटीय निगरानी राडार परियोजना एजंप्शन द्वीप पर है, जो उन 115 द्वीपों में से एक है, जिससे मिलकर सेशेल्स बना है।

दरअसल भारत के लिए सेशेल्स जैसे द्वीपीय देशों के साथ संबंध मजबूत करना जरूरी है, क्योंकि हिंद महासागर में एक 'ग्रेट गेम की स्थिति निर्मित हो चुकी है और इस समय सबसे बड़ा खिलाड़ी चीन है। अमेरिका पहले से ही अपनी हिंद महासागर नीति पर काम कर रहा है और अमेरिकी सेंट्रल कमान (सेटकॉम) के अधीन त्वरित बल सक्रिय हैं। उल्लेखनीय है कि अमेरिका का हवाई व नौसैनिक अड्डा डिएगो-गार्सिया, हिंद महासागर में भू-सामरिक प्रतिस्पर्द्धा का केंद्र बना हुआ है। दूसरी तरफ चीन हिंद महासागर में एक बड़ा संजाल निर्मित कर चुका है। चीन अपने 'स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के तहत ग्वादर (पाकिस्तान), मारओ (मालदीव), हंबनटोटा(श्रीलंका) से लेकर सिंहनौक्विले (कंबोडिया) जैसे बंदरगाहों के जरिए सामरिक-आर्थिक महत्व के मोतियों की पूरी श्र्खला निर्मित कर चुका है। पाकिस्तान का ग्वादर बंदरगाह भू-सामरिक दृष्टि से चीन के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि इसके माध्यम से चीन मध्य-एशिया और इसके आस-पास के समुद्री क्षेत्र में अपनी नौसैनिक ताकत प्रदर्शित कर सकता है। मारओ नौसैनिक बंदरगाह पर चीन अपने युद्धपोत और नाभिकीय पनडुब्बियों को रखने का इरादा रखता है।

श्रीलंका का हंबनटोटा कोलंबो जितना बड़ा है और सामरिक दृष्टि बेहद महत्वपूर्ण भी। चीन ने कंबोडिया के रेएम बंदरगाह के आधुनिकीकरण के लिए सारा खर्च उठाया है तथा सिंहनौक्लिे बंदरगाह के पुनर्निर्माण में सहयोग किया है। इसलिए चीन को इनका सामरिक प्रयोग करने का अधिकार मिल ही जाएगा। इनके जरिए चीन दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया में अपनी पैठ बनाने में सफल हो जाएगा। इसके साथ ही चीन मलक्का से जिबूती तक न्यू मैरीटाइम सिल्क रूट का निर्माण कर रहा है और जिबूती में इसी उद्देश्य अपना सैन्य अड्डा बना रहा है। कुल मिलाकर वह हिंद महासागर में दोहरी सामरिक दीवार निर्मित कर रहा है, जिसे भारत तोड़ न पाए।

इन स्थिति में सेशेल्स जैसे द्वीपीय देश का महत्व भारत के लिए बहुत बढ़ जाता है। इस दिशा में भारत की पिछले महीने प्राप्त सफलता भी ध्यान देने योग्य है, जब प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी इंडोनेशिया यात्रा के दौरान मेजबान देश से एक व्यापक समुद्री सुरक्षा समझौता किया। चूंकि हम मनीला में अमेरिका, जापान व ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए रणनीतिक चतुर्भुज (क्वैड) बनाने की प्रक्रिया के लिए हस्ताक्षर कर चुके हैं, ऐसे में सेशेल्स में नौसेनिक अड्डे पर सहमति बनने का आशय है कि भारत सामुद्रिक सुरक्षा के मोर्चे पर अब चीन के समानांतर अपनी उपस्थिति बढ़ा रहा है। इससे भारत डिएगो-गार्सिया व जिबूती पर निगरानी रख सकता है और एजंप्श्ान से लेकर ईरान के चाबहार तक सामरिक रेखा बनाकर चीन की ग्वादर-जिबूती सामरिक रेखा को कमजोर कर सकता है। इस दृष्टि से एजंप्शन द्वीप में नौसैनिक अड्डा बनाने संबंधी भारत को मिली यह सफलता एक मील का पत्थर साबित हो सकती है।

3. आसियान से गहराते रिश्तों का दौर

#Nai_Duniya

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर का दौरा किया। ये तीनों देश दक्षिणके प्रमुख देश हैं। लिहाजा इस दौरे को मोदी सरकार (आसियान) पूर्वी एशियाई देशों के संगठन- की'एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत आसियान देशों से संबंध बढ़ाने का हिस्सा भी माना गया। इस दौरे में प्रधानमंत्री मोदी ने तीनों देशों के राष्ट्र प्रमुखों के साथ नवाचार, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा समेत साझा हित के विभिन्न् मुद्दों के साथबारे में भी चर्चा की। इस साथ आसियान में भारत की आर्थिक भागीदारी बढ़ाने के- दौरे के दौरान तीनों देशों के साथ कारोबार, परिवहन, समुद्री सुरक्षा एवं सांस्कृतिक सहयोग के मुद्दों पर व्यापक सहमति बनी है।

वस्तुतएक ऐसे दौर में जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के कारण देश की : ती नजर आ रही हैंआर्थिक मुश्किलें बढ़, तब निर्यात बढ़ाने और विदेशी निवेश आकर्षित करने के मद्देनजर भी यह दौरा उपयोगी रहा है। गौरतलब है कि मोदी सरकार ने पूर्ववर्ती यूपीए सरकार की 'लुक ईस्ट पॉलिसी से आगे बढ़ते हुए 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी को अपनाया और इस साल गणतंत्र दिवस समारोह में 10 आसियान देशों के राष्ट्रप्रमुखों को मुख्य अतिथि के तौ-र पर आमंत्रित करते हुए भारत व आसियान देशों के बीच आर्थिकव्यापारिक संबंधों की नई डगर निर्मित की। उल्लेखनीय है कि - आसियान संगठन के10 देशों की कुल आबादी 64 करोड़ से अधिक है। इन देशों का मौजूदा संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद करीब (जीडीपी)2.8 लाख करोड़ डॉलर है। इसके अलावा आसियान देशों की एक हजार अरब डॉलर से अधिक की वार्षिक क्षेत्रीय आय तथा 100 अरब डॉलर से अधिक का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश थ मुक्त व्यापार क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण है। आसियान देशों के सा (एफडीआई) भारत के व्यापारिक रिश्तों की शुरुआत1990 के दशक में हुई। आसियान देशों ने जनवरी 1992 में भारत को क्षेत्रीय संवाद सहयोगी और दिसंबर 1995 में पूर्ण वार्ताकार सहयोगी का दर्जा प्रदान किया था। तब से आसियान देशों के साथ भारत के आर्थिकहैं। उल्लेखनीय सामाजिक संबंध लगातार बढ़ रहे- है कि भारत और आसियान देशों के बीचमुख्यतइलेक्ट्रॉनिक्स :, रसायन, मशीनरी और टेक्सटाइल्स का कारोबार होता है।

इस समय भारत आसियान का चौथा सबसे बड़ा साझेदार है। जो भारत आसियान व्यापार-1990 में मात्र 2.4 अरब डॉलर का था, वह वर्ष 2016-17 में बढ़ते हुए करीब 80 अरब डॉलर तक पहुंच गया। इसे 2022 तक 200 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य है। आसियान के कुछ देशों का पूर्वी व दक्षिणी चीन सागर क्षेत्र को लेकर चीन से विवाद है, वहीं भारत का भी अपने उत्तर में स्थित पड़ोसी देश के साथ जमीन को लेकर विवाद है। दक्षिणी चीन सागर के पूरे हिस्से पर चीन अपना दावा ठोकता है और पूर्वी चीन सागर में जापान के नियंत्रण वाले सेनकाकु द्वीपों को भी अपना बताता है। ऐसे में भारत और आसियान के 10 देश समुद्री क्षेत्र में सहयोग बढ़ाते हुए अपनी स्थिति मजबूत कर सकते हैं।

निस्संदेह इस समय भारत दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ लगातार व्यापारिक एवं-सामाजिक संबंध बढ़ाने की डगर पर आगे बढ़ रहा है। आसियान देशों में भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए कामकाज के विस्तार की काफी गुंजाइश बढ़ी है। अंग्रेजी बोलने वाले भारतीय आईटी प्रोफेशनलों को दक्षिणपूर्व - ई देशों में संभावनाओं का बड़ा बाजार हासिल हुआ है। न केवल सॉफ्टएशियावेयर या सेवा क्षेत्र में, बल्कि कई अन्य आर्थिक क्षेत्रों में भी भारत ने विश्व की एक उभरती शक्ति के रूप में पहचान बनाई है। भारत के पास कुशल पेशेवरों की फौज है। यहां आईटी, सॉफ्टवेयर, बीपीओ, फार्मास्युटिकल्स, केमिकल्स एवं धातु क्षेत्र में दुनिया की जानी मानी-कंपनियां हैं, आर्थिक व वित्तीय क्षेत्र की शानदार संस्थाएं हैं। इनके लिए आसियान देशों में कारोबार की अच्छी संभावनाएं हैं। गौरतलब है कि पिछले दो-र्यात प्रभावित हो रहे हैंतीन वर्षों से दुनिया के अनेक देशों में भारत के जो नि, उनकी भरपाई के लिए आसियान बाजारों में नई संभावनाएं खोजी जा सकती हैं। वर्ष 2018 की शुरुआत से ही कच्चे तेल के आयात पर भारत की काफी विदेशी मुद्रा खर्च हो रही है। डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए के लुढ़कने से रुपए की क्रयशक्ति घट गई है और कोयले के मामले में भी देश आए दिन मुश्किलों का सामना कर रहा है। ऐसे में आसियान समूह के साथ बुनियादी ढांचा और हाइड्रोकार्बन जैसे क्षेत्र में समझौते भारत के लिए लाभप्रद रहे हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर का दौरा करके भारत के लिए आसियान देशों में और अधिक उजली व्यापारिक संभावनाएं खोजने का प्रयास किया है, वहीं इन तीन देशों के साथसाथ - सभी आसियान देशों को भी यह भान है कि पिछले कुछ सालों में भारत ने विभिन्न् क्षेत्रों में तरक्की के सौदा है। आसियान देशों के नए आयाम तय किए हैं और इसके साथ जुड़ना उनके लिए भी फायदे का लिए विशेष तौर पर कुछ ऐसे क्षेत्रों में निवेश करने के लिए अच्छे मौके हैं, जिनमें भारत ने काफी उन्ति की है। ये क्षेत्र हैंसूचना प्रौद्योगिकी -, बायोटेक्नोलॉजी, फार्मास्युटिकल्स, पर्यटन और आधारभूत क्षेत्र। आसियान देशों ने इस बात को समझा है कि आधुनिक तकनीक, बढ़ते घरेलू बाजार, व्यापक मानव संसाधन, वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्र में दक्षता जैसी चीजें भारत को आर्थिक ऊंचाई दे रही हैं। यह भी समझा गया है कि अगर आसियान का मैन्यूफैक्चरिंग और भारत का सॉफ्टवेयर उद्योग आपस में जुड़ जाएं तो यह पूरा इलाका आर्थिक प्रगति के नए कीर्तिमान रच सकता है। मोदी के इस दौरे में इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर के नेताओं के साथ बातचीत में यह सहमति बनी कि ये देश भारत के साथ विभिन्न् आर्थिक एवं कारोबारी साझेदारी के साथसाथ सामरिक सहयोग बढ़ाने की डगर पर - आसियान देश समुद्री सीमाओं पर चीन के क्षेत्रीय और दबावपूर आगे बढ़ेंगे। चूंकि्ण मंसूबों से त्रस्त हैं, अतएव वे लोकतांत्रिक भारत को अपना समुद्री मित्र मानते हुए भारत से आर्थिक संबंधों में उपयोगिता देख रहे हैं। भारतपूर्वी -आसियान रिश्तों का कूटनीतिक महत्व भी बढ़ गया है। दक्षिण-शिया के कई देशों का जोर इस बात पर है कि भारत इस इलाके मेंए बढ़चढ़कर भूमिका निभाए। यहां - यह बात भी उल्लेखनीय है कि चीन का दखल बढ़ने के कारण इस क्षेत्र में अमेरिका की सक्रियता भी बहुत बढ़ गई है। अमेरिका ने भारत को अपनी भूमिका और बढ़ाने के लिए प्रेरित किया और अब वह क्ष (पेसिफिक-इंडो) प्रशांत-प्रशांत क्षेत्र को हिंद-एशियाेत्र कहता है

चूंकि चीन आसियान बाजारों में कारोबार के लिहाज से बहुत तेजी से आगे बढ़ चुका है और उसने इन देशों में बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेश भी किया है, अतएव भारत को आसियान क्षेत्र में अपनी नई छाप छोड़ने के साथसाथ आसियान देशों में आपसी व्यापार क-ी उजली संभावनाओं को साकार करने के लिए विशेष रणनीतिक प्रयास करने होंगे। प्रधानमंत्री मोदी के इंडोनेशिया, मलेशिया व सिंगापुर के सार्थक दौरे से इस प्रयास को नई गति मिली है।

4. चीन के साथ सीमा सुरक्षा में अहम है स्थानीय समुदायों की भूमिका

#Business_Standard

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों सिंगापुर में शांग्रीला संवाद में जो भाषण दिया वह कई के लिए -त क्षेत्र में अमेरिकी हतोत्साहित करने वाला कटाक्ष था। यह सालाना मंच पारंपरिक तौर पर एशिया प्रशां खेमे द्वारा चीन की बढ़ती आक्रामकता और उसके विस्तारवाद को फटक ारने का जरिया है। वहीं वरिष्ठ। चीनी अधिकारी खुलकर यह संकेत देते हैं कि वह किसी की परवाह नहीं करता। यहीं वर्ष 2010 में यांग जिएची रत के साथ सीमा संबंधी वार्ता के चीन के तत्कालीन विदेश मंत्री और अप्रैल तक भा) ने सिंगापुर के विदेश मंत्री को (विशेष प्रतिनिधिखारिज करते हुए कहा था, 'चीन एक बड़ा देश है और अन्य देश बहुत छोटे, यह एक तथ्य है।Ó गत वर्ष डोकलाम में दोनों देशों के संघर्ष के बाद इस वर्ष प्रमुख वक्ता के रूप में प्रधानमंत्री मोदी से काफी उम्मीदें थीं। बहरहाल मोदी गत अप्रैल में वुहान में चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के साथ हुई अनौपचारिक बैठक में हुए समझौतों से प्रेरित नजर आए। उन्होंने चीन की चिंतित करने वाली आक्रामकता पर बात करने का अवसर गंवा दिया। उन्होंने बांडुंग सम्मेलन में नेहरू की ऐतिहासिक भूमिका का जिक्र किया कि कैसे भारत ने हिंद और प्रशांत क्षेत्र के बीच सेतु की भूमिका निभाई थी। आवागमन और संचार की स्वतंत्रता तथा विधि के शासन की बात करते हुए मोदी ने चीन के साथ समुद्री विवाद से स्पष्ट रूप से कदम पीछे खींचा। मोदी अपने जिस शांतिप्रिय पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री को झिड़कते रहते हैं उसी की भाषा बोलते हुए उन्होंने कहा कि भारत और चीन के बीच रिश्तों में जितनी परत हैं, उतनी किसी और रिश्ते में नहीं। उन्होंने कहा कि हमारा सहयोग और व्यापार बढ़ रहा है और दोनों देशों ने संबंधों के प्रबंधन में परिपक्वता दिखाई है और सीमा पर शांति सुनिश्चित की है।

तिब्बत में भारत की भूमिका को लेकर चीन की चिंता के बाद सरकार ने दलाई लामा और एक लाख से अधिक तिब्बती शरणार्थियों पर तमाम प्रतिबंध लगाए हैं। दलाई लामा के ल्हासा से निकलने की 60वीं वर्षगांठ पर 31 मार्च को राजघाट पर आयोजित बैठक रद्द कर दी गई। अब सुरक्षा आधार पर चीनी भिक्षुओं औ (तिब्बती)र दलाई लामा की मुलाकात पर भी रोक है। दलाई लामा को किनारे करने के तार उनकी एक साल पुरानी अरुणाचल प्रदेश की यात्रा से जुड़े हैं जब चीन के भीषण प्रतिरोध के बावजूद मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने उनका जबरदस्त इस्तकबाल किया था। गत वर्ष की तुलना में भारत ने अमेरिका और जापान के साथ त्रिपक्षीय नौसैनिक कवायद में भी भागीदारी कम की है। अमेरिका और जापान जहां अपने विमानवाहक पोत और पनडुब्बी भेज रहे हैं, वहीं भारत मझोले आकार के युद्धपोत भेज रहा है। जाहिर है चीन इससे प्रसन्न है।

इसके उलट चीन के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं है। उसने एक बार फिर अरुणाचल पर दावा किया। गत 20 मई को अलीबाबा के जैक मा के स्वामित्व वाले साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में लेख छपा कि कैसे हिमालय में चीन का खनन भारत के साथ विवाद का नया बिंदु बन सकता है। रिपोर्ट में कीमती धातुओं का 60 अरब डॉलर मूल्य का खजाना भारत की सीमा के निकट मिलने की बात कही गई। इससे दक्षिणी तिब्बत पर दावा करने को और प्रोत्साहन (चीन अरुणाचल को यही कहकर पुकारता है) मिला। रिपोर्ट में कहा गया कि इससे दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला में दक्षिणी चीन सागर की तरह एक और विवाद उत्पन्न होगा।

EDITORIAL

1. क्या दुनिया अब पूरब के एकीकरण और पश्चिम के बिखराव की तरफ है?

#Satyagriha

दुनिया की सात बड़ी आर्थिक ताकतों के संगठन जी-7 की बैठक में बिखराव और आपसी कड़वाहट के बीच खत्म हो चुकी है. इस आयोजन के बीच एक कुर्सी पर बैठे हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को समझाइश देती लग रहीं जर्मनी की चांसलर अंगेला मर्केल की तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई है. यह तस्वीर भी जी-7 की बैठक के नतीजे का इशारा समझी जा रही है.

वहीं सात से 10 जून के बीच चीन के चिंगदाओ में आठ देशों के समूह शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की बैठक भी हुई है. रूस, चीन, भारत और पाकिस्तान के साथ मध्य एशिया के चार देशों के इस क्षेत्रीय समूह की बैठक में आमंत्रित सदस्यों के रूप में ईरान और अफगानिस्तान शामिल हुए थे. जी-7 की बैठक के उलट इस बैठक के बाद सर्वसहमति से एक संयुक्त घोषणापत्र भी जारी हुआ है. इसमें हठधर्मिता दिखाने के लिए अमेरिका की आलोचना करते हुए नियम-कायदों पर आधारित विश्व व्यवस्था की हिमायत की गई है.

- कनाडा में आयोजित जी-7 की इस बैठक में डोनाल्ड ट्रंप ने कोशिश की थी कि रूस को शामिल करके इस समूह को 'जी-7 प्लस 1' बना दिया जाए. हालांकि बाकी देशों का उनके इस प्रस्ताव पर बड़ा ही ठंडा रवैया रहा. लेकिन यूरोप और एशिया को जोड़ने वाली ताकत रूस फिलहाल एससीओ का सदस्य बनकर संतुष्ट है. यह इस बात का भी प्रतीक है कि अब ताकत का केंद्र पश्चिम के बजाय पूर्व की तरफ खिसक रहा है. इसी बदलाव के लिए कहा जाता है कि यह शताब्दी एशिया की शताब्दी होगी.

SCO & Converging View Points

- एससीओ के संयुक्त घोषणापत्र में सीधे-सीधे अमेरिका का नाम नहीं लिया गया है, लेकिन इसमें ईरान परमाणु समझौते का समर्थन किया गया है. चीन और रूस इस समझौते का हिस्सा हैं, जबकि अमेरिका इससे अलग हो चुका है.
- इस घोषणापत्र में एक-तरफा संरक्षणवाद की आलोचना करते हुए विश्व व्यापार संगठन का समर्थन किया गया है. इस आधार पर कहा जा सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप के संरक्षणवादी कदमों की जी-7 के साथ-साथ एससीओ के देशों ने भी आलोचना की है.
- हालांकि एससीओ के देशों ने अंतरराष्ट्रीय व्यापार में डॉलर के दबदबे की चुनौती देने की बात सीधे नहीं कही, लेकिन यह तय किया है कि वे आपसी व्यापार अपनी-अपनी मुद्राओं में करेंगे. यह फैसला इस लिहाज से काफी अहम माना जा सकता है कि इन देशों की जीडीपी, पूरी दुनिया की कुल जीडीपी का पांचवां हिस्सा है.
- इन बातों के अलावा घोषणापत्र में अमेरिका द्वारा कोरियाई प्रायद्वीप में एंटी-मिसाइल सिस्टम तैनात करने के प्रस्ताव पर चीन की चिंता को जगह मिली है और सीरियाई शासन को अस्थिर करने की कोशिशों पर रूस के विरोध को भी तवज्जो दी गई है.

भारत को छोड़कर एससीओ के सभी देशों ने चीन की बेल्ट और रोड परियोजना (ओबॉर) का समर्थन किया है. इसके पाक अधिकृत कश्मीर से गुजरने पर भारत शुरू से आपत्ति जताता रहा है. इसके बावजूद एससीओ ऐसा मंच है, जहां भारत इन देशों के साथ कई अन्य मोर्चों पर साझेदारी निभा सकता है

2. एकीकृत परिवहन प्रणाली अपनाने का आ गया वक्त

#Business_Standard

अगस्त 2017 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई मेट्रो रेल नीति को मंजूरी दी थी जिसमें शहरी परिवहन में मेट्रो रेल प्रणालियों की भूमिका का विस्तार करने का मसौदा पेश किया गया था। कई शहरों ने नई मेट्रो रेल परियोजनाएं शुरू करने की प्रतिबद्धता जताई है लेकिन यह समझने की कोशिश कम ही की गई है कि कोई भी मेट्रो रेल प्रणाली किसी शहर की समग्र सार्वजनिक परिवहन जरूरतों में किस तरह मुफीद बैठती है? नई मेट्रो नीति इसी बिंदु पर कारगर लगती है।

- इसमें यह कहा गया है कि अगर एक शहर अपनी मेट्रो रेल परियोजनाओं के लिए केंद्रीय मदद चाहता है तो वहां की राज्य सरकार को एकीकृत मेट्रोपोलिटन परिवहन प्राधिकरण) यूएमटीए (का गठन और उसके परिचालन की प्रतिबद्धता जतानी होगी।
- यूएमटीए एक ऐसा निकाय है जो शहरी परिवहन के सभी साधनों के लिए जिम्मेदार होगा, लिहाजा आवागमन के लिए एक समेकित नजरिया अपनाया जा सकेगा। जिन शहरों में पहले से ही मेट्रो परियोजनाएं चल रही हैं वहां एक साल के भीतर यूएमटीए का गठन करना है।

Policy in other countries

सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के लिए आदर्श के तौर पर देखे जाने वाले कई विदेशी शहरों में इस तरह की एक नीति-नियामक संस्था मौजूद है जो शहरी आवागमन के सभी पहलुओं से संबंधित योजना बनाने, उसका क्रियान्वयन करने और परिचालन के लिए उत्तरदायी होता है। न्यूयॉर्क सिटी ट्रांजिट अथॉरिटी, लंदन ट्रांसपोर्ट और सिंगापुर का एसबीएस ट्रांजिट एवं एसएमआरटी इसके कुछ उदाहरण हैं। एक एकीकृत परिवहन प्राधिकरण में परिवहन के सभी साधनों को इस तरह समेकित किया जाएगा कि यात्री को उसके घर तक पहुंचने के लिए जरूरी संपर्क मुहैया कराया जा सके और हरेक परिवहन प्रणाली का दूसरी प्रणाली से प्रभावी सम्मिलन हो। सभी परिवहन साधनों में किराये के डिजिटल भुगतान के लिए एक साझा यात्रा कार्ड की व्यवस्था करना भी इसी निकाय का दायित्व होगा। यह पैदल चलने वाले यात्रियों की जरूरतों, इंटरचेंज व्यवस्था, सड़कों का डिजाइन और परिवहन प्रणालियों का कॉन्कोर्स बनाने के बारे में भी गौर करेगा।

शहरी यातायात नियोजन के प्रति खंडित नजरिया बताता है कि दिल्ली और बेंगलूरु के 27 फीसदी कामकाजी और लखनऊ के केवल 11 फीसदी कामकाजी लोग ही अपने काम पर जाने के लिए सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के ये आंकड़े लंदन और सिंगापुर के क्रमश :45 फीसदी और 59 फीसदी अनुपात की तुलना में काफी कम हैं। सार्वजनिक परिवहन का कम इस्तेमाल किए जाने की एक अहम वजह तो यह है कि इसका सुविधाजनक घर-घर संपर्क नहीं है। शहरी यातायात को लेकर समेकित दृष्टिकोण नहीं होना ही इसकी मुख्य वजह है। शहरों की सीमाओं का विस्तार होने से अब लोगों को कार्यस्थल पर जाने के लिए अधिक दूर जाना पड़ रहा है। ऐसे में यह समस्या और गंभीर रूप ही अख्तियार करेगी।

केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने हैदराबाद में यूएमटीए के गठन को लेकर मई 2016 में जारी एक रिपोर्ट में कहा था कि तेलंगाना की राजधानी में शहरी परिवहन के विभिन्न पहलुओं को 20 कानून और 13 एजेंसियां नियमित कर रही हैं। इन एजेंसियों के बीच बहुत कम सामंजस्य होता है क्योंकि इनमें से कई एजेंसियों के उद्देश्य और लक्ष्य विरोधाभासी होते हैं। नतीजा यह होता है कि टिकटों की एकसमान व्यवस्था, बहुपक्षीय यात्री सूचना और विभिन्न परिवहन साधनों की उपलब्धता वाले टर्मिनल बनाने की राह में रोड़े खड़े होते हैं। इन परिवहन साधनों के किराये एकांगी तरीके से तय कर दिए जाते हैं और बसों के मार्ग का निर्धारण ऑपरेटरों के दबाव में होता है। बस ऑपरेटर जांचे-परखे मार्गों पर ही बसें चलाना पसंद करते हैं जबकि दूसरे मार्गों पर परिचालन से परहेज करते हैं।

भारत में विभिन्न परिवहन प्रणालियों को एक प्राधिकरण के मातहत लाने की शुरुआती कोशिशें छिटपुट और काफी हद तक असफल रही हैं। दिल्ली में दिल्ली समेकित बहुस्तरीय परिवहन प्रणाली) डिम्ट्स (का गठन अपने शुरुआती वादे पर खरा उतरने में नाकाम रहा है। इसकी मुख्य वजह यह है कि डिम्ट्स को मुख्य रूप से क्लस्टर बस व्यवस्था तक ही सीमित रखा गया है। यहां तक कि डिम्ट्स के दायरे में दिल्ली की समूची बस परिवहन प्रणाली भी नहीं है क्योंकि सरकारी बस सेवा दिल्ली परिवहन निगम पर इसका कोई नियंत्रण नहीं है।

वैसे हालात धीरे-धीरे बदल रहे हैं। वर्ष 2006 में केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति) एनयूटीपी (जारी की थी जिसमें 10 लाख से अधिक आबादी वाले सभी शहरों में यूएमटीए के गठन की सिफारिश की गई थी। वर्ष 2011 की जनगणना के मुताबिक, देश भर में 10 लाख से अधिक आबादी वाले 53 शहर हैं। वर्ष 2016 में भोपाल, हैदराबाद, जयपुर, कोच्चि, लखनऊ, तिरुचिरापल्ली और विजयवाड़ा जैसे कुछ गिने-चुने शहरों में यूएमटीए के गठन की कोशिशें हुईं। पिछले साल घोषित मेट्रो रेल नीति ने इन प्रयासों को और गति देने का काम किया है। मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जैसे शहरों में भारतीय रेलवे पहले से ही उपनगरीय रेल सेवाएं संचालित करता रहा है लेकिन यूएमटीए के वजूद में आने के बाद इन सेवाओं की कमान भी प्राधिकरण के सुपुर्द करनी होगी। इसके बदले में यूएमटीए ढांचागत-उपभोग शुल्क और अन्य शुल्कों का रेलवे को भुगतान करेगा।

सिंगापुर लैंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी) एसएलटीए (समेकित परिवहन संभावनाओं का दायरा और शहरी यातायात पर इसका असर समझने का एक बढ़िया उदाहरण है। एसएलटीए भूतल परिवहन के लिए हरेक पांच साल पर एक मास्टरप्लान लेकर आता रहा है। इसने 2008 में एक मास्टरप्लान पेश किया था और फिर 2013 में दूसरा प्लान लेकर आया। इन दोनों मास्टरप्लान का मकसद सिंगापुर के द्वीपीय शहर में सार्वजनिक परिवहन को पसंदीदा परिवहन विकल्प के रूप में स्थापित करना है। एसएलटीए के 2013 के मास्टरप्लान में वर्ष 2030 तक 20 किलोमीटर तक की दूरी वाली करीब 80 फीसदी यात्राओं को 60 मिनट के भीतर पूरा कर लेने, व्यस्ततम समय वाली 75 फीसदी यात्राओं के लिए सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने और करीब 80 फीसदी घरों से मेट्रो स्टेशन का फासला महज 10 मिनट के पैदल सफर तक पहुंचा देने का लक्ष्य रखा गया है। इस मकसद को पूरा करने के लिए सिंगापुर रेल नेटवर्क और ट्रेनों में नियोजित विस्तार करने, ढके हुए रास्तों का निर्माण और साइक्लिंग के लिए खास रास्ते का निर्धारण कर रहा है। अब वक्त आ गया है कि भारत के शहरों में भी परिवहन नीतियों को तय करते समय यात्रियों की जरूरतों को केंद्र में रखा जाए। इसके लिए यूएमटीए एक अपरिहार्य और अत्यावश्यक पूर्व-शर्त है।

GENERAL STUDIES HINDI

3. मासूमों पर कहर & Law

#Dainik_Tribune

मासूमों के साथ बलात्कार की घटनाओं के मद्देनजर हाल ही में केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश जारी करके 12 साल से कम उम्र की लड़कियों के साथ बलात्कार करने वालों को मौत की सजा का प्रावधान कर दिया। मौत की सजा लागू हो जाने के बावजूद इसी सप्ताह हरियाणा व चंडीगढ़ में मासूमों के साथ रेप तो हुआ ही, उनकी हत्या भी कर दी गई। नीतिनियामकों-, विधिवेत्ताओं, शासनप्रशासन औ-र पुलिस से लेकर समाज के जिम्मेदार लोगों तक के लिए यह गंभीर चिंता और सोचविचार की घड़ी है - कि महिलाओं की सुरक्षा के मद्देनजर मौत की सजा तय कर दिये जाने के बावजूद बलात्कार की घटनाओं में कोई कमी क्यों नहीं हो रही है। दोष हमारी व्यवस्था में है, सामाजिक तानेबाने में या फिर दोषियों की पकड़धकड़-, प्राथमिकी दर्ज होने से लेकर थाना, पुलिस, अदालत तक न्याय की सीढ़ी में ही फिसलन की कोई गुंजाइश बनी हुई है, जिसके चलते मौत की सजा का खौफ भी बलात्कारी की

मानसिकता पर हावी नहीं हो पा रहा है। रेप के केसों में इससे कड़ी सजा दूसरी कोई हो ही नहीं सकती कि 12 साल तक की बच्ची से दुष्कर्म करने वालों को फांसी पर चढ़ा दिया जाए। सरकार के इस निर्णय का मकसद यह था ताकि सजा के डर से लोग नाबालिग और मासूम लड़कियों के साथ घृणित कार्य करने से डरें।
तो क्या सजा के डर से हम अपराधों को रोक पाएंगे या फिर हमें दूसरे उपायों को देखना पड़ेगा। अगर हम हरियाणा के संदर्भ में देखें तो महिलाओं और लड़कियों के लिए हरियाणा में वह सम्मान अभी तक नहीं मिल पाया है, जिसकी वे अधिकारी हैं। हाल ही में हरियाणा में दो विभिन्न केसों में नाबालिग बालिकाओं की बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई। प्रश्न फिर से उठने लगा है कि कहीं कठिन सजा के डर से अपनी पहचान छुपाने के लिए अपराधियों ने यह कृत्य तो नहीं किया। साथ ही यह भी एक मुद्दा है कि सजा का डर इन अपराधियों को क्यों नहीं सुधार पा रहा है। इन अपराधों का कारण चाहे नशे की लत हो, विकृत मानसिकता हो या फिर कानून से बच निकलने का विश्वास, इसकी विवेचना करनी पड़ेगी। इन केसों को लेकर हमें अपने पुलिस सिस्टम पर भी गौर करना पड़ेगा। कानून की पकड़ इतनी ढीली क्यों हो रही है और लोग उसे इतने हल्के में क्यों ले रहे हैं, इसकी विवेचना अति आवश्यक है

5. क्षेत्रीय सहयोग के नए आयाम की ओर

#Nai_Duniya

प्रधानमंत्री ने पिछले दिनों चीन के क्विंगदाओं में संपन्न् शंघाई सहयोग संगठन के (एससीओ)18वें शिखर सम्मेलन में शिरकत करने के साथसरकार प्रमुखों से /साथ एससीओ देशों के राष्ट्राध्यक्षों-द्विपक्षीय बातचीत भी की, जिसमें मेजबान चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ उनकी बैठक सर्वाधिक अहम रही। हालांकि पाकिस्तान के राष्ट्रपति से मोदी ने केवल हाथ ही मिलाया, बातचीत नहीं की जो इस बात का संकेत था कि अभी उसके साथ अच्छे रिश्तों की संभावनाएं नहीं हैं।

बहरहाल, इस संदर्भ में अहम बात यह है कि पिछले कई दिनों के कवरेज में वैश्विक मीडिया ने क्विंगदाओ को क्यूबेक से कहीं अधिक महत्व दिया, जबकि क्यूबेक में विकसित देशों यानी जी)7) की शिखर बैठक हो रही थी और क्विंगदाओ में उभरती अर्थव्यवस्थाओं के साथ विकासशील देशों की। हालांकि वैश्विक मीडिया के एक वर्ग ने एससीओ सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की उपस्थिति को ग्लोरिफाई करने की कोशिश की और यह संदेश भी प्रसारित किया कि ये दोनों नेता शंघाई सहयोग संगठन के जरिए दुनिया के लिए नैरेटिव तैयार करने के साथ साथ-'एशियाई धुरी नीति को व्यवहारिक रूप देना चाह रहे हैं, जिसका मुख्य फोकस अफगानिस्तान और पाकिस्तान होगा। सच क्या है, इसका अनुमान कुछ तथ्यों के आधार पर लगाया जा सकता है। पहली बात तो यह कि दक्षिण एशियाई देश धीरेक्षेत्र सेबाहर होते -धीरे के भारत के प्रभाव-जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में चीन रूस-'एशियाई धुरी या 'दक्षिण एशियाई धुरी नीति को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन भारत अब इतना कमजोर नहीं है कि बीजिंगमास्को उसे नजरअंदाज करते हुए अपनी -रणनीति में सफल हो जाएं। इसलिए उन्हें यदि सफल होना है तो भारत को साथ लेकर चलना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्विंगदाओ में इस दृष्टि से स्पष्ट संदेश भी दे दिया है। उम्मीद है, चीन और रूस के साथ पाकिस्तान भी यह बात समझ गया होगा।

प्रधानमंत्री मोदी की क्विंगदाओ यात्रा के दो परिप्रेक्ष्य हैंबहुपक्षीय और द्विपक्षीय। पहला -, एससीओ के जरिए यूरेशिया देशों को अपने उद्देश्यों से परिचित कराना और दूसरा, चीन के साथ वुहान से क्विंगदाओ तक के सफर के हासिल सुनिश्चित करना। क्विंगदाओ एससीओ सम्मेलन में दो बड़ी बातें निकलकर सामने आईं। प्रधानमंत्री मोदी ने एससीओ के मंच से 'सिक्योर कॉन्सेप्ट के रूप में सदस्य देशों को नागरिकों की सुरक्षा, आर्थिक विकास, क्षेत्रीय जुड़ाव, एकता, राष्ट्रों की संप्रभुता व अखंडता का सम्मान

और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इसके साथ ही उन्होंने चीन के महत्वाकांक्षी 'वन बेल्ट वन रोडप्रोजेक्ट पर एक बार फिर अडिग रुख का परिचय देते हुए इसे समर्थन देने से इनकार कर दिया। एससीओ के मंच से उन्होंने बेलाग कहा कि देशों को जोड़ने वाली संपर्क परियोजनाएं ऐसी हों, जो विभिन्न् देशों की संप्रभुता व अखंडता का सम्मान करें।

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में अफगानिस्तान को केंद्र में रखकर पाकिस्तान पर परोक्ष निशाना साधा। उन्होंने अफगानिस्तान को आतंकवाद का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण उदाहरण माना। सभी जानते हैं कि अफगानिस्तान की दुर्दशा का मूल कारण पाकिस्तान है। चूंकि पिछले काफी समय से मास्को, बीजिंग और इस्लामाबाद एक त्रिगुट निर्मित करने की आगे बढ़ रहे हैं, लिहाजा प्रधानमंत्री का यह संदेश परोक्ष रूप से बीजिंग व मास्को के लिए भी था। अस्ताना में पिछले वर्ष एससीओ शिखर सम्मलेन में चीनी अधिकारियों ने दोनों नए सदस्य देशों भारत और पाकिस्तान को बता दिया था कि इन्हें एससीओ चार्टर के अनुच्छेद 1 में उल्लिखित 'अच्छे पड़ोसी की भावना का सख्ती से पालन करना होगा। यही वजह है कि भारत और पाकिस्तान की सैन्य टुकड़ियां चीन में 'फैनफेयर फॉर पीस मिलिट्री टैट्टू और 'पीस मिशन 2018 में हिस्सा लेंगी। 'पीस मिशन 2018 आतंकवादरोधी संयुक्त सैन्याभ्यास है। अब जबकि - बार कहता है कि पाकिस्तान आतंकवाद को संरक्-भारत बारषण दे रहा है और हमारे खिलाफ खिलाफ छद्मद्ध लड़ रहा हैयु-, तब वह इन विरोधाभासों से कैसे निपटेगा?

फिर भी यह तो कहना होगा कि शंघाई सहयोग संगठन से जुड़ जाने के बाद भारत की यूरेशियाई अर्थव्यवस्था तक पहुंच सुनिश्चित हो गई है। यह संगठन सदस्य देशों के बीच आतंकवाद, नशीले पदार्थों की तस्करी, साइबर सुरक्षा के खतरों आदि पर महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी को साझा करने के साथ-साथ आतंकरोधी संयुक्त सैन्याभ्यास पर भी जोर देता है, इसलिए भारत को इसके जरिए आतंकवाद से लड़ने में सहयोग मिलना चाहिए। संभव है कि उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के साथ संपर्क स्थापित कर चाबहार प्रोजेक्ट के जरिए भारत इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को यूरेशिया तक पहुंचाए, जैसा कि अश्गाबात करार से दिखने भी लगा है। अश्गाबात करार के बाद उत्तरदक्षिण कॉरिडोर की - कनेक्टिविटी का मार्ग प्रशस्त हो गया है। इस प्रकार की विकास परियोजना चीन के 'वन बेल्ट वन रोड को काउंटर करने में सहायक होगी।
इसके साथ ही इस सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री मोदी व चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग की मुलाकात हुई और वार्ता के बाद चीन की ओर से भारत को ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में जल संबंधी सूचनाएं साझा करने और भारत से चीन को गैरहमति पत्रों पर हस्ताकबासमती चावल निर्यात संबंधी स-ष्‍र किए गए। गौरतलब है कि पिछले साल डोकलाम विवाद उभरने के बाद चीन ने नदी संबंधी जानकारी साझा करना बंद कर दिया था। अब इसकी राह फिर खुल गई है। वहीं गैरबासमती चावल को मंजूरी मिलने से भारत का - मदद मिलेगी। जहां त कृषि निर्यात बढ़ेगा और व्यापार असंतुलन कम करने मेंक भारतचीन द्विपक्षीय - व्यापार का संबंध है तो2020 तक इसे 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने की बात हो रही है। दरअसल चीन और अमेरिका के बीच इस समय ट्रेड वॉर चल रहा है। ऐसे में चीन को एशियाई बाजारों की जरूरत होगी और भारत उनमें सबसे ऊपर है। इसलिए चीन के भारत की ओर झुकाव का कारण तो बनता है। लेकिन जहां केंद्र में ऐसे भारतीय हित आएंगे, जिनका चीनी हितों से टकराव हो, वहां चीन यू-टर्न भी ले सकता है।
फिलहाल शंघाई सहयोग संगठन में भारत के लिए बहुतसी संभावनाएं हैं-, तो कुछ विरोधाभासी स्थितियां भी हैं। लिहाजा इस संगठन में भारत की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि वह इन दोनों चीजों में किस तरह संतुलन बनाकर चल पाता है

भारत, पाकिस्तान और चीन के बीच त्रिपक्षीय बातचीत का प्रस्ताव पूरी तरह नकारने लायक नहीं
#Satyagriha

Recent Context

यह अफसोस की बात है कि भारत सरकार ने पाकिस्तान और चीन के साथ त्रिपक्षीय बातचीत के प्रस्ताव को तुरंत खारिज कर दिया. चीन के राजदूत ल्यू झाओहुई ने एक कार्यक्रम के दौरान इस प्रस्ताव की चर्चा की थी. चीन के इस अस्पष्ट से प्रस्ताव और नई दिल्ली द्वारा इसे स्पष्टता के साथ खारिज किए जाने के बीच कई ऐसी दिलचस्प राजनीतिक संभावनाएं हैं, जिन पर निकट भविष्य में काम किया जा सकता है.

- बहुपक्षीय बातचीत में पक्षों से ज्यादा अहम बातचीत का एजेंडा होता है. हालांकि भारतीय विदेश विभाग के सूत्रों के मुताबिक चीनी राजदूत द्वारा भारत से मेलजोल बढ़ाने के मकसद से दिए गए ऐसे नए प्रस्तावों को हर बार बीजिंग का समर्थन हासिल नहीं होता.
- यहां याद किया जा सकता है कि पिछले साल ल्यू ने यह प्रस्ताव भी रखा था कि चीन की 'बेल्ट एंड रोड' परियोजना पर भारत की आपत्ति के मद्देनजर वह चाइना-पाकिस्तान कॉरीडोर का नाम बदल सकता है. हालांकि जैसा तब हुआ था, चीन ने इस बार भी अपने राजदूत के प्रस्ताव पर कोई स्पष्ट टिप्पणी नहीं की है, तकनीकी भाषा में कहें तो उसे समर्थन नहीं दिया है.
- वैसे यहां इस बात पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि अगर चीन किसी प्रस्ताव का सार्वजनिक रूप से समर्थन नहीं कर रहा तो इसका अर्थ हमेशा यह नहीं है कि वह उसके लिए बेमतलब है. ताकतवर देश अकसर अपने राजदूतों को यह निर्देश देते रहते हैं कि वे जानबूझकर कुछ मसलों पर टीका-टिप्पणी करें ताकि संबंधित देश का इन पर रुख पता चल सके. फिलहाल ताजा प्रस्ताव को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया है कि चीनी राजदूत ने संभवत: 'निजी बयान' दिया था.
- हालांकि राजदूत सार्वजनिक कार्यक्रमों में अमूमन निजी बयान नहीं देते. एक सच्चाई यह भी है कि चीन खुलकर भारत और पाकिस्तान के बीच अच्छे संबंधों की वकालत करता रहा है. अब तो एशिया के ये दोनों देश शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के पूर्णकालिक सदस्य भी हैं और चीन इस मंच से भी इन दोनों को करीब लाना चाहता है.
- भारत पाकिस्तान के साथ बातचीत में तीसरे पक्ष की मध्यस्थता कड़ाई से नकारता है. यही वजह है कि चीनी राजदूत के प्रस्ताव पर नई दिल्ली की स्पष्ट और तुरंत प्रतिक्रिया देखने को मिली. भारत को आशंका है कि बड़ी ताकतें कश्मीर समस्या का ऐसा समाधान उसके ऊपर थोपने की कोशिश कर सकती हैं जो दशकों पहले तो राजनीतिक रूप से सही ठहराया जा सकता था लेकिन आज नहीं. फिर भी भारत जैसी उभरती ताकत को तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को लेकर इतनी असहजता नहीं दिखानी चाहिए. अगर मंगोलिया जैसा छोटा सा देश अपने दो दिग्गज पड़ोसियों – चीन और रूस के साथ एससीओ की बैठक से इतर त्रिपक्षीय बातचीत कर सकता है तो भारत को इससे डरने की क्या जरूरत है?

त्रिपक्षीय बातचीत खारिज करने के बजाय भारत को इस मामले में गेंद चीन के पाले में डाल देनी चाहिए थी. भारत को स्पष्ट करना चाहिए था कि अगर बातचीत का एजेंडा सही है तो उसे इस प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नहीं है. नई दिल्ली को इस मामले में तीन बिंदुओं वाला एजेंडा पेश करना चाहिए था. इसमें पहला बिंदु यह हो सकता था कि तीनों देश कश्मीर विवाद से जुड़े अपने पूर्वग्रह किनारे रखकर एक-दूसरे के साथ जुड़ने के लिए सहयोग करेंगे; दूसरा यह कि तीनों पक्ष बिना 'मूल समस्या' का हवाला दिए आतंकवाद के खिलाफ सहयोग करेंगे; तीसरा बिंदु यह हो सकता था कि तीनों देशों के बीच भारत के पश्चिमोत्तर इलाके (जिसमें अफगानिस्तान शामिल है) तक कारोबार के लिए आवाजाही की व्यवस्था

सुनिश्चित हो. और अगर इस एजेंडे पर चीन पाकिस्तान को मना लेता तब तो भारत खुशी-खुशी नई दिल्ली में ही पहले चरण के लिए इस बातचीत का आयोजन कर सकता था

6. क्या दुनिया अब पूरब के एकीकरण और पश्चिम के बिखराव की तरफ बढ़ रही है? #Satyagriha

दुनिया की सात बड़ी आर्थिक ताकतों के संगठन जी-7 की बैठक इस समूह में बिखराव और आपसी कड़वाहट के बीच खत्म हो चुकी है. इस आयोजन के बीच एक कुर्सी पर बैठे हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को समझाइश देती लग रहीं जर्मनी की चांसलर अंगेला मर्केल की तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई है. यह तस्वीर भी जी-7 की बैठक के नतीजे का इशारा समझी जा रही है.

वहीं सात से 10 जून के बीच चीन के चिंगदाओ में आठ देशों के समूह शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की बैठक भी हुई है. रूस, चीन, भारत और पाकिस्तान के साथ मध्य एशिया के चार देशों के इस क्षेत्रीय समूह की बैठक में आमंत्रित सदस्यों के रूप में ईरान और अफगानिस्तान शामिल हुए थे. जी-7 की बैठक के उलट इस बैठक के बाद सर्वसहमति से एक संयुक्त घोषणापत्र भी जारी हुआ है. इसमें हठधर्मिता दिखाने के लिए अमेरिका की आलोचना करते हुए नियम-कायदों पर आधारित विश्व व्यवस्था की हिमायत की गई है.

कनाडा में आयोजित जी-7 की इस बैठक में डोनाल्ड ट्रंप ने कोशिश की थी कि रूस को शामिल करके इस समूह को 'जी-7 प्लस 1' बना दिया जाए. हालांकि बाकी देशों का उनके इस प्रस्ताव पर बड़ा ही ठंडा रवैया रहा. लेकिन यूरोप और एशिया को जोड़ने वाली ताकत रूस फिलहाल एससीओ का सदस्य बनकर संतुष्ट है. यह इस बात का भी प्रतीक है कि अब ताकत का केंद्र पश्चिम के बजाय पूर्व की तरफ खिसक रहा है. इसी बदलाव के लिए कहा जाता है कि यह शताब्दी एशिया की शताब्दी होगी.
एससीओ के संयुक्त घोषणापत्र में सीधे-सीधे अमेरिका का नाम नहीं लिया गया है, लेकिन इसमें ईरान परमाणु समझौते का समर्थन किया गया है. चीन और रूस इस समझौते का हिस्सा हैं, जबकि अमेरिका इससे अलग हो चुका है.

इस घोषणापत्र में एक-तरफा संरक्षणवाद की आलोचना करते हुए विश्व व्यापार संगठन का समर्थन किया गया है. इस आधार पर कहा जा सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप के संरक्षणवादी कदमों की जी-7 के साथ-साथ एससीओ के देशों ने भी आलोचना की है.

हालांकि एससीओ के देशों ने अंतरराष्ट्रीय व्यापार में डॉलर के दबदबे की चुनौती देने की बात सीधे नहीं कही, लेकिन यह तय किया है कि वे आपसी व्यापार अपनी-अपनी मुद्राओं में करेंगे. यह फैसला इस लिहाज से काफी अहम माना जा सकता है कि इन देशों की जीडीपी, पूरी दुनिया की कुल जीडीपी का पांचवां हिस्सा है.

इन बातों के अलावा घोषणापत्र में अमेरिका द्वारा कोरियाई प्रायद्वीप में एंटी-मिसाइल सिस्टम तैनात करने के प्रस्ताव पर चीन की चिंता को जगह मिली है और सीरियाई शासन को अस्थिर करने की कोशिशों पर रूस के विरोध को भी तवज्जो दी गई है.

भारत को छोड़कर एससीओ के सभी देशों ने चीन की बेल्ट और रोड परियोजना (ओबॉर) का समर्थन किया है. इसके पाक अधिकृत कश्मीर से गुजरने पर भारत शुरू से आपत्ति जताता रहा है. इसके

बावजूद एससीओ ऐसा मंच है, जहां भारत इन देशों के साथ कई अन्य मोर्चों पर साझेदारी निभा सकता है.

Security

1. सैन्य खरीद के लिए विदेशों पर निर्भरता चार साल में पांच गुना

- सरकार द्वारा 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम पर जोर देने के बाद भी इसका कोई व्यापक असर पड़ता हुआ नहीं दिखता.
- सैन्य साजो-सामान के लिए भारत की विदेशों पर निर्भरता बढ़ती जा रही है.
- रक्षा मंत्रालय की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 2012-13 की तुलना में 2016-17 में इसमें करीब पांच गुना बढ़ोतरी हुई है.
- रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है कि भारतीय सेना को आवंटित रकम का एक बड़ा हिस्सा विदेशों से गोला, बारूद, बंदूकें और टैंक खरीदने में खर्च हुआ है.
- साल 2012-13 में विदेशों से रक्षा खरीद के लिए 988 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे. इसके चार साल बाद 2016-17 में यह आंकड़ा 5284 करोड़ रुपये पहुंच गया.

2. पुलिस की साख का सवाल

#Amar_Ujala

- इन दिनों लगभग हर राज्य का पुलिस महकमा सोशल मीडिया पर त्वरित कार्रवाई की प्रशंसनीय पहल करता दिखता है, लेकिन पुलिस व्यवस्था से जुड़े ढेरों सवाल आज भी जस के तस हैं। दरअसल बीते दिनों संसद में गृह मंत्रालय ने एक रिपोर्ट का जिक्र किया, जिसके मुताबिक दिल्ली में 51 फीसदी लोगों ने अपराध को सबसे बड़ी समस्या माना। देश की राजधानी का ये हाल, मुल्क की बाकी तस्वीर भी साफ समझाता है।

Some fact

- यूएन के मुताबिक, एक लाख की आबादी पर 222 पुलिसकर्मी होने चाहिए, जबकि हमारे मुल्क में सिर्फ 151 हैं।
- जमीनी हकीकत इससे भी बदतर है। मौजूदा करीब 19 लाख पदों में से करीब चार लाख पद खाली हैं। सबसे ज्यादा दो लाख पद अकेले उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में 32 हजार, बिहार में 29 हजार, जबकि गुजरात में 25 हजार और झारखंड में 21 हजार पुलिस पद खाली हैं। वैसे ऐसे हालात रातों-रात नहीं बने। वर्षों से कमोबेश ऐसी ही बदहाली नजर आती है।

हमारा संविधान 'पुलिस' की जिम्मेदारी राज्यों को देता है, लेकिन मानो पुलिस सुधार किसी की प्राथमिकता में रहा ही नहीं। कुछ वक्त पहले कैग ने बताया कि राजस्थान में जरूरी हथियारों में 75 फीसदी, जबकि पश्चिम बंगाल में 71 फीसदी तक की कमी है। बीपीआरडी के मुताबिक राज्य पुलिस के पास 30 फीसदी वाहनों की कमी है। यानी न पुलिसकर्मी हैं, न हथियार हैं और न ही वाहन। वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक 663 भारतीयों पर एक पुलिसकर्मी है, जबकि देश के 20 हजार माननीयों के लिए औसतन तीन—तीन पुलिसकर्मी तैनात हैं। पुलिस की प्राथमिकता में आखिर है कौन-वीआईपी या आम आदमी?

- शायद यही वजह है कि देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में लोगों ने मान लिया कि सुरक्षा सरकार के भरोसे नहीं, बल्कि खुद के भरोसे करनी होगी। यूपी पुलिस के पास करीब 2.25 लाख हथियार हैं, जबकि सूबे के लोगों के पास करीब पौने 13 लाख हथियार! पुलिस से करीब छह गुना ज्यादा। पूरे देश के करीब 33 लाख लाइसेंसी हथियारों का 38 फीसदी अकेले उत्तर प्रदेश में। आलम यह है कि देश में पुलिस वाले करीब 19 लाख हैं, जबकि निजी गार्ड करीब 70 लाख। किसी भी लोकतांत्रिक मुल्क में ये आंकड़ें यकीनन डराने वाले हैं।

- हालांकि ऐसा नहीं कि पुलिस सुधार पर बात नहीं हुई। 1902-03 में अंग्रेजों ने भारतीय पुलिस आयोग का पहला प्रयास किया। 1977—81 तक नेशनल पुलिस कमीशन ने काम किया। शाह आयोग, रेबैरो कमेटी, पदमनाभैय्या कमेटी, मलिमथ कमेटी के साथ—साथ सोली सोराबजी के पुलिस एेक्ट का मसौदा और प्रकाश सिंह की अदालती लड़ाई तक काफी कुछ हुआ। लेकिन जमीनी स्तर पर हालात नहीं सुधर सके। पुलिस व्यवस्था को आज भी ब्रिटिश मानसिकता के चश्मे से ही चलाया जा रहा है।
- यकीनन पुलिस विभाग की इस बदहाल तस्वीर के पीछे सरकारों की उदासीनता बड़ी वजह है। सरकारें अपने बजट का केवल तीन फीसदी ही पुलिस पर खर्च करती हैं। 2015—16 में पुलिस आधुनिकीकरण के लिए केंद्र ने 9,203 करोड़ रुपये दिए, लेकिन राज्य सरकारें उसका भी केवल 14 फीसदी ही खर्च कर सकीं। मोदी सरकार ने पुलिस सुधार के लिए तीन साल में 25,060 करोड़ रुपये की एक नई योजना का एलान किया। इसमें 18,636 करोड़ रुपये केंद्र के, जबकि 6424 करोड़ रुपये राज्यों के होंगे। उम्मीद की जाती है कि रकम खर्च हो सकेगी। जाहिर है, पुलिस सुधार से जुड़े कई कदम जल्द उठाने होंगे। पुलिसकर्मियों को राजनीतिक निष्ठा जताने से बचना होगा, उधर नीति निर्माताओं को भी पुलिस को 'फुटबॉल' बनाने से बचना होगा। तब जाकर देश के 15 हजार 579 थानों की साख कायम हो सकेगी।

Social Issues

1. दलित उत्पीड़न

Current Context

बीते समय में देश के अलग-अलग हिस्सों से दलितों के खिलाफ हिंसा की घटनाएं सामने आती रही हैं. इस तरह अपनी जाति की श्रेष्ठता जताने की कोशिश करने वाले उपद्रवी तत्व सीधे-सीधे देश के कानून के लिए चुनौती पेश कर रहे हैं. दलितों के खिलाफ हिंसा करने वालों में से ज्यादातर बहुत अच्छे से जानते हैं कि वे संविधान के तहत नागरिकों को मिले बराबरी के अधिकार का उल्लंघन कर रहे हैं और उन पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निरोधक) कानून जैसे सख्त कानून के तहत कार्रवाई हो सकती है. इसके बावजूद ये लोग अपनी इस हरकत का प्रचार करना चाहते हैं और वीडियो भी बनाते हैं.

- पिछले हफ्ते ऐसे ही दो वीडियो चर्चा में आए थे. इनमें से एक वीडियो महाराष्ट्र का है. इसमें दलित समुदाय के दो बच्चों की पिटाई की जा रही है और इन्हें नंगा करके घुमाया जा रहा है क्योंकि ये दोनों गांव के कुएं पर नहा रहे थे.
- दूसरा वीडियो गुजरात का है. इसमें 13 साल के एक किशोर के साथ मारपीट के दृश्य हैं. इस लड़के को इसलिए पीटा गया था क्योंकि वह 'क्षत्रियों' जैसे कपड़े पहने हुए था.

Why VIDEOS

- जातिवादी दबंग जानबूझकर इन बर्बर घटनाओं का वीडियो बनाते हैं ताकि दलितों को और अपमानित किया जा सके. इस तरह ये लोग यह भी चाहते हैं कि दलितों को सार्वजनिक स्थानों पर बराबरी के अधिकार का दावा करने से हतोत्साहित किया जाए. हालांकि लगता नहीं कि दलित इन घटनाओं से हतोत्साहित हो रहे हैं. वहीं जिग्नेश मेवाणी और चंद्रशेखर आजाद 'रावण' जैसे युवा दलित नेताओं का उभार बताता है कि ये समुदाय अब किसी टकराव से पीछे हटने को भी तैयार नहीं हैं.
- दलित समुदाय के ज्यादा से ज्यादा लोग आज आधुनिकता को स्वीकार कर रहे हैं और इस तरह अतीत की अपनी जातिगत सामाजिक स्थिति से बाहर निकलने में जुटे हैं. वहीं दूसरी तरफ इसमें कोई दोराय नहीं है कि अपनी जातिगत श्रेष्ठता से भरे ऊंची जातियों के लोग दलितों के खिलाफ आज इस मोर्चे पर एक हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं.

Social Consciousness should come in Society

आज राजनीति में ध्रुवीकरण चरम पर है, लेकिन दिलचस्प बात है कि सभी पार्टियां जातिगत उत्पीड़न की निंदा करती हैं. यह राजनीतिक चेतना समाज में भी आनी चाहिए. साथ ही इसका असर प्रशासन, खासकर पुलिसकर्मियों में दिखना चाहिए क्योंकि जमीनी स्तर पर सबसे पहले पुलिस को ही ऐसे अपराधों से निपटना होता है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बीते दिनों में 'न्यू इंडिया' के अपने विज़न के साथ जातिवाद-संप्रदायवाद रहित सोच को समाज में आगे बढ़ाने की बात कहते रहे हैं. हालांकि इस बीच भाजपा के दलित सांसद 'सबका साथ, सबका विकास' नारे के असफल होने की बात करते रहे हैं.

कुल मिलाकर दलित उत्पीड़न की घटनाओं में कमी आए और वे बंद हों, इसके लिए मजबूत बुनियाद पर मुकदमे दर्ज होने और तेजी से सुनवाई की जरूरत है. इसके अलावा न्यू इंडिया में ज्यादा से ज्यादा आर्थिक अवसरों की जरूरत है ताकि इससे जातिगत संरचनाएं टूटें और विभिन्न वर्गों के बीच समानता स्थापित हो.

2. हिंसक घटनाओं के चलते 2017 में हर भारतीय को करीब 40 हजार रुपये का नुकसान
#Satyagriha

2017 में हुई हिंसक घटनाओं की वजह से देश की अर्थव्यवस्था को भारी चपत लगी है. इंस्टीट्यूट फॉर इकॉनॉमिक्स एंड पीस (आईईपी) की तरफ से जारी एक रिपोर्ट है कि बीते साल हुई हिंसा की वजह से देश को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के नौ प्रतिशत के बराबर का नुकसान उठाना पड़ा है.

- क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के लिहाज से देखें तो यह रकम 80 लाख करोड़ रुपये से भी ज्यादा बैठती है. प्रति व्यक्ति के हिसाब आकलन किया जाए तो यह आंकड़ा करीब 40 हजार रुपये ठहरता है.
- क्रय शक्ति समता (पीपीपी) विभिन्न देशों की मुद्राओं की आपसी तुलना के लिए बनाई गई एक प्रणाली है. इसके तहत एक देश की मुद्रा और दूसरे देश की मुद्रा के बीच वास्तविक तुलना के लिए कुछ निश्चित वस्तुओं और उनके दामों में मौजूद अंतर को देखा जाता है.
- 163 देशों और क्षेत्रों के अध्ययन के आधार पर तैयार की गई इस रिपोर्ट में 2016 के मुकाबले 2017 के दौरान भारत में हिंसक घटनाओं में कमी आने की बात भी कही गई है.
- रिपोर्ट के मुताबिक 2016 में 137वें पायदान से एक कदम चढ़कर शांति के लिहाज से भारत अब 136वें स्थान पर आ गया है.
- उधर रिपोर्ट में अफगानिस्तान और पाकिस्तान को दक्षिण एशिया के सबसे अशांत देशों में शामिल किया गया है. आतंकवाद, विस्थापन और शरणार्थियों की बढ़ती संख्या को इसकी प्रमुख वजह बताया गया है.

रिपोर्ट के मुताबिक बीते सात दशकों के दौरान अशांत देशों की अर्थव्यवस्था में कुछ हद तक स्थिरता भी देखने को मिली है. इसके अलावा कम शांत देशों के मुकाबले ज्यादा शांत देशों में प्रति व्यक्ति जीडीपी में तिगुनी बढ़ोतरी दर्ज की गई है. इस दौरान ऐसे देश ही निवेशकों की भी पसंद बने. 1980 के बाद से ज्यादा शांत देशों को अपने जीडीपी के दो प्रतिशत तक का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हासिल करने में सफलता मिली. उधर कम शांत देशों में यह दर 0.84 प्रतिशत ही रही.

3. उम्मीदों के बोझ से बिखरता बचपन
#Dainik_Tribune
आज का कड़ी प्रतिस्पर्धा का युग अब उस दौर में पहुंच चुका है जहां अभिभावक अनजाने में ही अपने बच्चों के दुश्मन बन बैठे हैं। प्रतिस्पर्धा पहले भी थी, पर उस समय अगर बच्चों को मनचाहा करियर नहीं मिलता था तो भी मानसिकता यही रहती थी कि अब बच्चे जो करें, उसी में अपना सर्वश्रेष्ठ दें और

जीवन में खुश और संतुष्ट रहें। पर व्यावसायिकता और भौतिक सुख-सुविधाओं के आज के दौर में ये चीज़ें इतनी यांत्रिकीय हो चुकी हैं कि अपने बच्चों से माता-पिता की अपेक्षाएं भी ऐसी हैं जैसे वे उनके बच्चे नहीं, कोई कंप्यूटर या रोबोट हों, जिसे जैसा प्रोग्राम किया जाए, वो हर बार 100 फीसदी क्षमता से वैसा ही परिणाम दे।

- घर, समाज, स्कूल, कोचिंग और मित्रों के बीच सभी जगह पर सिर्फ ये महत्वपूर्ण होता जा रहा है कि बच्चा आगे जाकर क्या बनने वाला है और उसके लिए क्या प्रयास कर रहा है। आज की शिक्षा-प्रणाली भी बच्चों को तीन साल की उम्र से अनुशासन की आदत डलवाकर धीरे-धीरे उसे 9वीं-10वीं तक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए खुद को तैयार करने के हिसाब से ही बनी है।
- माता-पिता अब हर हाल में अपने बच्चों को अपने सपने पूरे करते देखना चाहते हैं। ये ज्यादा मायने नहीं रखता कि बच्चे की खुद की रुचि किस तरफ है। उन्हें ये एहसास दिलाया जाता है कि उन्होंने जो विषय चुना है, उसमें उन्हें हर हाल में सफल होना है। ज़रा-सी चूक से अगर उनके अंक कम आए या वो पीछे रह गए तो उनका भविष्य बर्बाद हो जाएगा।
- ये मानसिकता बच्चों को नैसर्गिक रूप से विकसित होने और अपनी पसंद के क्षेत्र को चुनने की भी इज़ाज़त नहीं देती। इस तरह से पले-बढ़े बच्चे अगर माता-पिता और अपना लक्ष्य हासिल कर भी लेते हैं तो तब तक वे पूरी तरह से असंवेदनशील और मशीनी हो चुके होते हैं। ये प्रवृत्ति उनके सर्वांगीण विकास के लिहाज से घातक है। अब ये कड़ी प्रतिस्पर्धा बच्चों को असमय तनाव और अवसाद का शिकार बनाने लगी है। ये अंधी दौड़ मासूम जिंदगियां लीलने लगी है।
- ज्यादातर दंपति अपने बच्चों के साथ अपने माता-पिता से दूर रहते हैं। ऐसे में दादा-दादी का स्नेह, साथ और ध्यान भी बच्चों को नहीं मिलता। बच्चा अपनी बात किसी से कह नहीं पाता। बाल-मन दबाव में घबरा जाता है, बिखर जाता है। वो दबाव से बचने का प्रयास करता है पर धीरे-धीरे अवसादग्रस्त होता चला जाता है। माता-पिता शुरू में ध्यान नहीं देते। आखिर में व्यथित होकर बच्चा परेशानियों से बचने के लिए कोई गलत कदम उठा लेता है। मानव संसाधन मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक भारत में हर घंटे एक विद्यार्थी आत्महत्या करता है। भारत में प्रतियोगी परीक्षाओं के केंद्र राजस्थान के कोटा में आत्महत्या करने वाले विद्यार्थियों की संख्या सर्वाधिक है।

One size fit all approach don't work

ये समझना होगा कि हर बच्चा दूसरे से अलग होता है। उसकी रुचियां और क्षमता अलग होती हैं। बच्चों को ये बताना होगा कि हर वो क्षेत्र, जिसमें उनकी रुचि हो और वो आगे उसमें कुछ अच्छा कर पाए, महत्वपूर्ण है। बजाय ऐसे विषय की पढ़ाई करने के जिसे वो पसंद ना करते हों और सिर्फ आजीविका की दृष्टि से उन्हें वो लेना पड़े। ऐसा विषय लेना बेहतर है जो उनकी पसंद का हो और उस क्षेत्र में वो ख़ुशी-ख़ुशी आगे कुछ करना चाहें। अभिभावकों को अपने बच्चों को ये साफ बताना होगा कि उनकी पहली प्राथमिकता बच्चों की जिंदगी है और बाद में उनका करियर है। बच्चों को शुरू से ही ये समझाना होगा कि वो अपनी क्षमताओं से अपनी पसंद का लक्ष्य हासिल करने का प्रयास करें। पर अगर किसी कारण से उनके अंक कम भी आए या वो कोई परीक्षा पास नहीं भी कर पाए तो भी कुछ नहीं बिगड़ेगा।

Role of technology and child

आज के जीवन में गैजेट्स भले ही अति-महत्वपूर्ण हों, हमें बच्चों को उनका सीमित इस्तेमाल करना सिखाना होगा। बच्चों को वीडियो गेम्स से भी दूर रहना सीखना होगा। वीडियो गेम्स उन विशेषज्ञों द्वारा बनाए जाते हैं, जो चाहते हैं कि उसे खेलने वाले उसके आदी हो जाएं। इसके बजाय किसी तरह के मैदानी खेल खेलना बेहतर है जो शारीरिक विकास के साथ-साथ बच्चे को ऊर्जावान भी बनाए रखें और

उसको तनाव से दूर रखें। अपनी रुचि के अनुसार संगीत, गायन, चित्रकारी, बागवानी, लेखन और पठन करें।
शिक्षण संस्थानों को अब विशेषज्ञ काउंसलरों की नियुक्ति भी करनी होगी जो विद्यार्थियों से लगातार वार्तालाप करें और प्रयास करें ताकि उनमें आत्महत्या की प्रवृत्ति न विकसित हो। ज़रूरत पड़ने पर अवसादग्रस्त बच्चों का मनोवैज्ञानिक उपचार भी किया जाना चाहिए। हम अपने बच्चों को जीवन में बेहद सफल देखना चाहते हैं। पर सबसे जरूरी ये है कि बच्चे के जीवन को संभाला जाए। इसीलिए हमें उसे ये भी समझाना होगा कि जीवन में खुश और संतुष्ट रहना ज्यादा जरूरी है। बाकी सफलताएं भी समय के साथ आएंगी। बच्चों को अनुशासन की हद में आज़ादी देकर उन्हें पूरी तरह से विकसित होने दिया जाए ताकि वे अपनी जिम्मेदारियां खुद समझें।

4. सामाजिक प्रगति की दिशा में ठोस कदम, ताकि युवा भारत के लिए अधिक रोजगार सृजित हो सकें

#Dainik_Jagran

आज भारत दुनिया की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था है। सरकार ने अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए कई ढांचागत सुधार शुरू किए हैं। इनमें वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी के माध्यम से एकीकृत बाजार का सृजन, दिवालिया संहिता (आईबीसी) लागू करना, 433 स्कीमों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश व्यवस्था को खोलना और कारोबारी सहूलियत देना प्रमुख हैं। अर्थव्यवस्था में वृद्धि की दर बने रहने की संभावना है, किंतु चुनौती यह है कि इससे भी अधिक वृद्धि दर तीन दशकों तक कायम रहे ताकि युवा भारत के लिए अधिक रोजगार सृजित हो सकें और देश में खुशहाली आए। हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, पर मानव विकास सूचकांक की दृष्टि से मोटे तौर पर ठहराव बना हुआ था। स्वास्थ्य, पोषण और शैक्षिक नतीजों की दृष्टि से सुधार तो हुआ है, किंतु बदलाव की दर हमारी अपेक्षा से काफी कम है। यह आवश्यक है कि हम अपनी सामाजिक पूंजी में निवेश पर ध्यान दें और उसे बढ़ाएं। सामाजिक क्षेत्र में बड़े परिवर्तन की तत्काल आवश्यकता है। सरकार में सबसे निचले स्तर पर भी ढांचे को बदलने, विभिन्न मंत्रालयों की स्कीमों को समेकित करने, वास्तविक प्रगति को मापने और समुदायों के विकास में उन्हें शामिल करने के प्रयास किए गए हैं। इन कदमों से आने वाले दशकों में भी भारतीय नागरिकों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

अगर हमारा कार्यबल कुपोषित रहेगा तो देश सशक्त नहीं बनेगा। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे यानी एनएफएचएस-4 के अनुसार करीब हर तीन में से एक बच्चे का विकास अवरुद्ध है और हर दूसरी महिला रक्ताल्पता की शिकार है। कुपोषण के कई कारकों को ध्यान में रखते हुए हाल में पोषण अभियान शुरू किया गया है। इसमें स्थानीय समुदायों की भागीदारी से एक जन आंदोलन खड़ा करने पर जोर है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए एक सशर्त नकद अंतरण स्कीम भी है। मिशन इंद्रधनुष से यह सुनिश्चित किया गया है कि 201 जिलों में पूर्ण टीकाकरण की दर में 2013-14 के 61 प्रतिशत की तुलना में 6.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अधिक कुपोषण वाले जिलों में रोटा वायरस और अन्य टीकों से पांच साल से कम उम्र के बच्चों में अतिसार और न्यूमोनिया के मामलों की रोकथाम होने की संभावना है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत साफ-सफाई पर लगातार बल देने से ग्रामीण भारत में स्वच्छता 39 प्रतिशत से बढ़कर 84 फीसद हुई है।
इसके स्वास्थ्यगत और साथ ही आर्थिक लाभ दिखने शुरू हो गए हैं। इससे चिकित्सा लागत घटी है, समय की बचत हुई है और जीवन की रक्षा भी हुई है। 2018-19 का बजट इस मायने में अभूतपूर्व रहा कि इसमें स्वास्थ्य क्षेत्र पर बल देने के साथ ऐतिहासिक आयुष्मान भारत योजना शुरू की गई। आयुष्मान भारत के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन (एनएचपीएम) अब तक की सबसे बड़ी और

पूरी तरह सरकार द्वारा वित्तपोषित स्वास्थ्य बीमा योजना है। अनुमान है कि इससे 10.74 करोड़ परिवारों यानी लगभग पचास करोड़ लोगों को पांच लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा कवर मिलेगा। इसके तहत लोग 1364 रोगों का नकदी रहित उपचार करा सकेंगे। ऐसी महत्वाकांक्षी योजना के अमल में चुनौतियां काफी होती हैं। एनएचपीएम में हमारे नागरिकों को अब तक मिल रही स्वास्थ्य सेवा में जबरदस्त बदलाव लाने की क्षमता है। सरकार को इसकी चिंता है कि एक सुव्यवस्थित स्वास्थ्य प्रणाली में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा को वरीयता मिले। सरकार उप-स्वास्थ्य केंद्रों/प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के उन्नयन के जरिये ऐसे 1,50,000 समुचित संसाधन वाले स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों की स्थापना के प्रति समर्पित है जहां व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा मिल सके, जिनमें मुफ्त औषधि और जांच सुविधा शामिल है

इन केंद्रों में सभी लोगों का स्वास्थ्य ब्योरा रखा जाएगा। इससे रोग की परिस्थितियों का जल्दी पता लगाया जाना सुनिश्चित हो सकेगा। स्वास्थ्य क्षेत्र में कुशल कर्मियों की कमी भी सरकार की चिंता का विषय है। भारतीय चिकित्सा परिषद के स्थान पर राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग विधेयक लाया जा रहा है। 2022 तक स्वास्थ्य क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र में 15 लाख रोजगार सृजित होने का अनुमान है। सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के समग्र शिक्षा अभियान के रूप में विलय से अब हम विद्यालयों को प्राथमिक, उच्च-प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक खंडों में वर्गीकरण के बजाय एक संपूर्ण इकाई के रूप में देख सकते हैं। इससे विद्यालयों का बेहतर प्रबंधन और शिक्षण संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित होगा। शिक्षा के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के माध्यम से 'उन्नयन बांका' पहल के लिए बांका, बिहार के जिला प्रशासन को प्रधानमंत्री लोक प्रशासन पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह एक मल्टी-प्लेटफार्म मॉडल उपलब्ध कराती है जहां विद्यार्थियों को टीवी, लैपटॉप आदि माध्यम से आधुनिक सुविधा मिलती है। यह 'मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय' के माध्यम से मोबाइल फोन पर कभी भी और कहीं भी शिक्षा-प्राप्ति के मॉड्यूल्स उपलब्ध कराती है। जिलों के विकास में विषमता को स्वीकारते हुए सरकार ने विकास के मामले में पिछड़े जिलों की विकास संबंधी जरूरतों का समाधान किया है। इसके तहत 28 राज्यों के उन 115 जिलों का सुधार करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है जहां विकास के विभिन्न मानदंडों के हिसाब से सबसे कम प्रगति देखी गई है। इनमें भारत की 20 प्रतिशत से अधिक आबादी रहती है। इसके तहत शिक्षा, स्वास्थ्य-पोषण, वित्तीय समावेशन, कृषि, कौशल विकास और बुनियादी अवसंरचना से संबंधित 49 संकेतकों में सुधार करने पर जोर दिया जा रहा है। यह कार्यक्रम तत्क्षण डेटा और निरंतर निगरानी पर आधारित है। यह विभिन्न संस्थाओं और सिविल सोसायटी के साथ भागीदारी में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच एक सहयोगी परियोजना है।

उचित समावेशी विकास को बढ़ावा देने और मानव विकास संकेतकों में सुधार की गति बढ़ाने हेतु संसाधनों की प्राथमिकता का निर्धारण करने और अड़चनों को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी तरह ग्राम स्वराज अभियान के माध्यम से कल्याणकारी स्कीमों का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इसका लक्ष्य प्रमुख कल्याण कार्यक्रमों को देश के पिछड़े क्षेत्रों तक पहुंचाना है। शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण पर सरकार के प्रोत्साहन को देखते हुए यह माना जा रहा है कि हम मानव विकास सूचकांक क्षेत्र में बड़ा प्रभाव देख सकेंगे। कुछ प्रभाव तो दिखने शुरू भी हो गए हैं। इनका वास्तविक लाभ किसी भी चुनाव चक्र से आगे तक जाएगा। उम्मीद है कि ये सभी परिवर्तन एक स्थाई विशेषता बनेंगे

Economy

1. अर्थव्यवस्था की कामयाबी के तमाम दावों के बीच रोजगार सृजन ?

- एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बीते चार सालों में केवल 36 लाख सालाना की दर से ही रोजगार पैदा हो पाए हैं. वहीं लेबर ब्यूरो के अनुसार अर्थव्यवस्था में आठ फीसदी की हिस्सेदारी रखने वाले संगठित क्षेत्र में 2014 से 2016 के बीच तीन लाख से भी कम की औसत से रोजगार पैदा हुए हैं.

- वित्त वर्ष 2014-15 में यह आंकड़ा 4.93 लाख का था जबकि इसके अगले दो साल यह आंकड़ा महज 1.55 और 2.31 लाख तक सिमटकर रह गया. हालांकि संगठित क्षेत्र के आकार और प्रधानमंत्री के वादे को देखते हुए इससे हर साल करीब 16 लाख रोजगार पैदा करने की जरूरत थी.
- भारतीय रिजर्व बैंक भी अपने एक अध्ययन में 2014 से 2016 के बीच कम रोजगार पैदा होने की बात मान चुका है. वहीं नोटबंदी और जीएसटी के चलते 2016 के अंत से अब तक असंगठित क्षेत्र में भी रोजगार की संभावनाएं नकारात्मक रूप से प्रभावित हुई हैं. इसके अलावा पिछले चार साल में अर्थव्यवस्था के अपेक्षित गति से वृद्धि न करने से भी देश में बेरोजगारी का औसत प्रतिशत लगातार बढ़ा है.
- अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के अनुसार 2014 में देश में बेरोजगारी की दर 3.41 फीसदी थी जो अगले तीन सालों (2015, 2016 और 2017) में बढ़ते हुए 3.49, 3.51 और 3.52 फीसदी हो गई.
- हालांकि भारतीय अर्थव्यवस्था पर नजर रखने वाली निजी एजेंसी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी (सीएमआईई) के बेरोजगारी संबंधी आंकड़े आईएलओ से करीब एक फीसदी ज्यादा हैं. सीएमआईई यह भी कहती है कि अप्रैल 2018 में देश में 5.86 फीसदी बेरोजगारी थी. वैसे अर्थशास्त्रियों का मानना है कि किसी भी अच्छी अर्थव्यवस्था में चार फीसदी से ज्यादा बेरोजगारी ठीक नहीं होती है.

2. अमेरिका में ब्याज दर तेजी से बढ़ने का भारत पर क्या असर हो सकता है?

In news:

अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने ब्याज दर में एक बार फिर चौथाई फीसदी की वृद्धि कर दी है. इसके साथ ही अमेरिका में केंद्रीय बैंक की ब्याज दर 2008 के बाद सर्वोच्च स्तर (दो फीसदी) तक पहुंच गई है. यह बढ़ोतरी 2018 की दूसरी जबकि 2017 से छठी है. यही नहीं, फेडरल रिजर्व की ताजा बैठक में एक बार फिर संकेत दिया गया है कि इस साल ब्याज दर दो बार और बढ़ाई जा सकती है. ऐसा हुआ तो 2018 के अंत तक अमेरिका की ब्याज दर 2.5 फीसदी तक पहुंच जाएगी.

- यह अमेरिकी अर्थव्यवस्था में मजबूती आने का संकेत है. माना जा रहा है कि इस संकेत से भारत के **विदेशी निवेश के बाहर निकलने का खतरा** और बढ़ जाएगा. 2018 में विदेशी निवेश की रफ्तार सुस्त पड़ने से पहले से परेशान चल रही मोदी सरकार की दुश्वारियां इससे और बढ़ सकती हैं. हालांकि भारत के साथ पूरी दुनिया को अमेरिकी अर्थव्यवस्था के मजबूत होने के बारे में मिले रहे संकेतों से काफी राहत मिलने की भी उम्मीद है.
- अमेरिकी अर्थव्यवस्था के मजबूत होने से भारतीय अर्थव्यवस्था पर कई अच्छे और बुरे असर पड़ने वाले हैं. अमेरिका की विकास दर और रोजगार के सुधरने से वहां मांग बढ़ेगी जिससे भारत से होने वाला निर्यात बढ़ सकता है.
- हालांकि निवेशक अब भारत के बजाय अमेरिका को ज्यादा तवज्जो दे सकते हैं क्योंकि अब उन्हें अमेरिका में निवेश करने पर पहले से ज्यादा रिटर्न मिलेगा. इससे भारत के कारोबारियों को धन जुटाने में परेशानी हो सकती है.
- यही नहीं, इससे भारत में पहले से निवेश किया हुआ धन भी अमेरिका लौट सकता है. इससे देश में डॉलर की मांग बढ़ेगी जिससे डॉलर की तुलना में रुपया और कमजोर हो सकता है. इससे हमारा आयात और महंगा हो जाएगा जिससे हमारे यहां महंगाई बढ़ सकती है. इससे भारत की विकास दर थोड़ा प्रभावित हो सकती है.

3. बेअसर होता विश्व व्यापार संगठन

#Patrika

इसमें कोई दो मत नहीं हैं कि विभिन्न अमरीकी राष्ट्रपतियों ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कोई 71 वर्षों तक जिस वैश्विक व्यापार, पूंजी प्रवाह और कुशल श्रमिकों के लिए न्याययुक्त आर्थिक व्यवस्था के निर्माण और पोषण में योगदान देकर विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ) को आगे बढ़ाया, अब वही डब्लूटीओ उसी अमरीका के वर्तमान राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के निर्णयों से जोखिम में है। डब्लूटीओ के अस्तित्व और उपयोगिता का प्रश्न सामने है।

- भारत सहित विकासशील देशों के करोड़ों लोग अनुभव कर रहे हैं कि डब्लूटीओ के बावजूद विकासशील देशों का शोषण हो रहा है।
- अमरीका के संरक्षणवादी रवैये से वैश्विक व्यापार युद्ध लगभग शुरू हो चुका है।
- वर्ष 2018 की शुरुआत से अब तक अमरीका ने चीन, मैक्सिको, कनाडा, ब्राजील, अर्जेंटीना, जापान, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, यूरोपीय संघ के विभिन्न देशों के साथ-साथ भारत की कई वस्तुओं पर आयात शुल्क बढ़ाए हैं। जवाब में प्रभावित देश भी आयात शुल्क बढ़ाने को मजबूर हैं। अमरीका ने भारत के स्टील व एलुमिनियम पर शुल्क बढ़ाया, तो भारत ने भी मेवे, झींगा, सेब, फास्फोरिक एसिड, स्टील क्षेत्र समेत कुल 29 अमरीकी उत्पादों पर शुल्क बढ़ाया।

अमरीका ने कनाडा के क्यूबेक सिटी में जी-7 शिखर सम्मेलन के बाद समझौते को नामंजूर कर और जी-7 सदस्य देशों से कुछ आयातों पर नए व्यापारिक प्रतिबंध घोषित कर वैश्विक व्यापार युद्ध के दरवाजे पर एक और दस्तक दी। 23 जून को ट्रंप प्रशासन ने इबी-5 निवेशक वीजा कार्यक्रम बंद करने का प्रस्ताव कांग्रेस के सामने रखा। ट्रंप सरकार का आरोप है कि इस वीजा के जरिए विदेशियों द्वारा अमरीका में फर्जीवाड़ा करने की घटनाएं बढ़ रही है। इसी तरह, 16 जून को ब्रिटिश सरकार ने आव्रजन नीति में बदलाव से संबंधित प्रस्ताव संसद में पेश किया। इसमें भारत को छोडक़र 25 देश शामिल किए गए, जिनके छात्रों को टियर-4 वीजा श्रेणी में ढील दी जाएगी। आयातित वस्तुओं पर शुल्क का मसला हो या सेवा क्षेत्र में प्रतिभाओं के कदमों को रोकने के लिए वीजा संबंधी नियमों को लेकर विकसित देशों के अन्याययुक्त फैसलों का, डब्लूटीओ प्रभावी साबित नहीं हो पा रहा है। विभिन्न देशों को चाहिए कि डब्लूटीओ के मंच से ही वैश्वीकरण के दिखाई दे रहे नकारात्मक प्रभावों का हल निकालें। ऐसा नहीं हुआ तो दुनियाभर में विनाशकारी व्यापार लड़ाइयां ही 21वीं सदी की हकीकत बन जाएंगी।

4. बैड बैंक: समाधान या नई समस्या?

#Business_Standard

फंसे हुए कर्ज की समस्या ने नीति निर्माताओं और सरकारी बैंकों की रातों की नींद उड़ा रखी है। सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने फंसे हुए कर्ज की समस्या के निस्तारण को लेकर गंभीरता और प्रतिबद्धता दिखाई है। फंसे हुए कर्ज की समस्या के निस्तारण को लेकर कई संभावित विचारों पर चर्चा और बहस हुई। उनमें से कुछ को लेकर प्रयास भी किए गए। ऐसा ही एक विचार जिस पर बार-बार चर्चा की जाती रही है वह है बैड बैंक की स्थापना।

What is Bad bank concept?

बैड बैंक का विचार यह है कि किसी बैंक की सारी फंसी हुई परिसंपत्ति और कर्ज को बैड बैंक नामक एक अलग संस्था के हवाले कर दिया जाना चाहिए ताकि बैंक की बैलेंस शीट में सुधार हो सके। उसके बाद बैड बैंक से यह उम्मीद की जाती है कि वह उचित तरीके से इनका प्रबंधन करे। इसमें नकदीकरण और पुनर्गठन करने जैसे तरीके शामिल हैं। परंतु एक बैड बैंक को सफलतापूर्वक संचालित करने की राह में भी कुछ चुनौतियां हैं।

What things should be kept in mind

- परिसंपत्ति गुणवत्ता को लेकर विसंगतिपूर्ण खबरों के बीच सरकार का समर्थन जरूरी है ताकि निवेशकों में भरोसा पैदा हो। यह काम बैड बैंक को पर्याप्त पूंजी मुहैया कराके भी किया जा सकता है और एक हद तक नुकसान को गारंटी देकर भी।
- बैड बैंक को स्थानांतरित की जाने वाली परिसंपत्ति का स्थानांतरण मूल्य सावधानीपूर्वक आकलित किया जाना चाहिए। अगर कीमतें बहुत अधिक हुईं तो बैड बैंक स्वत: नाकाम हो जाएगा। अगर कीमतें बहुत कम हुईं तो मूल बैंक के अंशधारकों का नुकसान होगा।
- परिसंपत्ति स्थानांतरण के बाद बैड बैंक को ऐसे लोगों को नियुक्त करना होगा जिन्हें रणनीतिक निर्णय लेने में विशेषज्ञता हासिल हो। जो पुनर्गठन, परिसंपत्ति की आंशिक बिक्री और नकदीकरण करने में सक्षम हों। देश में ऐसे विशेषज्ञ पेशेवरों की कमी है। बैड बैंक में एक अलग प्रबंधन ढांचा खड़ा करना होगा ताकि निस्तारण के साथ उचित प्रोत्साहन जोड़ा जा सके।
- निवेशकों के नजरिये से विविधतापूर्ण परिसंपत्ति वाले बैड बैंक में मूल्यांकन बहुत मुश्किल होगा। स्वीडन में नॉर्डबैंकेन और गोटा बैंक के सफल उदाहरण हमारे सामने हैं जहां हर तरह की बैंक जवाबदेही की गारंटी और बैंकों के सरकार द्वारा पूंजीकरण ने सफलता दिलाने में अहम भूमिका निभाई। न तो सरकार में संपूर्ण गारंटी देने की कुव्वत है और न ही बैड बैंक के पुनर्पूंजीकरण के संसाधन हैं उसके पास।
- उपरोक्त चुनौतियों को देखते हुए बेहतर यही होगा कि ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवालिया संहिता (आईबीसी) के अधीन निस्तारण प्रक्रिया को सुसंगत बनाने का प्रयास किया जाए। मौजूदा प्रक्रियाओं को सरल बनाकर और क्रियान्वयन की दिक्कतों को दूर करके बेहतर नतीजे हासिल किए जा सकते हैं, बजाय कि बैड बैंक जैसे नए विचार को आजमाने के। आईबीसी के पक्ष में एक और बात जाती है, वह यह कि इसमें इच्छुक निवेशकों को शामिल किया जा सकता है। इसमें फंसी हुई परिसंपत्ति के सामरिक और वित्तीय दोनों तरह के निवेशक शामिल हैं।
- ऐसा कदम उठाया गया तो फंसी हुई परिसंपत्तियों के निस्तारण की संभावना बढ़ जाएगी, बजाय कि बैड बैंक के जहां कि अंशधारक निश्चित तौर पर अंशधारकों के लिए लाभ ले आएं यह आवश्यक नहीं। निवेशकों को आकर्षित करने और उनको बनाए रखने के लिए पूरा ध्यान अब फंसी हुई परिसंपत्ति के मांग क्षेत्र पर केंद्रित होना चाहिए। यह मानना जरूरी है कि वास्तविक सुधार और निस्तारण तभी हो सकता है जब इस तनावग्रस्त परिसंपत्ति के लिए बाजार तैयार किया जाए। फिलहाल फंसी परिसंपत्ति की आपूर्ति बहुत अधिक है जबकि इनकी मांग बहुत कम। रास्ता चाहे बैड बैंक का हो या आईबीसी, मांग को मजबूत करना अत्यंत जरूरी है।

फंसी हुई संपत्ति के लिए बाजार बनाने के लिए उचित नीतियां बनाना और निवेशकों के लिए निवेश के पर्याप्त उपाय तैयार करना वक्त की जरूरत है। परिसंपत्ति पुनर्गठन कंपनियों के पास फंड है जो फंसी हुई परिसंपत्ति खरीद सकती हैं और समस्या हल कर सकती हैं लेकिन फंसी हुई परिसंपत्ति की तुलना में उनकी क्षमता नगण्य है। इसके अलावा ऐसे संस्थानों पर तगड़े नियमन हैं जिनके चलते यह क्षेत्र समुचित विकास नहीं कर पा रहा है। प्रतिभूति समर्थित ऐसी परिसंपत्ति के लिए जीवंत बाजार तैयार करने के लिए विक्रेताओं को प्रोत्साहित करना होगा कि वे फंसी हुई परिसंपत्ति को निपटाएं। खरीदारों को भी कर निर्धारण और संभावित कर प्रोत्साहन की मदद से इस संबंध में प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसके अलावा जिन परिसंपत्तियों के पुनर्गठन या निस्तारण में अधिक वक्त लग रहा हो वहां लंबी अवधि की पूंजी वाले संस्थानों की मदद से मांग तैयार करना आवश्यक है।

निस्तारण तो इस पूरी कहानी का एक पहलू है लेकिन इस समस्या को बार-बार दोहराए जाने से बचने के लिए मूलभूत सुधारों की आवश्यकता है। मौजूदा संकट की कुछ अहम वजह हैं कमजोर मानक, जोखिम आधारित ऋण मूल्यांकन की कमी, कमजोर निगरानी, फंसी हुई परिसंपत्तियों में लगातार

इजाफा और शुरुआती चरण में दिक्कत से निपटने की प्रक्रिया की कमी। कमजोर कारोबारी प्रशासन व्यवस्था भी इसके लिए जिम्मेदार है। मौजूदा एनपीए संकट से बैंकिंग व्यवस्था के लिए परेशानी बना हुआ है। उससे निपटने के लिए व्यवस्थित उपायों की आवश्यकता है।

नीति निर्माता और बैंकिंग व्यवस्था को संभावित घरेलू और विदेशी निवेशकों को एक स्पष्टï संदेश भेजना चाहिए। वह यह कि एनसीएलटी और आईबीसी की प्रक्रियाओं को गंभीरतापूर्वक और पूरी प्रतिबद्घता से चलाया जाएगा। अगर मिलेजुले और नाना प्रकार के संदेश दिए जाएंगे तो निवेशक सुधार की प्रक्रिया में हिस्सेदारी करने से बचेंगे। वे तब तक इंतजार करना बेहतर मानेंगे जब तक कि स्थिरता नहीं आ जाती है। ऐसे में हम सुधारों से वंचित रह जाएंगे। वक्त का तकाजा यह है कि हम फंसी हुई परिसंपत्तियों के लिए मांग तैयार करें और निरंतर प्रतिबद्घता का जरूरी संदेश दें कि जरूरी लक्ष्य हासिल करने के लिए हम तय कार्यक्रमों पर अमल करेंगे।

5. चीन और जर्मनी के नव- वणिकवाद से सुरक्षा

#Business_Standard
पिछले दो दशकों में चीन और जर्मनी 'विनिमय दर संरक्षण' के जरिये **नव-वणिकवादी** (नीओ-मर्केन्टलिज्म) नीतियों पर चलते रहे हैं। निर्यात पर परोक्ष सब्सिडी और आयात शुल्क के जरिये व्यापार आधिक्य की स्थिति पैदा करने के लिए एक अवमूल्यित वास्तविक विनिमय दर रखी गई। खासकर चीन के व्यापार अधिशेष को लेकर अमेरिका में कुछ उसी तरह की चिंता रही है जैसी 1980 के दशक में जापान को लेकर रहती थी। जापान के संदर्भ में स्वैच्छिक निर्यात पाबंदियों (वीईआर) के माध्यम से समाधान निकाला गया। वीईआर के तहत कार और सेमी-कंडक्टर के जापानी निर्यातक एक निर्धारित कोटा में ही अमेरिका को निर्यात करने पर सहमत हुए थे। इसमें एक प्रावधान यह था कि निर्यात कोटा में समाहित अप्रत्यक्ष तटकर अमेरिका को नहीं, निर्यातकों को वसूलना था। यह अमेरिकी उपभोक्ताओं के लिए दोहरा घाटा था।

आयात की बढ़ी हुई दरों के अलावा उन्हें विदेशियों को अप्रत्यक्ष तटकर राजस्व भी देना होता था। 1990 के दशक से ही अमेरिका ने चीन के बढ़ते चालू खाता अधिशेष को थामने के लिए अपने वित्त मंत्री के फैसलों को जरिया बनाने की कोशिश की। इसमें चीन की नॉमिनल विनिमय दर में छेड़छाड़ की संभावनाओं को परखा जाता था। भुगतान संतुलन के ऑस्ट्रेलियाई मॉडल से देखें तो ऐसा करना अनुचित लग सकता है। 'इकनॉमिक ऐंड पॉलिटिकल वीकली' में नवंबर 2003 में प्रकाशित एक लेख में दीपक लाल, सुमन बेरी और देवेंद्र कुमार पंत ने इसे भारतीय संदर्भ में पेश किया था। एक छोटी मुक्त अर्थव्यवस्था के लिए वास्तविक एवं मौद्रिक पक्षों को समाहित करने वाले इस मॉडल में वास्तविक विनिमय दर महत्त्वपूर्ण सापेक्षिक कीमत है। सापेक्षिक कीमत गैर-वाणिज्यिक उत्पाद की कीमत और वाणिज्यिक उत्पाद की कीमत का अनुपात होती है। गैर-वाणिज्यिक उत्पाद की कीमत का निर्धारण घरेलू मांग एवं आपूर्ति के आधार पर होता है जबकि वाणिज्यिक उत्पाद की कीमत उसके वैश्विक कीमत और नॉमिनल विनिमय दर से तय होती है।
यह देखा जा सकता है कि नॉमिनल विनिमय दर और राजकोषीय-सह-मौद्रिक नीति के माध्यम से आंतरिक संतुलन कायम रखा जाता है। घरेलू व्यय को घरेलू आउटपुट के बराबर पहुंचाकर गैर-वाणिज्यिक उत्पाद की कीमत में बढ़ोतरी या गिरावट के जरिये वास्तविक विनिमय दर में अंतर्जात बदलाव कर वाह्य संतुलन को साधा जाता है और उसमें कोई भी व्यापार घाटा या अधिशेष नहीं होता है। पूरी तरह अस्थिर विनिमय दर व्यवस्था में नॉमिनल विनिमय दर बदलकर वास्तविक विनिमय दर में जरूरी बदलाव लाया जा सकता है। फिर गैर-वाणिज्यिक उत्पाद की कीमत में बदलाव की भी जरूरत नहीं रह जाती है।

चालू खाता अधिशेष की स्थिति पैदा करने के लिए विनिमय दर को बनाए रखने हेतु वास्तविक विनिमय दर में मूल्यह्रास की जरूरत होगी और घरेलू व्यय को घरेलू आउटपुट से नीचे रखना होगा। मानक राष्ट्रीय आय और बचत को निवेश से अधिक और निर्यात को आयात से अधिक होना होगा। इसी वजह से 'बचत प्रचुरता' और 'वैश्विक असंतुलन' आज अंतरराष्ट्रीय चिंता का विषय बना हुआ है। सुनिश्चित विनिमय दर वाली एक व्यवस्था में घरेलू व्यय में कटौती गैर-वाणिज्यिक उत्पाद की आपूर्ति बढ़ा देगी जिससे कीमतों में गिरावट आने लगेगी और इस तरह वास्तविक विनिमय दर कम हो जाएगी। यह दर्शाता है कि अगर नॉमिनल विनिमय दर के जरिये ही मुद्रा परिचालन को देखें तो वह अनुचित होता है।

आकस्मिक वास्तविक विनिमय दर का अनुमान लगाने और समतुल्य वास्तविक विनिमय दर से इसके विचलन पर नजर रखने की जरूरत है। वास्तविक विनिमय दरों के अनुमान की कुछ कोशिशें हुई हैं क्योंकि इसके लिए अनगिनत उत्पादों की कीमत संबंधी आंकड़े जुटाने की जरूरत होती है ताकि समग्र गैर-वाणिज्यिक उत्पाद की कीमत का अनुमान लगाया जा सके। अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष (आईएमएफ) एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित वास्तविक प्रभावी विनिमय का इस्तेमाल करने का विकल्प भी अनुचित है क्योंकि क्रयशक्ति अनुपात पर आधारित होने से यह नॉमिनल विनिमय दर को घरेलू एवं वाह्य कीमत स्तरों के अंतर के हिसाब से संशोधित करता है। लेकिन वास्तविक विनिमय दर का प्रतिनिधि होने से इसे तभी जायज ठहराया जाता है जब अर्थव्यवस्था में कोई भी गैर-वाणिज्यिक उत्पाद न हों।

किसी देश के विनिमय दर संरक्षण में लिप्त होने का इकलौता तरीका यह है कि क्या वह लंबे समय तक लगातार बहुस्तरीय व्यापार अधिशेष की स्थिति में है? आंकड़े वर्ष 2007 से चीन और जर्मनी के चालू खाता संतुलन को दर्शाते हैं। इससे साफ होता है कि दोनों देश वास्तविक विनिमय दर संरक्षण में संलग्न हैं। लेकिन हम देख चुके हैं कि एक अवमानित वास्तविक विनिमय दर से व्यापार अधिशेष तक पहुंचने के लिए पूरक नीति यह है कि एक स्फीतिकारक वृहद आर्थिक नीति अपनाई जाए जो घरेलू व्यय को घरेलू आउटपुट से नीचे रखे। ब्रेटन वुड्स समझौते के रणनीतिकारों की भी भुगतान संतुलन की समायोजन प्रक्रिया को लेकर यही चिंता थी। चालू खाता घाटा की गंभीर समस्या से जूझ रहे देशों को वृहद आर्थिक नीतियों के जरिये आंतरिक एवं वाह्य संतुलन बनाए रखने और विनिमय दर ह्रांास के जरिये व्यय फेरबदल की जरूरत थी। लेकिन इस तरह की बाध्यता चालू खाता अधिशेष वाले देशों पर नहीं लगाई गई थी। इस असाम्यता के दुष्परिणामों का सबसे अच्छा उदाहरण यूरो मंडल का हिस्सा बनते समय जर्मनी का क्लब मेड देशों के साथ बरताव था। जर्मनी ह्रांासित विनिमय दर पर यूरो का हिस्सा बना था जिसकी वजह से उसे विनिमय दर संरक्षण मिला जबकि घाटे से जूझ रहे ग्रीस जैसे देश को अपने कर्जों और भुगतान संतुलन की समस्या से निपटने के लिए छोड़ दिया गया।

घाटे से बेहाल देशों के असाम्य समायोजन बोझ में इस कमी को आईएमएफ की धारा 7 के तहत पूरा किया गया जो 'दुर्लभ मुद्रा प्रावधान' की बात करता है। यह धारा घाटे में चल रहे देशों को अधिशेष वाले देश (जिसकी मुद्रा को आईएमएफ ने दुर्लभ घोषित कर दिया हो) से आयात पर रोकने का अधिकार देती है जबकि अन्य देशों के साथ वे पूर्ववत कारोबार कर सकते हैं। दुर्लभ मुद्रा का प्रावधान द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लागू मार्शल प्लान की तरह अभी तक लागू नहीं किया गया है। चीन ने 1980 के दशक में जब अपनी अर्थव्यवस्था को खोलना शुरू किया तो अमेरिका ने चीनी वणिकवाद को लेकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसे उम्मीद थी कि समृद्ध देश होने के साथ ही चीन उदार लोकतांत्रिक देश बन जाएगा। लेकिन यह उम्मीद धराशायी हो चुकी है और राष्ट्रपति शी चिनफिंग की अगुआई में चीन अब अपना असली रंग दिखाने लगा है। चीन अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती देने के लिए सर्वाधिकारवादी पूंजीवाद को जरिया बना रहा है। चीन अपने अधिशेष का इस्तेमाल अपने नए साम्राज्य में 'मातहत' देशों को शामिल करने के लिए कर रहा है

लगता है कि चीन की इस चुनौती को राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने समझ लिया है। लेकिन चीन के साथ उनकी व्यापार रणनीति तभी सशक्त होगी जब व्यापार पाबंदियों को वैधानिक रूप देने के लिए दुर्लभ मुद्रा का प्रावधान लागू किया जाए। आखिर में, जर्मनी के अधिशेष से निपटने के लिए यूरोपीय सेंट्रल बैंक से भी आईएमएफ के दुर्लभ मुद्रा प्रावधान को लागू करने के लिए कहा जाना चाहिए। इस प्रावधान को लागू करने के तमाम विकल्प सुझाए जाते रहे हैं लेकिन वे भरोसा जगा पाने में नाकाम रहे हैं। अगर आईएमएफ चीन और जर्मनी पर दुर्लभ मुद्रा प्रावधान लागू करने के लिए राजी नहीं होता है तो फिर ट्रंप प्रशासन के एकतरफा व्यापार प्रतिबंधों को सही माना जाएगा

GENERAL STUDIES HINDI

DELHI FULL STATEHOOD

Context : Aap Protest & tussle

वर्तमान व्यवस्था

69th CAA → Art 239AA

↓ दिल्ली सरकार राज्य व समवर्ती पर कानून

अपवाद भूमि, कानून व्यवस्था व पोलिस

Council of minister: दिल्ली प्रशासन के लिए जिम्मेदार अन्यथा राष्ट्रपति द्वारा हटाये जा सकते हैं (art 239AA, 239AB(a))

↳ 239AA (4) → LG अगर भिन्न राय तो मामला राष्ट्रपति के पास (Nullify executive Power of elected govt.) ⇒ विवाद की जड़

full statehood

Pros

1. जनसंख्या - 2 cr
2. जनतंत्र: सरकार के अधिकार (सीमित तो जनतंत्र नहीं ?
3. ब्रुसेल, बर्लिन उदाहरण
4. Popular will

They are city-states

Cons

a) केवल शहर के लोगों के लिए नहीं

b) राष्ट्रीय सरकार

c) वाशिंगटन, मोस्को

d) 4th Jurisdiction

e) विदेशी संस्थाएं

has the attributes of a state but no sovereignty.

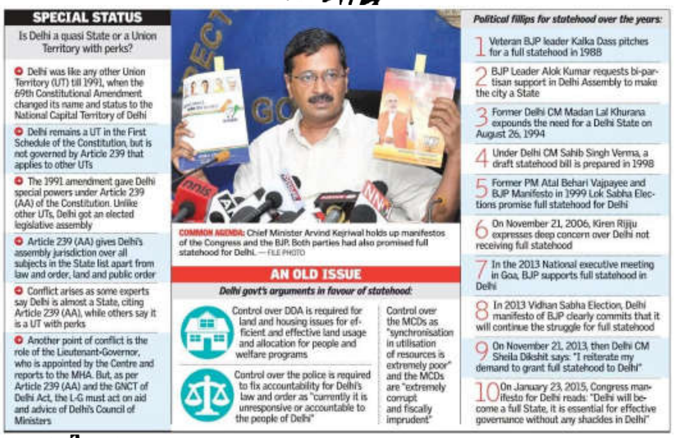

SPECIAL STATUS

Is Delhi a quasi State or a Union Territory with perks?

- Delhi was like any other Union Territory (UT) till 1991, when the 69th Constitutional Amendment changed its name and status to the National Capital Territory of Delhi
- Delhi remains a UT in the First Schedule of the Constitution, but is not governed by Article 239 that applies to other UTs
- The 1991 amendment gave Delhi special powers under Article 239 (AA) of the Constitution. Unlike other UTs, Delhi got an elected legislative assembly
- Article 239 (AA) gives Delhi's assembly jurisdiction over all subjects in the State list apart from law and order, land and public order
- Conflict arises as some experts say Delhi is almost a State, citing Article 239 (AA), while others say it is a UT with perks
- Another point of conflict is the role of the Lieutenant-Governor, who is appointed by the Centre and reports to the MHA. But, as per Article 239 (AA) and the GNCT of Delhi Act, the L-G must act on aid and advice of Delhi's Council of Ministers

COMMON AGENDA: Chief Minister Arvind Kejriwal holds up manifestos of the Congress and the BJP. Both parties had also promised full statehood for Delhi. — FILE PHOTO

AN OLD ISSUE

Delhi govt's arguments in favour of statehood:

Control over DDA is required for land and housing issues for efficient and effective land usage and allocation for people and welfare programs

Control over the police is required to fix accountability for Delhi's law and order as "currently it is unresponsive or accountable to the people of Delhi"

Control over the MCDs as "synchronisation in utilisation of resources is extremely poor" and the MCDs are "extremely corrupt and fiscally imprudent"

Political fillips for statehood over the years:

1. Veteran BJP leader Kalka Dass pitches for a full statehood in 1988
2. BJP Leader Alok Kumar requests bi-partisan support in Delhi Assembly to make the city a State
3. Former Delhi CM Madan Lal Khurana expounds the need for a Delhi State on August 26, 1994
4. Under Delhi CM Sahib Singh Verma, a draft statehood bill is prepared in 1998
5. Former PM Atal Behari Vajpayee and BJP Manifesto in 1999 Lok Sabha Elections promise full statehood for Delhi
6. On November 21, 2006, Kiren Rijju expresses deep concern over Delhi not receiving full statehood
7. In the 2013 National executive meeting in Goa, BJP supports full statehood in Delhi
8. In 2013 Vidhan Sabha Election, Delhi manifesto of BJP clearly commits that it will continue the struggle for full statehood
9. On November 21, 2013, then Delhi CM Sheila Dikshit says: "I reiterate my demand to grant full statehood to Delhi"
10. On January 23, 2015, Congress manifesto for Delhi reads: "Delhi will become a full State. It is essential for effective governance without any shackles in Delhi"

way f/w

1. Own unique Model
2. City in city concept
3. One size fit not work
4. 2003 Standing Committee view

(5) what matters is that systems are transparent and day-to-day work is attended . This does not need statehood—only good governance.

69वें संविधान संशोधन अधिनियम के उन अत्यावश्यक तत्त्वों और विषमताओं, यदि कोई हों, पर चर्चा कीजिए, जिन्होंने दिल्ली के प्रशासन में निर्वाचित प्रतिनिधियों और उप-राज्यपाल के बीच हाल में समाचारों में आए मतभेदों को पैदा कर दिया है । क्या आपके विचार में इससे भारतीय परिसंघीय राजनीति के प्रकार्यण में एक नई प्रवृत्ति का उदय होगा ?

Discuss the essentials of the 69th Constitutional Amendment Act and anomalies, if any, that have led to recent reported conflicts between the elected representatives and the institution of the Lieutenant Governor in the administration of Delhi. Do you think that this will give rise to a new trend in the functioning of the Indian federal politics ? $12\frac{1}{2}$

[redacted]

TheCoreIAS

LOBBYING

Pro

- Information givers
- informed decision making
- Increases Productivity
- (west) - legal
- Resolution of conflict
- Like larger measures

[illegible]

Cons

- Private interest
- लोकतंत्र को deflation
- Elite guided
- Socio-economic environment
- low जागरूकता
- विदेशी का [illegible]
- Lobbying & corruption

lobbying [illegible]

- विदेशी मॉडल को भारत की सामाजिक आर्थिक स्थिति अनुरूप हो।
- Complete disclosure of details
- Clear lobbying law
-

THE CORE IAS
Initiative by GS Hindi
WEEKEND CURRENT AFFAIRS
Batch - Saturday & Sunday
From 16-17 June (8:00 am - 11:30 am)
FAST TRACK MAINS
ANSWER WRITING PROGRAMME
Daily 10 Editorial Based Question-Answer
From 18 June (Morning & Evening Batch)
FOUNDATION MAINS
ANSWER WRITING PROGRAMME
for Mains 2019
From 18 June - 2 Days / Week (Morning & Evening Batch)
Test Series of G.S &
Optional(Geog, History, Hindi,Pol.Sc)
Other Module :
• Environment & Ecology • Society & Social Justice • History • Geog. • Essay
YouTube The Core IAS
Add. : Chamber No. 3, IInd Floor, Batra Complex, Mukherjee Nagar, Delhi-110009
8800141518
9540297983

Lobbying

Context - Air Asia ने भारत के अंतर्राष्ट्रीय flying नियमों को lobbyist के जरिये influence करने की कोशिश की

Previously NEERA RADIYA ..., walmart case

परिभाषा - सरकार की 'Policy making / DECISION' को प्रभावित करने की प्रक्रिया

- Business class अपने अनुसार नीतियों को आकार देने के लिए सरकार की नीतियों को INFLUENCE करें।
- lobbying - Vibrant Economic / business ecosystem के लिए महत्वपूर्ण

Present System in India - NO LAW IN INDIA /

No Policy on lobbying

THE CORE IAS
(www.gshindi.com)
DAILY CURRENT MAINS ANSWER WRITING CLASS
500+ Issues Covered from the Editorials
&
Weekend Current Affairs Class (Sat. - Sun.)
The Core IAS
Add. : Chamber No. 3, IInd Floor, Batra Complex, Mukherjee Nagar, Delhi-110009
8800141518
9540297983

PLASTIC POLLUTION

Q. प्लास्टिक एक वैश्विक समस्या है। यह प्रदूषण कैसे वातावरण को प्रभावित कर रहा है और इसके न्यूनीकरण के लिए क्या रणनीति अपनाई जा सकती है?

Q. प्लास्टिक भारत के सामने नई समस्या बनती जा रही है। इससे निपटने के लिए भारत ने क्या कदम उठाए हैं, और क्या उठाए जाने की आवश्यकता है?

FACT

- ↳ 6.3 bn प्लास्टिक waste, 1950s से (विश्व)
- ↳ भारत ~ 15000 टन प्रतिदिन
- ↳ 50% प्लास्टिक Packaging से
- ↳ financial damage to ocean → $13B/yr

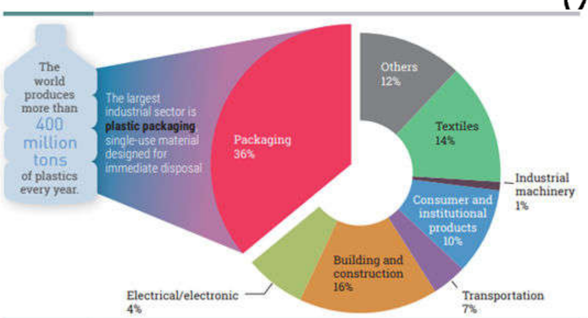

IMPACT

① भूजल
② खाद्य श्रृंखला
③ भूमि प्रदूषण

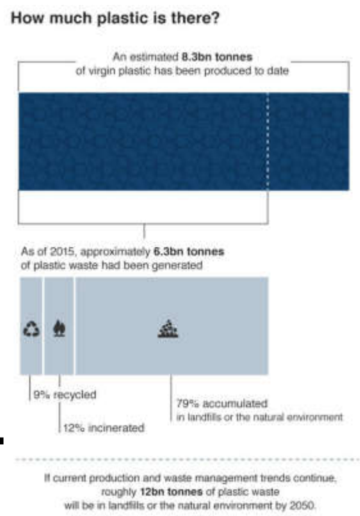

(4) वायु प्रदूषण
(5) सामुद्रिक जीव
(6) Block waterway
(7) पर्यटन
(8) 'लोककल्याण हानि' (welfare losses

Measures

- ↳ Circular Model (RRR) — Reduce, Reuse, Recycle
- ↳ extended Producer Responsibility
- ↳ व्यवहार परिवर्तन
- ↳ कबाड़ी Company model
- ↳ PPP / VO सहायता
- L Incentives for developing eco-friendly substitutes

भारत :

(1) प्लास्टिक प्रदूषण प्रबंधन नियम 2016
(2) महाराष्ट्र में प्रतिबंध → Polythene (17 राज्यों में)

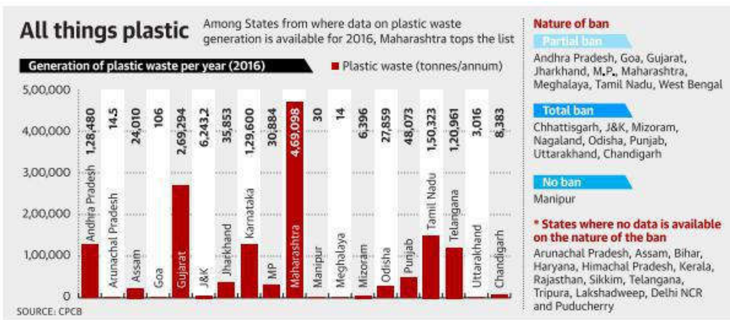

ffice:, 2nd Floor, 3rd Chamber,
Batra Complex, Mukharjee Nagar, Delhi-09
Ph:+91-8800141518

- आपके बहुमूल्य सुझाव और किसी भी प्रकार की शिकायत या त्रुटि सादर आमंत्रित है |आप हमें www.thecoreias.com or www.gshindi.com पर या https://www.facebook.com/gsforhindi/ या email **gs4hindi@gmail.com or justunlearn@gmail.com पर भी सुझाव भेज सकते हैं|**

अधिक अद्यतन रहने के लिए आप हमारी AndroidApp भी download कर सकते हैं |

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gshindi.android.testfirebase

GENERAL STUDIES HINDI